



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची		
	कंडिका	पृष्ठ
प्रावकथन	..	vii
कार्यकारी सारांश	..	ix
प्रथम अध्याय : विहंगावलोकन		
राज्य का पाश्वर्व दृश्य	1.1	1
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन	1.4	4
बजटीय प्रक्रियाएँ	1.5	6
वित्त का आशुचित्र	1.5.1	7
शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र	1.5.2	7
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.6	8
राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमों का अनुपालन	1.6.1	8
वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे	1.6.2	10
घाटा / आधिक्य	1.6.3	11
घाटा / आधिक्य के प्रवृत्तियाँ	1.6.4	12
राज्य वित्त आयोग	1.7	13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.8	15
लेखापरीक्षा के बाद—घाटा / आधिक्य	1.8.1	15
लेखा परीक्षा के बाद—कुल ऋण / दायित्व	1.8.2	15
द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	17
निधियों के स्रोत और उपयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	19
राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि	2.3.2.1	20
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.3	22
स्वयं के कर राजस्व	2.3.3.1	22
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2.3.3.2	24
करेतर राजस्व	2.3.3.3	24
केंद्र से निधियों का हस्तांतरण	2.3.3.4	25
भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.3.5	26
पंद्रहवे वित्त आयोग अनुदान	2.3.3.6	27
पैंजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ	2.3.3.7	28
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	29
संसाधनों का उपयोग	2.4	29
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	29
राजस्व व्यय	2.4.2	32
राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.2.1	34
प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	35
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता	2.4.2.3	37
राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.4	38

	कंडिका	पृष्ठ
पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	39
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	40
अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरुद्ध	2.4.3.3	42
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	43
उद्देश्य शीर्ष वार व्यय	2.4.5	44
लोक लेखा	2.5	46
शुद्ध लोक लेखा	2.5.1	46
आरक्षित निधि	2.5.2	47
संचित निक्षेप निधि	2.5.2.1	48
राज्य आपदा राहत निधि	2.5.2.2	48
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.5.2.3	49
ऋण प्रबंधन	2.6	49
ऋण घटक का रूपरेखा	2.6.1	50
राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना	2.6.2	52
ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी	2.6.3	53
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	54
आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति	2.7.1	56
उधार ली गई निधि का उपयोग	2.7.2	58
प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएँ	2.7.3	59
रोकड़ शेष की प्रबंधन	2.7.4	60
निष्कर्ष	2.8	62
अनुशंसाएं	2.9	63
तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	65
बजट तैयार करने की प्रक्रिया	3.2	65
वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा	3.3	66
जेप्डर बजट	3.3.1	66
युवा बजट	3.3.2	66
कृषि बजट	3.3.3	67
मुख्य नीतिगत पहल / नई योजनाएं	3.3.4	67
विनियोग लेखा	3.4	67
विनियोग लेखों का सारांश	3.4.1	68
बजटीय निधि का उप-युक्ततम उपयोग	3.4.2	68
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियाँ	3.5	69
राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	3.5.1	69
अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान	3.5.2	70
अनावश्यक एवं अत्याधिक पुनिविर्तियोग	3.5.3	72
उप-शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	3.5.4	72
बृहद बचत / समर्पण	3.5.5	73
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध / अपूर्ण व्याख्या	3.5.6	74
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	3.5.7	75
व्यय की अतिवेग	3.6	77
डी.डी.ओ. खातों की स्थिति	3.7	78
चयनित अनुदान की समीक्षा	3.8	78

	कंडिका	पृष्ठ
अनुदान सं. 03— पुलिस	3.8.1	79
बजट और व्यय	3.8.1.1	79
अविवेकपूर्ण बजट प्रस्ताव	3.8.1.2	79
बचत का समर्पण	3.8.1.3	80
योजनाओं के तहत अनावश्यक पूरक अनुदान और बाद में समर्पण	3.8.1.4	80
योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत	3.8.1.5	80
2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना	3.8.1.6	81
विभागीय व्यय के आंकड़ों के मिलान पर	3.8.1.7	81
व्यय की अतिवेग	3.8.1.8	82
अनुदान सं. 30— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3.8.2	83
बजट और व्यय	3.8.2.1	83
वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना	3.8.2.2	83
योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत	3.8.2.3	84
व्यय की अतिवेग	3.8.2.4	86
पूर्ण/संपूर्ण बजट प्रावधान का समर्पण	3.8.2.5	87
निधियों का ब्लॉक	3.8.2.6	87
निष्कर्ष	3.9	88
अनुशंसाएं	3.10	88
चतुर्थ अध्याय : लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	89
उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब	4.2	89
लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	4.3	89
लेखाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.4	91
उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.5	91
व्यवितगत जमा खाते	4.6	92
व्यवितगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ	4.6.1	93
असंचालित व्यवितगत जमा खाते	4.6.2	94
केन्द्रीय सङ्क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ	4.7	94
अधोसंरचना विकास कोष	4.7.1	95
पर्यावरण कोष	4.7.2	95
राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि	4.8	95
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	4.8.1	96
लघु शीष–800 में समायोजन	4.9	97
लघु शीष – 800 के अंतर्गत बुकिंग – ₹50 करोड़ रुपये से अधिक के लिए अन्य प्राप्तियाँ	4.9.1	99
लघु शीष–800–अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत रायल्टी की बुकिंग	4.9.2	99
विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना	4.10	100
रोकड़ शेष का मिलान	4.11	101
भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.12	102
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	4.13	102
हानि तथा गबन आदि के मामले	4.14	103
ऑफ बजट उधार	4.15	103
सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ	4.16	105
एकल नोडल खाते	4.17	105
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	107
निष्कर्ष	4.19	107

	कंडिका	पृष्ठ
अनुशंसाएं	4.20	107
पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	109
सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	109
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	109
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान	5.4	110
सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	110
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता	5.6	111
इकिवटी होल्डिंग एवं ऋण	5.6.1	111
सम्पत्तियों की पर्याप्तता	5.6.2	112
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना	5.6.3	112
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	113
पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ	5.7.1	113
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.7.2	113
ऋण का भुगतान	5.8	114
व्याज कवरेज अनुपात	5.8.1	114
बिजली उत्पादन कंपनियों को सीएसपीडीसीएल का बकाया	5.8.2	115
सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता	5.9	115
अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)	5.9.1	115
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	5.9.2	116
निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर	5.9.3	116
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल	5.9.4	117
हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5.10	118
वहन की गयी हानियाँ	5.10.1	118
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण	5.10.2	119
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका	5.11	120
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.11.1	120
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.11.2	120
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	121
समय पर प्रस्तुतीकरण की आवधकता	5.12.1	121
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता	5.12.2	121
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी— लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	122
वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा	5.13.1	122
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13.2	122
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम	5.14	122
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा	5.14.1	122
सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रूप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	5.14.2	123
लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना	5.15	125
प्रबंधन पत्र	5.16	126
निष्कर्ष	5.17	126
अनुशंसाएं	5.18	127

विषय सूची		
परिशिष्ट का नाम	परिशिष्ट	पृष्ठ
राज्य की रूपरेखा	1.1	129
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	2.1	130
वर्ष 2021–22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित है	3.1	132
वर्ष 2021–22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है	3.2	133
मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹1 करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ	3.3	135
मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.4	136
उप शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)	3.5	137
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)	3.6	140
वर्ष के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)	3.7	142
माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण	3.8	143
उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है	3.9	145
वर्ष 2000–01 से 2020–21 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय	3.10	147
वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ	3.11	148
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	4.1	149
31 जनवरी 2021 तक की लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण	4.2	150
लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार प्राप्तियों का विवरण	4.3	151
लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज मुख्य शीर्षवार व्ययों का विवरण	4.4	153
पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1	154
30 सितम्बर 2022 की स्थिति में पीएसयूज के खार्तों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.1(ब)	155
31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	5.2	157
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना	5.3	161

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन के आध्याय-1 में राज्य वित्त लेखाओं के आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में रुझान जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय आधिशेष/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ शामिल हैं।

आध्याय-2 एवं 3 में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है।

आध्याय-4 'लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता' में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

अध्याय-5 छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के वित्तीय प्रदर्शन तथा पीएसयूज के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की जाँच के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणामों की चर्चा करता है। एक सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) की धारा 19 (ए) के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु, सीएजी द्वारा शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

1. प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

2. लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.1 राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य मापदंडों के संदर्भ में देखा जाता है—राजस्व घाटा/आधिक्य, राजकोषीय घाटा/आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋणों का अनुपात।

मार्च 2021 के अंत तक ₹6,856.66 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में, मार्च 2022 के अंत तक राज्य का राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ था। हालांकि, वैधानिक प्रावधानों के गलत वर्गीकरण/गैर-अनुपालन के प्रभाव को समायोजित करने के बाद राजस्व आधिक्य लेखापरीक्षा द्वारा ₹2,082.42 करोड़ परिकलित किया गया। राजस्व आधिक्य राज्य होने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी जाने वाली वित्तीय प्राथमिकता 40.72 प्रतिशत (2017–18) से घटकर 36.56 प्रतिशत (2021–22) हो गई और चालू वर्ष के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी। 2021–22 में बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में महत्वपूर्ण कमी प्रमुख शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा (₹2069 करोड़), 2215–जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹488 करोड़) और 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹281 करोड़) के तहत देखा गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (1.52 प्रतिशत) के सापेक्ष राजकोषीय घाटा राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर था। सरकार द्वारा बजट में अनुमानित राजस्व और पूँजीगत व्यय से कम राजस्व और पूँजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा लक्ष्य के भीतर रहा। राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2021–22 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी 2021–22 के दौरान कम दर से बढ़ा। 2021–22 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए बकाया ऋण का प्रतिशत 2020–21 में 25.44 प्रतिशत से घटकर 22.77 प्रतिशत हो गया और छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत एमटीएफपीएस (28.34 प्रतिशत) और पंद्रहवां वित्त आयोग में निर्धारित लक्ष्य के अंदर था।

(प्रथम अध्याय)

2.2 राज्य के वित्त

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 26.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। स्वयं के कर राजस्व में 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करेतर राजस्व में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजटीय अनुमानों में प्रत्याशित स्तर को प्राप्त किया। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 49 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 7.11 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में

इसका हिस्सा केवल 12 प्रतिशत था। जबकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.75 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय वर्ष 2021–22 में जीएसडीपी का 2.63 प्रतिशत था।

राज्य शासन ने ₹4,667.24 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 148 अपूर्ण परियोजनाओं (₹10 करोड़ से अधिक की लागत) में से, ₹2,255.66 करोड़ की लागत वृद्धि वाली 49 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया है। राज्य शासन ने 99 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था।

2021–22 के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने ₹463.57 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध संचित निष्केप निधि में ₹300.00 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹163.57 करोड़ का कम योगदान हुआ।

2020–21 में 40 प्रतिशत (₹8,645.96 करोड़) के मुकाबले 2021–22 में उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण का प्रतिशत घटकर पांच प्रतिशत (₹799.18 करोड़) हो गया। राज्य की निवल ऋण उपलब्धता में कमी ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

राज्य शासन को वर्ष 2021–22 से 2031–32 तक आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹79,294.17 करोड़ तथा केंद्र सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिमों के विरुद्ध ₹2,248.43 करोड़ का मूल भुगतान तथा बाजार ऋण पर बकाया ₹24,607.46 करोड़ का ब्याज अदा करना होगा।

2021–22 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण (लोक खाता देनदारियों सहित) ₹8,074.15 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ₹91,098.74 करोड़ होगा।

(द्वितीय अध्याय)

2.3 बजटीय प्रबंधन

हालांकि, पिछले वर्ष (81.22 प्रतिशत) की तुलना में 2021–22 के दौरान बजटीय निधियों के उपयोग का प्रतिशत (87.37 प्रतिशत) बढ़ा है, लेकिन राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं 2021–22 के दौरान यथार्थवादी नहीं थीं और बजट के निष्पादन और निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दो अनुदानों (वित्त विभाग और धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती विभाग) और तीन विनियोगों (वित्त विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग और सार्वजनिक ऋण) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकरणों पर ₹4,059.76 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के अनुसार नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 2000–01 से 2020–21 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹13,376.63 करोड़ रुपये लंबित हैं।

बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये। बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। सतत बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया।

(तृतीय अध्याय)

2.4 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा विस्तृत आक्रिमिक देयकों को जमा नहीं करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और

दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है और अपव्यय/दुवनियोजन/कदाचार आदि के जोखिम/संभावना को बढ़ाता है।

31 मार्च 2022 तक, अंतिम शेष ₹1,404.38 करोड़ के साथ 139 व्यक्तिगत जमा खातों अस्तित्व में थे। व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹1,404.38 करोड़ के अंतिम शेष में से ₹1,148.87 करोड़ भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि का लाभार्थियों में संवितरण न करने के कारण थे। व्यक्तिगत खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की संचित निधि में अंतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुवनियोजन का खतरा होता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ (₹7,427.94 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.33 प्रतिशत) एवं अन्य व्यय (₹1,137.59 करोड़, ₹85,514.23 करोड़ की कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 1.33 प्रतिशत) के संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित हुआ एवं आवटन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण भी धूमिल हुआ।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आवंटित ₹409.70 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले, बोर्ड केवल ₹92.24 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका, जिससे शेष ₹317.46 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए। आगे, वर्ष 2021–22 के दौरान पंजीकृत श्रमिकों का केवल 18 प्रतिशत को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभावित किया गया।

31 मार्च 2022 तक बकाया ₹99,172.89 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार की शुद्ध ऑफ बजट देनदारी ₹3,872.80 करोड़ है। छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।

(चतुर्थ अध्याय)

2.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2022 की स्थिति में, एक सांविधिक निगम सम्मिलित करते हुए 30 पीएसयूज थे। 30 में से दो निष्क्रिय पीएसयूज हैं। 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु सम्मिलित किया गया है।

पीएसयूज के अद्यतन लेखों एवं प्रदत्त सूचना के अनुसार इन्होंने ₹42,147.03 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया जो कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी के 10.53 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2022 की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य का इन 30 पीएसयूज में पूँजी और दीर्घावधि ऋणों में निवेश ₹20,391.67 करोड़ था।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 पीएसयूज ने 2021–22 में ₹932.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 11 पीएसयूज ने ₹439.99 करोड़ की हानि वहन की एवं तीन पीएसयूज ने न तो लाभ और न ही हानि प्रतिवेदित की। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹153.90 करोड़) द्वारा दिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य

विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि ($\text{₹}419.77$ करोड़) वहन की। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः $\text{₹}3.03$ करोड़ एवं $\text{₹}0.81$ करोड़ के लाभांश की घोषणा की।

30 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित कुल संचित हानि $\text{₹}4,163.97$ करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2022 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर $\text{₹}2,900.11$ करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2021–22 के दौरान $\text{₹}419.77$ करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2022 की स्थिति में $\text{₹}7,710.10$ करोड़ की कुल संचित हानि प्रतिवेदित की।

केवल छह पीएसयूज के वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए। 24 पीएसयूज लेखों को समयानुसार प्रस्तुत करने में विफल रहे अतः इन पीएसयूज से संबंधित 40 लेखों बकाया थे।

सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देयताओं को प्रभावित करने वाली गलतियों पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयी थी।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों में पायी गई अनियमिताएं एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, को सुधारात्मक कार्यवाई करने हेतु तीन पीएसयूज के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सूचित किया गया।

(पंचम अध्याय)

प्रथम अध्याय

विहंगावलोकन

प्रथम अध्याय : विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 28 जिले हैं एवं जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई, जो कि 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,18,401 अनुमानित की गई थी जो राष्ट्रीय औसत ₹1,50,007 से कम थी। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

क्र. सं.	वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
2	पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.58	6.21	(-)1.36	19.51
3	प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,82,266	3,27,693	3,44,571 ^अ	3,52,161 ^{ब्ब}	4,00,061 ^अ
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60

(स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2021–22) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)


अ—अग्रिम अनुमान त्व—त्वरित अनुमान प्रा—प्रावधिक अनुमान

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, पाँच वर्ष के अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाते हुए 2.20 से 16.09 प्रतिशत के मध्य रही। भले ही छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी भारत की जीडीपी की तुलना में 2021–22 के दौरान कम दर से बढ़ी, लेकिन इसने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च विकास दर दर्ज की, जोकि मुख्य रूप से जीएसडीपी बनाने वाले सभी तीन क्षेत्रों – कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर में, 2020–21 में 7.48 प्रतिशत, (−)0.16 प्रतिशत और 2.91 प्रतिशत से 2021–22 में क्रमशः 8.93 प्रतिशत, 17.27 प्रतिशत और 11.29 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ।

आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः तीन क्षेत्रों –प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित की जाती है, जो कि कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव समझने के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार योगदान में बदलाव को जानना आवश्यक है। वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना

को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है। कृषि में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन शामिल हैं। उद्योग में खनन और उत्थनन, विनिर्माण, निर्माण आदि शामिल हैं।

चार्ट 1.1: वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तुलना में भारत की सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार संरचना



स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2021–22) तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

नोट: उत्पादों पर करों और सब्सिडी के आंकड़ों को छोड़कर सकल घरेलू उत्पाद और जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना की गणना की जाती है। करों और सब्सिडी का जीडीपी की गणना की जाती है। करों और सब्सिडी का जीडीपी की गणना की जाती है।

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का मुख्य योगदान था, जबकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का मुख्य योगदान रहा। प्रतिशत के अनुरूप से छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों का योगदान राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अधिक था। जबकि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कम योगदान रहा।

चार्ट 1.2 से पता चलता है कि पांच साल की अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान, राज्य के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र के सापेक्ष हिस्से में 2017–18 में 18.41 प्रतिशत से 2021–22 में 20.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2017–18 में 40.39 और 33.05 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में क्रमशः 39.86 और 32.97 प्रतिशत हो गई है।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव (वर्ष 2017–18 से 2021–22)




स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (2021–22) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

नोट: उत्पादों पर करों और सब्सिडी के आंकड़ों को छोड़कर जीएसडीपी की क्षेत्रीय संरचना की गणना की जाती है। करों और सब्सिडी का जीडीपी से प्रतिशत 2017–18 में 8.15 प्रतिशत और 2021–22 में 6.84 प्रतिशत है।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मे विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हे राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ के राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखें, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखें को रखने के लिये उत्तरदायी तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखें तथा विनियोग लेखें द्वारा तैयार किया जाता है। इन लेखों का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के लिये राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्त्रोतों मे निम्नलिखित शामिल है :

- वर्ष 2021–22 के लिये राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बनता है ;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालयों (लेखाकानं साथ ही एम.आई.एस) से अन्य आंकड़ा;
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े; और
- वर्ष 2017–22 के दौरान भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पंद्रहवे वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है :

प्रथम अध्याय	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निधि आंकड़ा, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो विश्लेषण और राज्य का घाटा/आधिक्य सहित राजकोषीय स्थिति प्रदान करता है।
द्वितीय अध्याय	राज्य शासन के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का विगत वर्ष के तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य का ऋण का पार्श्व चित्र और प्रमुख लोक लेखा का लेन–देन, राज्य के वित्त लेखों के आधार पर व्यापक स्वरूप प्रदान करता है।
तृतीय अध्याय	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है, राज्य शासन की विनियोजन और आंवटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है, और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदित करता है।
चतुर्थ अध्याय	लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदों के कार्यप्रणालीयों की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रदान किये गये लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय आधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
पंचम अध्याय	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन यह अध्याय छत्तीसगढ़ के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों) के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है।

1.4 शासकीय लेखों का संरचना और बजटीय प्रक्रिया का विहंगावलोकन

शासकीय लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित हैं। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चाहिए।

राजस्व लेखा प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व तथा संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), करेतर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व लेखा व्यय में शासन के वे समस्त व्यय शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिस्मृतियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम—काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से संम्बन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से संम्बन्धित है।

पूँजीगत लेखा प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि।

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है।

शासकीय लेखों के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और अर्थिक भी है।


कार्यक्रम विवरण		वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य—शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप—कार्य	उप—मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु—शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप— शीर्ष (दो अंक)
	उप—योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष — वैतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप—क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन—देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों में उप—वर्गीकृत किया गया। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षों साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों शासन

के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती है और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.4: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण



स्रोत : वित्त लेखे

1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में वर्ष 2021–22 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 71 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन समेकित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्राज्यीय और अन्य समायोजन शामिल है।

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुनीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

1.5.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2020–21 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020–21 (वास्तविक)	2021–22 (बजट अनुमान)	2021–22 (वास्तविक)	वास्तविक आंकडे बजट अनुमान का प्रतिशतता	वास्तविक आंकडे स. रा.घ.उ का प्रतिशतता
1	कर राजस्व	43,226.74	48,425.42	55,654.52	114.92	13.91
(i)	स्वयं के कर राजस्व	22,889.20	25,750.00	27,083.73	105.18	6.77
(ii)	संघीय करों/शुल्कों के अंश	20,337.54	22,675.42	28,570.79	126.00	7.14
2	करेतर राजस्व	7,136.95	9250.00	13,851.21	149.74	3.46
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	12,812.49	21,650.00	10,146.30	46.87	2.54
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	63,176.18	79,325.42	79,652.03	100.41	19.91
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	104.13	320.00	88.02	27.51	0.02
6	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.85	0.00	4.89	0.00	0.00
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,581.68	18,776.38	15,098.28	80.41	3.77
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	21,690.66	19,096.38	15,191.19	79.55	3.80
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	84,866.84	98,421.80	94,843.22	96.36	23.71
10	राजस्व व्यय	70,032.84	83,027.55	75,010.01	90.34	18.75
11	ब्याज भुगतान	5,633.11	6,470.83	6,144.24	94.95	1.54
12	पूँजीगत व्यय	9,024.19	13,839.35	10,504.22	75.90	2.63
13	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	50.51	239.55	328.81	135.17	0.08
14	कुल व्यय (10+12+13)	79,107.54	97,106.45	85,838.04	88.40	21.46
15	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4–10)	(–)6,856.66	(–)3,702.13	4,642.02	(–)125.39	1.16
16	राजकोषीय घाटा [(4+5+6)–14]	(–)15,822.38	(–)17,461.03	(–)6,093.10	34.90	(–)1.52
17	प्राथमिक घाटा (16+11)	(–)10,189.27	(–)10,990.20	51.14	(–)0.47	0.01

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2021–22

हालांकि राज्य सरकार ने बजट में राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है, इसने बजट की तुलना में उच्च कर और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों को जुटाने के कारण राजस्व आधिक्य हासिल किया। बजट में अनुमान से कम राजस्व और पूँजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा अनुमान से कम रहा।

1.5.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, सार्वजनिक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम एवं रोकड़ शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दायित्वों				परिसंपत्तियाँ			
		2020–21	2021–22	वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता		2020–21	2021–22	वृद्धि/कमी (-) की प्रतिशतता
1	आंतरिक ऋण	70,538.81	71,186.62	(+)0.91	कुल पूँजीगत परिव्यय	1,01,913.17	1,12,412.50	(+)10.30
2	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	6,169.30 ¹	11,726.15 ²	(+)90.07	ऋण और अग्रिमों	1,342.78	1,409.86	(+)5.00
3	आकस्मिकता निधि (कॉपसर्स)	100.00	100.00	(+)0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	0.00	(+)0.00
4	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	8,021.40	8,020.50	(-)0.01	अग्रिम	1.83	7.34	(+)301.09
5	जमा	5,985.11	5,786.49	(-)3.32	प्रेषण	329.28	336.22	(+)2.08
6	आरक्षित निधि	9,180.67	9,627.40	(+)4.87	उचंत तथा विविध शेष	0.00	0.00	(+)0.00
7	उचंत तथा विविध शेष	77.19	142.70	(+)84.87	रोकड शेष ³	9,461.37	9,921.62	(+)4.86
8	प्रेषण	0.00	0.00	(+)0.00	कुल (1 से 7)	1,13,048.43	1,24,087.54	(+)9.76
					शासकीय लेखों पर घाटा	12,975.95	17,497.68	(+)34.85
कुल (1 से 8)		1,00,072.48	1,06,589.86	(+)6.56	कुल (8 से 9)	1,00,072.48	1,06,589.86	(+)6.51

झोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक

1.6 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ—साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

1.6.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (सितम्बर 2011 एवं उसके बाद 2016 में संशोधित) राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढाचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाना था।

¹ इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹3,109 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है।

² इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹8,074.15 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है। इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी।

³ निर्धारित निधि में निवेश सहित

बजट 2021–22 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2021–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय चर, राजकोषीय नीति वक्तव्यों में अधिनियम के तहत किए गए खुलासे और 2017–22 के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2017–22⁴

क्र. सं.	राजकोषीय मापदण्डों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
			2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	3,417.32	683.76	(-)9,608.61	(-)6,856.66	4,642.02
			हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
2	राजकोषीय घाटा (-)आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2017–19 के लिये स.रा.घ. उ. का 3.50 प्रतिशत, 2019–21 के लिये स.रा.घ. उ. का 5 प्रतिशत एवं 2021–22 के लिये स.रा.घ. उ. का 4 प्रतिशत	(-)6,810.32 (2.41 प्रतिशत)	(-)8,292.23 (2.53 प्रतिशत)	(-)17,969.55 (5.22 प्रतिशत)	(-)15,822.38 (4.49 प्रतिशत)	(-)6,093.10 (1.52 प्रतिशत)
			हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताएं का अनुपात (प्रतिशत में)	2017–18 के लिये 18.47% 2018–19 के लिये 18.06% 2019–20 के लिये 21.23% 2020–21 के लिये 21.59% 2021–22 के लिये 28.34%	18.74 प्रतिशत	20.37 प्रतिशत	22.84 प्रतिशत	25.44 ⁵ प्रतिशत	22.77 ⁶ प्रतिशत
			नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ था, जबकि वर्ष 2020–21 में राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ था। राजस्व घाटे में कमी मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹4,977.17 करोड़ (7.10 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद 2020–21 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹16,475.85 करोड़ (26.07 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 20.80 प्रतिशत की कमी आई है।

राज्य का राजकोषीय घाटा 2020–21 में ₹15,822.38 करोड़ से 2021–22 (₹6,093.10 करोड़) के दौरान ₹9,729.28 करोड़ कम हो गया, क्योंकि 2020–21 में ₹6,856.66 करोड़ का राजस्व घाटा 2021–22 में ₹4,642.02 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदल गया। केवल वर्ष 2019–20 को छोड़कर, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान एफ.आर.बी.एम./एम.टी.एफ.पी.एस. के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.22 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा वर्ष 2019–20 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

जीएसटी मुआवजा जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य शासन का राजस्व है। हालांकि, ₹1,216.86 करोड़ की जीएसटी मुआवजा राशि राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2021–22 के दौरान जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, छत्तीसगढ़ को भी ₹4,965.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त हुआ। इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी मुआवजा निधि में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, राज्य के अन्य संसाधनों से पुनर्भुगतान दायित्व पूरा नहीं

⁴ जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्ट में दर्शाएं गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

⁵ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹3,109 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹89,605.22 करोड़ पर की गई है।

⁶ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹91,098.74 करोड़ पर की गई है।

किया जाएगा। राज्य शासन का राजस्व आधिक्य ₹4,642.02 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹6,093.10 करोड़ जैसा कि वित्त लेखा 2021–22 में दर्शाया गया है, इसलिए जीएसटी मुआवजे के बदले ₹4,965.15 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जीएसटी मुआवजे के बदले में ₹4,965.15 करोड़ की ऋण प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹9,607.17 करोड़ और ₹1,127.95 करोड़ होगा।

वर्ष 2021–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कुल बकाया ऋण का प्रतिशत (22.77 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस (28.34 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग (28 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर था। ऋण–जीएसडीपी प्रतिशत की गणना, कुल बकाया ऋण की राशि से जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹8,074.15 करोड़ (2021–22 में ₹4,965.15 करोड़ और 2020–21 में ₹3,109 करोड़) के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

छत्तीसगढ़ एफआरबीएम अधिनियम, 2005 की धारा 5(3) के तहत, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे इस तरह की देनदारी को राज्य के उधार लेने के रूप में प्रतिबिंधित करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एफआरबीएम नियम निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और अनुदान की मांग के समय सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण करेगी। हालांकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान बजट दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म डी–2 “राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियों” में इस तरह के ऑफ–बजट उधार (₹4,383.37 करोड़) का खुलासा नहीं किया।

1.6.2 वर्ष 2021–22 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय नीति विवरण जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट (एमएफएस), मध्यम अवधि के वित्तीय नीति वक्तव्य (एमटीएफपीएस) और वित्तीय नीति रणनीति वक्तव्य वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखेगी।

विवरण में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण, राज्य शासन के वित्त और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन, निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तालिका 1.5 में वर्ष 2021–22 में राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक की भिन्नता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2021–22 के लिये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	25,750.00	27,083.73	5.18
2	करेतर राजस्व	9,250.00	13,851.21	49.74
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	22,675.42	28,570.79	26.00
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	21,650.00	10,146.30	(-)53.13
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	79,325.42	79,652.03	0.41

6	राजस्व व्यय	83,027.55	75,010.01	(-)9.66
7	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (5-6)	(-)3,702.13	4,642.02	225.38
8	राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+)	(-)17,461.03	(-)6,093.10	(-)65.10
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	28.34	22.77 ⁷	(-)19.65
10	प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.37	13.60	45.14

नोट : वित्त लेखे तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2021-22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से सहायता अनुदान और राजस्व व्यय को छोड़कर, एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किए गए अनुमान 2021-22 के दौरान पूरे हुए।

1.6.3 घाटा / आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।

राजस्व घाटा / आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)	राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्त करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्त करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें भी होंगी। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेंशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)}	यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार आवश्यकताओं के लिये चिंतनशील है। <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती है ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सके। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनीय है।


⁷ ऋण/जीएसडीपी अनुपात की गणना बकाया ऋण पर की गई, जिसमें बैंक टू बैंक ऋण की राशि ₹8,074.15 करोड़ शामिल नहीं है।

1.6.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹6,093.10 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹4,00,061 करोड़) का 1.52 प्रतिशत तथा कुल व्यय (₹85,834.04 करोड़) का 7.09 प्रतिशत गठित करता है। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹10,189.27 करोड़ का प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के दौरान ₹51.14 करोड़ के प्राथमिक आधिक्य में बदल गया। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹6,856.66 करोड़ का राजस्व घाटा ₹4,642.02 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदल गया। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.5 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति चार्ट 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) और 243(Y) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को हर पांच साल के बाद नियुक्त किया जाता है, जो राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की सिफारिश करता है, और अपने स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उपाय भी सुझाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000 में राज्य गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों का विवरण नीचे तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.6: राज्य वित्त आयोग का गठन

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना है	वास्तव में गठित	सिफारिश प्रस्तुत करने की तिथि	सरकार द्वारा स्वीकृति	पूर्ण अवधि
1	प्रथम	2001–02	22.08.2003	30.05.2007	जुलाई 2009	2007–12
2	द्वितीय	2006–07	23.07.2011	31.03.2013	जुलाई 2013	2012–20
3	तृतीय	2011–12	20.01.2016	30.09.2018	अक्टूबर 2019	2020–25
4	चतुर्थ	2016–17	29.07.2021	—	—	2025–30

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्य वित्त आयोग 22 अगस्त 2003 को गठित किया गया था। 14 जुलाई 2004 को इसका पुनर्गठन किया गया और आयोग ने मई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पहले और दूसरे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की संबंधित वर्षों की सिफारिशों नवसृजित राज्य पर लागू थीं। पहले एसएफसी ने कुल 81 सिफारिशों की हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने 36 को स्वीकार कर लिया है जबकि 5 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 23 जुलाई 2011 को वर्ष 2011–16 की अवधि के लिए सिफारिशों देने के लिए किया गया था। तथापि, राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को मार्च 2012 तक बढ़ा दिया था तथा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को वर्ष 2012 से बदलकर 2017 कर दिया था। तथापि, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति को वर्ष 2017–20 की अवधि के लिए भी लागू किया गया था। दूसरे एसएफसी ने कुल 133 सिफारिशों की हैं, जिनमें से राज्य सरकार ने 103 को स्वीकार कर लिया है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन 20 जनवरी 2016 को किया गया था और तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को पांच साल की अवधि यानी 2017–22 को कवर करना था। राज्य सरकार ने भारत के पंद्रहवें वित्त आयोग की समयावधि के साथ संयोजन के रूप में 2017–22 के स्थान पर 2020–25 की अवधि के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था।

चौथा राज्य वित्त आयोग 29 जुलाई 2021 को गठित किया गया था और चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश को पांच साल की अवधि यानी 2025–30 को कवर करना था। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले उपलब्ध कराएगा।

राज्य वित्त आयोगों का गठन समय पर नहीं किया गया था। राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण में और देरी हुई।

एसएफसी द्वारा अनुशंसित राज्य के अपने कर संसाधनों (एसओटीआर) का हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को तालिका 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.7: राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एसओटीआर का हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	अवधि	एसएफसी द्वारा हस्तांतरण की सिफारिश			राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण		
			पीआरआइ	यूएलबी	कुल	पीआरआइ	यूएलबी	कुल
1	प्रथम	2007–12	6.62	1.66	8.28	4.79	1.21	6.00
2	द्वितीय	2012–20	6.15	1.85	8.00	6.15	1.85	8.00
3	तृतीय	2020–25	6.91	2.09	9.00	6.91	2.09	9.00
4	चतुर्थ	2025–30	—	—	—	—	—	—

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट

पहले राज्य वित्त आयोग ने 2007–12 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को राज्य के अपने कर संसाधनों के 8.28 प्रतिशत के अंतरण की सिफारिश की थी। हालांकि राज्य शासन केवल 6 प्रतिशत (पीआरआइ को 4.79 प्रतिशत और यूएलबी को 1.21 प्रतिशत) हस्तांतरित करने पर सहमत हुई। दूसरे राज्य वित्त आयोग ने 2012–17 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को एसओटीआर के 8 प्रतिशत के हस्तांतरण की सिफारिश की थी, जिसे राज्य शासन ने स्वीकार कर लिया था। हस्तांतरण में से पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.85 प्रतिशत था। तीसरे राज्य वित्त आयोग ने 2017–22 की अधिनिर्णय अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को शुद्ध एसओटीआर के 9 प्रतिशत के हस्तांतरण की सिफारिश की थी, जिसे राज्य शासन ने 2020–25 की अवधि के लिए स्वीकार कर लिया था। हस्तांतरण में से पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.91 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा 2.09 प्रतिशत था।

वर्ष 2017–18 और 2021–22 के दौरान राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश, स्वीकार किए गए हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा आवंटित और जारी किए गए वास्तविक बजट के संबंध में निधि प्रवाह का विवरण नीचे **तालिका 1.8** में दिखाया गया है:

तालिका 1.8: 2017–22 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए हस्तांतरण और वास्तविक बजट / व्यय की तुलना में एसएफसी अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित प्रतिशत			राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण			राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट			राज्य शासन द्वारा वास्तविक रिलीज		
		पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग
1	2017–18	(6.15)	(1.85)	(8.00)	(6.15)	(1.85)	(8.00)	901	278	1179	946	442	1388
2	2018–19	(6.15)	(1.85)	(8.00)	(6.15)	(1.85)	(8.00)	800	300	1100	839	300	1139
3	2019–20	(6.15)	(1.85)	(8.00)	(6.15)	(1.85)	(8.00)	756	321	1077	750	321	1071
4	2020–21	(6.91)	(2.09)	(9.00)	(6.91)	(2.09)	(9.00)	865	444	1309	606	442	1048
5	2021–22	(6.91)	(2.09)	(9.00)	(6.91)	(2.09)	(9.00)	858	451	1309	651	451	1102

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एसओटीआर (राज्य के अपने कर राजस्व) का प्रतिशत दर्शाते हैं

यूएलबी को जारी वास्तविक फंड 2020–21 को छोड़कर 2017–22 के दौरान बजट आवंटन के अनुसार था, जहां मामूली गिरावट देखी गई थी। लेकिन, 2017–18 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित बजट से पीआरआइ को जारी वास्तविक फंड कम था।

1.8 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा के ध्यान में आने वाले विभिन्न मुद्दे जिनका राज्य शासन के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, का विवरण नीचे दिया गया है।

1.8.1 लेखापरीक्षा के बाद—घाटा/आधिक्य

कुछ मुद्दे जैसे राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021–22 के अपने लेखों में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण/पूँजी के रूप में बुकिंग, संबंधित निधियों को प्राप्त अनुदान के केंद्रीय हिस्से का हस्तांतरण न करना और अन्य मुद्दे, जिनकी चर्चा रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में की गई है, वर्ष 2021–22 के वित्त लेखों में दर्शाए गए राजस्व/राजकोषीय आधिक्य/घाटे पर प्रभाव डालते हैं। वास्तविक घाटे के आंकड़े पर पहुंचने के लिए, उपरोक्त मुद्दों के प्रभाव को उचित रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के लिए राजस्व व्यय में ₹2,559.60 करोड़ की कमी हुई, जिसे तालिका 1.9 में परिकलित किया गया है। और उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का आकलन तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व व्यय पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	राजस्व व्यय की अत्योक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति
1	राजस्व और पूँजी के बीच गलत वर्गीकरण ⁸	0.00	2,230.14
2	राष्ट्रीय पेंशन योजना	0.00	3.92
3	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर व्याज देनदारियां	0.00	2.28
4	अवसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण उपकर का गैर हस्तांतरण	0.00	323.26
योग		0.00	2,559.60

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2021–22

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	न्यूनोक्ति	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	राजस्व घाटा(−) / आधिक्य(+)	4,642.02	2,559.60	2,082.42
2	राजकोषीय घाटा(−)	(−)6,093.10	(−)329.46	(−)6,422.56

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2021–22

1.8.2 लेखा परीक्षा के बाद—कुल ऋण/दायित्व

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य के समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत शामिल देनदारियां और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार, विशेष प्रयोजन वाहन और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं

⁸ ₹2,230.14 करोड़ में राजस्व व्यय की बुकिंग यानी सहायता अनुदान (₹2,227.04 करोड़), रखरखाव कार्य (₹0.09 करोड़), कार्यालय व्यय (₹1.23 करोड़) और पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान (₹1.77 करोड़) पूँजीगत व्यय के रूप में शामिल हैं।

जहां मूलधन और ब्याज को राज्य के बजट से सेवित किया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017–22 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने पांच पीएसयू के माध्यम से ₹4,383.37 करोड़ के ऑफ–बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने इन ऑफ–बजट उधार पर ब्याज की सर्विसिंग के अलावा ₹510.57 करोड़ के मूलधन का पुनर्भुगतान राज्य के बजट के माध्यम से किया। इस मुद्दे पर रिपोर्ट के पैरा 4.15 में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए, बजट से इतर उधारी को कुल देनदारियों में जोड़ा गया है।

जीएसटी मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण राज्य को भुगतान किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 में एक विशेष उधार की स्थापना की और तदनुसार, राज्य को 2020–21 में ₹3,109 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़ (कुल ₹8,074.15 करोड़) का बैक टू बैक ऋण जारी किया। इस बैक टू बैक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक निवल उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण चुकौती जीएसटी मुआवजा कोष में उपकर के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से चुकौती दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। लेखा परीक्षा के बाद देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले प्राप्त बैक टू बैक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ–बजट उधार और बैक टू बैक ऋण के कारण, कुल ऋण/देयता जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ी/घटी है जैसा कि तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.सं.	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2022 को खातों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	99,172.89	24.79
2.	31.03.2022 को निवल ऑफ–बजट देनदारियां (₹4,383.37 – ₹510.57)(ब)	3,872.80	0.97
3.	ऑफ–बजट देनदारियों सहित कुल देनदारियां (स) = (अ) + (ब)	1,03,045.69	25.76
4.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैक टू बैक एक ऋण (द)	8,074.15	2.02
कुल देयताएं (स)–(द)		94,971.54	23.74

स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2021–22

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऑफ–बजट देनदारियों और बैक टू बैक ऋण को समायोजित करने के बाद ऋण–जीएसडीपी अनुपात 24.79 प्रतिशत से घटकर 23.74 प्रतिशत हो गया।

द्वितीय अध्याय

राज्य शासन के वित्त

द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण करता है, वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन–देनों का राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वर्ष 2020–21 के सापेक्ष में वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">➤ राज्य के राजस्व प्राप्तियाँ में 26.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ करेतर राजस्व में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 40.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.81 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">➤ राजस्व व्यय में 7.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ सहायता अनुदान और योगदान पर व्यय में 1.12 प्रतिशत की कमी हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">➤ पूँजीगत व्यय में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 30.93 प्रतिशत की कमी हुई➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 10.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 23.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none">➤ ऋण तथा अग्रिमो के संवितरणों में 541.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ ऋण तथा अग्रिमो की वसूलियों में 15.97 प्रतिशत की कमी हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 30.04 प्रतिशत की कमी हुई➤ लोक ऋण अदायगी में 10.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 6.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई➤ लोक लेखा संवितरणों में 6.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none">➤ पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश में ₹460.25 करोड़ (4.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग


तालिका 2.2 में राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2021–22 के दौरान, वर्ष 2020–21 के साथ की गई जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2021–22 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण	2020–21	2021–22	वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्रोत			
2	प्रारंभिक रोकड़ शेष ¹	11,396.60	9,461.37	(-)1,935.23
3	राजस्व प्राप्तियाँ	63,176.18	79,652.03	16,475.85
4	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.85	4.89	0.04
5	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	104.80	88.06	(-)16.78
6	अंतर्राजीय परिशोधन	(-)0.67	(-)0.04	0.63
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	13,561.39	6,252.98	(-)7,308.41
8	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	325.76	300.37	(-)25.39
9	आकस्मिकता निधि	0.00	0	0
10	योग	88,568.91	95,759.66	7,190.75
11	उपयोग			
12	राजस्व व्यय	70,032.84	75,010.01	4,977.17
13	पूँजीगत व्यय	9,024.19	10,504.22	1,480.03
14	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	50.50	324.06	273.56
15	अंतर्राजीय परिशोधन	0.01	(-)0.25	(-)0.26
16	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
17	अंतिम रोकड़ शेष	9,461.37	9,921.62	460.25
18	योग	88,568.91	95,759.66	7,190.75

स्रोत : वित्त लेखे 2020–21 एवं 2021–22

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2021–22

नोट: ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं आकस्मिकता निधि अन्य में शामिल हैं।

¹ प्रारंभिक / अंतिम रोकड़ शेष में रोकड़ शेष, रोकड़ शेष और निर्धारित फंड का निवेश शामिल हैं।


2.3 राज्य के संसाधन

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।
- पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।
- शुद्ध लेखे प्राप्तियों: कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने-देने होते हैं, जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखें में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियाँ की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ–साथ राजस्व उत्पादकता को प्रदान करता है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
2	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.11	9.13	(–)1.88	(–)1.08	26.08
3	स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73
4	करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21
5	राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर (प्रतिशत) (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व)	6.58	11.04	3.16	(–)0.08	36.33
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,82,266	3,27,693	3,44,571 ^{प्रा}	3,52,161 ^{त्व}	4,00,061 ^अ
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60
8	राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	21.13	19.86	18.54	17.94	19.91
उत्पादकता अनुपात²						
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्पादकता	1.50	0.57	(–)0.37	(–)0.49	1.92
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्पादकता	0.89	0.69	0.61	(–)0.04	2.67


स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य

अ—अग्रिम अनुमान त्व—त्वरित अनुमान प्रा—प्रावधिक अनुमान

राजस्व उत्पादकता, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, राजस्व उत्पादकता जो वर्ष 2020–21 के दौरान (–)0.49 था, वर्ष 2021–22 में बढ़कर 1.92 हो गया है, यह दर्शाता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान जब जीएसडीपी में एक आधार बिंदु की वृद्धि हुई है, राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 1.92 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 में स्वयं का राजस्व उत्पादकता (–)0.04 से बढ़कर वर्ष 2021–22 के दौरान 2.67 हो गया, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2021–22 के दौरान जब राज्य के जीएसडीपी में एक आधार बिंदु की वृद्धि हुई है, तो स्वयं के राजस्व में 2.67 आधार अंक की वृद्धि हुई है।


² उत्पादकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 में ₹59,647.07 करोड़ से ₹20,004.96 करोड़ बढ़कर वर्ष 2021–22 के दौरान ₹79,652.03 करोड़ हो गई। 2021–22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹16,475.85 करोड़ (26.08 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व की प्राप्तियों में ₹12,427.78 करोड़ (28.75 प्रतिशत) तथा करेतर राजस्व प्राप्तियों में ₹6,714.26 करोड़ (94.08 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।
- वर्ष 2017–18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 44 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 56 प्रतिशत का योगदान

दिया। वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, जबकि 49 प्रतिशत केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।

- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 26.08 प्रतिशत (₹16,475.85 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 7.11 प्रतिशत (₹4,977.17 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसके कारण पिछले वर्ष के ₹6,856.66 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में ₹4,642.02 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा करेतर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेतर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व/करेतर राजस्व का विकास

क्र. सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	स्वयं के कर राजस्व (₹करोड़ में)	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73
2	वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.01	7.70	3.22	3.49	18.33
3	करेतर राजस्व (₹करोड़ में)	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21
4	वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.84	21.49	3.00	(-)10.04	94.08

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


- वर्ष 2017–22 के दौरान, स्वयं के कर राजस्व की विकास दर में 3.22 से 18.33 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति का रुझान दिखा तथा वर्ष 2020–21 में ₹22,889.20 करोड़ से ₹4,194.57 करोड़ (18.33 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹27,083.73 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2017–22 के दौरान, करेतर राजस्व की विकास दर में (–)10.04 से 94.08 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति का रुझान दिखा तथा वर्ष 2020–21 में ₹7,136.95 करोड़ से ₹6,750.04 करोड़ (94.08 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹13,851.21 करोड़ हो गया।

2.3.3.1 स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। वर्ष 2017–22 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं के कर राजस्व का विवरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2017–22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 तक पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक–वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2017–22 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2020–21 की तुलना में 2021–22 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	26.09
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,386.56	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	19.67
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,054.00	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	10.16
4	वाहनों पर कर	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	19.55
5	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	22.74
6	भू–राजस्व	446.41	487.57	551.50	937.71	949.94	1.30
7	माल एवं यात्रियों पर कर	477.66	54.51	40.51	79.83	47.90	(-)40.00
8	विद्युत कर तथा शुल्क	1,688.96	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	21.13
9	अन्य कर ³	14.01	1.44	0.81	0.39	0.78	100.00
योग		19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	18.33

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य का स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2017–18 में ₹19,849.68 करोड़ से ₹7,189.05 करोड़ (36.14 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹27,083.73 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में ₹4,194.57 करोड़ (18.33 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹558.47 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹1,105.06 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।
- वर्ष 2021–22 में ₹27,083.73 करोड़ के कुल स्वयं के कर राजस्व में से, वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 35.02 प्रतिशत, बिक्री, व्यापार आदि पर करों के द्वारा 19.72 प्रतिशत तथा राज्य उत्पाद शुल्क द्वारा 18.85 प्रतिशत का योगदान दिया।

³ अन्य करों में होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर अन्य कर शामिल हैं।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

राज्य शासन ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत, केन्द्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि की भरपाई पाँच वर्ष की अवधि तक करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की राशि की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व के प्राप्त अंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षा के पश्चात की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015–16) के वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये करों के राजस्व आंकड़ा अनुसार तय किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए आधार वर्ष 2015–16 के अनुमानित राजस्व ₹7,357.43 करोड़ में प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को लागू करते हुए वर्ष 2021–22 के लिए अनुमानित राजस्व ₹16,149.36 करोड़ की गणना की गई।

वर्ष 2021–22 के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व का आंकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), इनपुट टैक्स क्रेडिट, एस.जी.एस.टी का क्रास उपयोग एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी), आई.जी.एस.टी का कर भाग का एस.जी.एस.टी. में हस्तांतरण का विभाजन और आई.जी.एस.टी से आग्रिम विभाजन। वर्ष 2021–22 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹16,149.36 करोड़ के विरुद्ध, वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य शासन को ₹9,483.48 करोड़ के राजस्व प्राप्ति हुई। राज्य शासन को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹1,216.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को 2021–22 के दौरान जीएसटी मुआवजे में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार से ₹4,965.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ।

2.3.3.3 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2017–22 के दौरान घटक वार करेतर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार था।

तालिका 2.6: वर्ष 2017–22 के दौरान घटक वार करेतर राजस्व

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	(₹ करोड़ में)
							2020–21 की तुलना में 2021–22 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4,911.44	6,110.24	6,195.73	5,538.49	12,305.39	122.18
2	ब्याज प्राप्तियाँ	180.44	189.55	232.41	89.77	137.96	53.68
3	लाभांश और लाभ	4.80	1.49	2.39	2.29	3.64	58.95
4	वृहद् सिंचाई	461.23	521.81	437.04	445.91	418.17	6.22
5	वानिकी तथा वन्य जीव	291.17	236.73	249.37	277.09	346.90	25.19
6	अन्य करेतर प्राप्तियाँ	491.34	643.20	816.83	783.40	639.15	18.41
योग		6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	94.08

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कुल करेतर राजस्व प्राप्तियों में ₹7,510.79 करोड़ (118.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2017–18 में ₹6,340.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹13,851.21 करोड़ हो गई। करेतर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान ₹6,750.04 करोड़ (94.08 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि


मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत कोयला ब्लॉकों और अन्य खनिजों की नीलामी से प्राप्तियों में ₹6,766.90 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

2.3.3.4 केंद्र से निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार से निधि का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। दस वर्ष की अवधि 2012–22 के दौरान इस संबंध में प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–16 के बाद से केंद्र से धन के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है, क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2012–13 में ₹11,927.93 करोड़ से ₹26,789.16 करोड़ बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹38,717.09 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2020–21 में ₹33,150.03 करोड़ से ₹5,567.06 करोड़ बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹38,717.09 करोड़ हो गया।

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

वर्ष 2017–22 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छतीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	291.44	5,789.33	5,733.71	6,068.90	8,628.50
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	2,094.36	462.00	0.00	0.00	0.00
3	निगम कर	6,352.98	8,157.09	6,889.42	6,117.65	7,699.82
4	निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,364.62	6,007.35	5,398.34	6,269.51	8,887.95
5	सीमा शुल्क	2,093.70	1,662.66	1,280.78	1,097.20	2,017.68
6	संघ उत्पाद शुल्क	2,188.50	1,104.93	890.49	686.04	1,009.06
7	सेवा कर	2,369.40	217.76	0.00	84.52	296.68
8	अन्य कर	(-)0.19	57.57	13.10	13.72	31.10
9	केन्द्रीय कर हस्तान्तरण	20,754.81	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79
10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	10.34	13.03	(-)13.87	0.65	40.48
11	राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण का प्रतिशत	34.80	36.04	31.64	32.19	35.87

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2017–22 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2017–18 में ₹20,754.81 करोड़ से ₹7,815.98 करोड़ (37.66 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹28,570.79 करोड़ हो गया। वर्ष 2017–22 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की वृद्धि दर में (-)13.87 प्रतिशत से लेकर 40.48 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण में ₹233.25 करोड़ (40.48 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर (₹2,618.44 करोड़) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹2,559.60 करोड़) के कारण हुई।

2.3.3.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

राज्य शासन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त करती है। वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिये अनुदान	9,275.76	8,214.77	7,808.24	6,975.55	6,170.60
2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,460.23	1,679.48	2,044.75	2,286.50	2,379.80
3	अन्य हस्तान्तरण/राज्यों को अनुदान	1,921.17	2,611.70	3,758.25	3,547.44	1,595.90
	योग	12,657.16	12,505.95	13,611.24	12,812.49	10,146.30
4	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	23.34	(-)1.19	8.84	(-)5.87	(-)20.81
5	राजस्व प्राप्तियाँ	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
6	राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	21.22	19.21	21.31	20.28	12.74

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 12.74 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹6,170.60 करोड़) कुल अनुदान का 61 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (₹2,379.80 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो कि वर्ष के दौरान

कुल अनुदान का 23 प्रतिशत रहा। भारत सरकार से राज्य को अन्य अनुदान (₹1,595.50 करोड़) में ₹1,216.86 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है जो अन्य हस्तांतरण/अनुदान का 76.25 प्रतिशत था।

वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,666.19 करोड़ (20.81 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान की प्राप्ति में ₹804.95 करोड़ (प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (₹234.01 करोड़), शहरी कायाकल्प मिशन—(अमृत) (₹411.38 करोड़) और अन्य) और राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के तहत जीएसटी मुआवजा में ₹1,951.54 करोड़ की कमी के कारण हुई।

इसके अलावा, राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2021–22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹4,965.15 करोड़ का बैक टू बैक ऋण प्राप्त हुआ जो अन्यथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरण होता।

2.3.3.6 पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार ने राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्रदान किया। वर्ष 2021–22 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा 2021–22 में जारी अनुदान
स्थानीय निकाय			
1	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान		
(अ)	मूल अनुदान (सहायता अनुदान—सामान्य)	1,075.00	1,075.00
2	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान		
(अ)	मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	163.00	107.50 [#]
(ब)	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	367.00	426.50*
3	स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान	339.00	338.80
4	स्थानीय निकायों का योग	1,944.00	1,947.80
5	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	432.00	432.00
6	कुल योग	2,376.00	2,379.80

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

#2021–22 में भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020–21 से संबंधित ₹53.50 करोड़ शामिल हैं, *2021–22 में भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020–21 से संबंधित ₹243 करोड़ शामिल हैं।

- मार्च 2022 तक, राज्य शासन ने 2021–22 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए संपूर्ण मूल अनुदान (₹1,075.00 करोड़) प्राप्त किया।
- राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की ₹530.00 करोड़ की सिफारिश के विरुद्ध शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹237.50 करोड़ प्राप्त किए। वर्ष 2020–21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹296.50 करोड़ का अनुदान भी वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त हुआ था।

- राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में राज्य आपदा राहत निधि (₹432.00 करोड़) के लिये संघ का पूरा हिस्सा प्राप्त किया।

2.3.3.7 पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए पूँजीगत खंड में प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना के प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.10: पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.32	5.26	4.70	4.85	4.89
2	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	138.59	162.32	256.78	104.80	88.06
3	आंतरराज्यीय परिशोधन	1.24	0.56	0.13	(-)0.67	(-)0.04
4	गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ)	143.15	168.14	261.61	108.98	92.91
5	आंतरिक ऋण	9,187.89	13,816.66	19,308.36	17,961.37	9,321.77
6	वृद्धि दर (प्रतिशत)	80.21	50.38	39.75	(-)6.98	(-)48.10
7	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	464.55	553.44	279.17	3,620.31	5,776.51
8	वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.76	19.13	(-)49.56	1,196.81	59.56
9	लोक ऋण प्राप्तियाँ (ब)	9,652.44	14,370.10	19,587.53	21,581.68	15,098.28
10	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब)	9,795.59	14,538.24	19,849.14	21,690.66	15,191.19
11	गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)18.54	17.46	55.59	(-)58.34	(-)14.75
12	पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	76.14	48.88	36.31	10.18	(-)30.04
13	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60
14	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	73.20	48.42	36.53	9.28	(-)29.96

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 में ₹9,795.59 करोड़ से ₹5,389.60 करोड़ (55.08 प्रतिशत) बढ़कर 2021–22 में ₹15,191.19 करोड़ हो गया। वर्ष 2021–22 के दौरान, पूँजीगत खंड प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6,499.47 करोड़ (29.96 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में वृद्धि के बावजूद लोक ऋण प्राप्तियों में ₹6,483.40 करोड़ (30.04 प्रतिशत) की कमी थी। ऋण और अग्रिम में वृद्धि जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में ₹4,965.15 करोड़ की प्राप्ति के कारण थी।

गैर–ऋण पूँजी प्राप्तियाँ, मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में ₹16.07 करोड़ (14.75 प्रतिशत) कम हो गई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेतर राजस्व स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व का विवरण तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: कर और करेतर प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

क्र. सं.	विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन		(₹ करोड़ में)
					बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	
1	स्वयं के कर राजस्व	24,105.00	25,750.00	27,083.73	5.18	12.36	
2	करेतर राजस्व	8,871.00	9,250.00	13,851.21	49.74	56.14	
	योग	32,976.00	35,000.00	40,934.94	16.96	24.14	

स्रोत: वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन पंद्रहवें वित्त आयोग के अपेक्षाओं को पूरा करने में 24.14 प्रतिशत और 16.96 प्रतिशत अपने स्वयं के संसाधनों को अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध जुटाने में सफल रहा। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि (₹1,333.74 करोड़) मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में ₹984.21 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसी तरह, करेतर राजस्व में ₹4,601.21 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (₹5,705.39 करोड़) के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

क्र. सं.	मापदंड	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (बजट अनुमान)	2021–22 (वास्तविक)	(₹ करोड़ में)
1	कुल व्यय	66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54	97,106.45	85,838.04	
2	राजस्व व्यय	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84	83,027.55	75,010.01	
3	पूँजीगत व्यय	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19	13,839.35	10,504.22	

4	ऋण एवं अग्रिम ⁴	369.83	240.69	56.16	50.51	239.55	323.81
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में						
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	2,82,266	3,27,693	3,44,571	3,52,161	3,83,098	4,00,061
7	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.59	22.45	23.83	22.46	25.35	21.46
8	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.92	19.66	21.32	19.89	21.67	18.75
9	पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.54	2.72	2.49	2.56	3.61	2.63
10	ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.13	0.07	0.02	0.01	0.06	0.08

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि राज्य का कुल व्यय 2017–18 में ₹66,600.54 करोड़ से ₹19,237.50 करोड़ (28.88 प्रतिशत) बढ़कर 2021–22 में ₹85,838.04 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 को छोड़कर 2017–22 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 23.59 प्रतिशत से घटकर 21.46 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष के दौरान, कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6,730.50 करोड़ (8.51 प्रतिशत) की वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹4,977.17 करोड़ (7.11 प्रतिशत), पूँजीगत व्यय में ₹1,480.03 करोड़ (16.40 प्रतिशत), ऋणों एवं अग्रिम में ₹273.30 करोड़ (541.08 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राजस्व और पूँजी पर वास्तविक व्यय बजटीय अनुमानों से कम था जबकि ऋणों और अग्रिमों पर व्यय बजटीय अनुमानों से अधिक था। बजट अनुमानों से विचलन, सरकार के नियंत्रण के भीतर और बाहर, विभिन्न कारणों से वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति और गैर-अनुकूलन का संकेत है।

इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 19.89 प्रतिशत से घटकर 18.75 प्रतिशत हो गया है, जबकि पूँजीगत व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में 2.56 प्रतिशत से बढ़कर 2.63 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 2.8 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति
(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁴ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है, कि पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों ने पिछले पांच वर्षों में अंतर-वर्ष के उतार-चढ़ाव के साथ आम तौर पर गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (परिशिष्ट 2.1 देखें) में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय शामिल है। इन घटकों पर सापेक्ष व्यय तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2020–21
1	सामान्य सेवाएँ	13,373.74	15,535.80	19,289.82	20,095.21	21,727.03
2	सामाजिक सेवाएँ	27,116.57	25,319.17	28,610.12	28,001.32	31,382.55
3	आर्थिक सेवाएँ	24,744.50	31,804.93	33,079.55	29,885.69	31,615.95
4	अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और अंतर्राज्यीय परिशोधन)	1,365.73	895.41	1,120.37	1,125.32	1,112.51
कुल व्यय		66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय 2020–21 में ₹20,095.21 करोड़ से ₹1,631.82 करोड़ (8.12 प्रतिशत) बढ़कर 2021–22 में ₹21,727.03 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण परिभाषित पेंशन अंशदान योजना में सरकारी अंशदान में ₹286.00 करोड़ और ब्याज भुगतान में ₹511.00 करोड़ पर व्यय में वृद्धि होना है।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,381.23 करोड़ (12.08 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा में ₹1,361.11 करोड़, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में ₹844.93 करोड़ और जल आपूर्ति और स्वच्छता में ₹534.62 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- आर्थिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,730.26 करोड़ (5.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण रोजगार पर व्यय में ₹629.41 करोड़ और सड़क और पुलों पर ₹1,071.81 करोड़ की वृद्धि के कारण है।

चार्ट 2.9: कुल व्यय – गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं ने 2021–22 के दौरान कुल व्यय का 73.39 प्रतिशत गठित किया। राज्य ने सामाजिक सेवाओं में अधिक राशि खर्च की है जबकि 2021–22 के दौरान कुल व्यय के गतिविधि घटकों के संबंध में सामान्य और आर्थिक सेवाओं में मामूली कमी देखी गई है। चार्ट 2.10, 2021–22 के दौरान व्यय की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: 2021–22 के दौरान कुल व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

चार्ट 2.10 प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के तहत राजस्व व्यय कुल व्यय का 32.58 प्रतिशत था, जिसके बाद आर्थिक सेवा 28.61 प्रतिशत और सामान्य सेवा 24.90 प्रतिशत थी। सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं और संवितरित ऋणों और अग्रिमों पर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 12.61 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता है।

कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्प्लावकता एवं राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख तालिका 2.14 एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदण्ड	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	कुल व्यय	66,600.55	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04
2	राजस्व व्यय	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01
3	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.74	14.55	14.08	(-)4.69	7.11
4	राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	84.43	87.57	89.50	88.53	87.39
5	राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.92	19.66	21.32	19.89	18.75
6	राजस्व प्राप्तियाँ	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
7	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.11	9.13	(-)1.88	(-)1.08	26.08

8	राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	94.27	98.95	115.04	110.85	94.17
राजस्व व्यय का उत्पादकता अनुपात						
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	2.26	0.90	2.73	(-)2.13	0.52
10	राजस्व प्राप्तियों से	1.51	1.59	(-)7.49	4.34	0.27

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2017–18 में 84.43 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 87.39 प्रतिशत हो गई। राज्य के राजस्व व्यय की वृद्धि दर 2017–18 में 16.74 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 7.11 प्रतिशत अंतर वर्ष उत्तार–चढ़ाव के साथ घटती प्रवृत्ति दिखाई दी। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान ₹4,977.17 करोड़ (7.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 2020–21 में वेतन और मजदूरी में ₹21,543.04 करोड़ से 2021–22 में ₹23,541.33 करोड़ की वृद्धि है। जीएसडीपी के साथ राजस्व व्यय उछाल जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के लिए राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.14 से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय उत्पादकता अनुपात जो वर्ष 2020–21 में (−)2.13 था, वर्ष 2021–22 में राजस्व व्यय की सकारात्मक वृद्धि दर के कारण बढ़कर 0.52 हो गया।

चार्ट 2.11: बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में राजस्व व्यय




स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2017–18 से 2021–22 में राजस्व व्यय बजटीय अनुमानों के भीतर था। 2021–22 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 19.89 प्रतिशत से घटकर 18.75 प्रतिशत हो गया है।

राजस्व व्यय का क्षेत्रीय वितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.15 में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्ष में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2020–21	2021–22	वृद्धि (+) / कमी (-)
1	2202 – सामान्य शिक्षा	13,964.06	15,332.29	1,368.23
2	2210 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4,924.27	5,956.21	1,031.94
3	2505 – ग्रामीण रोजगार	971.90	1,601.31	629.41
4	2049 – ब्याज भुगतान	5,633.11	6,144.24	511.13
5	2406 – बन	1,039.07	1,300.58	261.51
6	2055 – पुलिस	3,909.77	4,265.75	355.98
7	2801 – विद्युत	4,393.81	3,800.00	(-)593.81
8	2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,453.72	2,096.79	(-)356.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा के अंतर्गत राजस्व व्यय में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई। मद 2210–चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जन स्वास्थ्य के घटकों जैसे रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, जनजातीय उप–योजना आदि के व्यय में 123 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान शीर्ष 2505–ग्रामीण रोजगार के तहत व्यय में वृद्धि जिला पंचायतों को प्रदान की जाने वाली सहायता पर व्यय में 70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य शीर्ष 2801–विद्युत के तहत व्यय में कमी सामान्य एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पर पिछले वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण हुई। चालू वर्ष के दौरान 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय में कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में ग्राम पंचायतों को सहायता और जनपद पंचायतों को सहायता पर व्यय में कमी के कारण थी।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन और सब्सिडी पर व्यय शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

तालिका 2.16 वर्ष 2017–22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (बजट अनुमान)	2021–22 (वास्तविक)
1	वेतन एवं मजदूरी	13,183.70	17,807.60	21,763.92	22,002.14	25,121.65	24,017.18
2	पेंशन पर व्यय	3,923.58	5,428.50	6,637.98	7,136.00	6,580.76	7,472.22
3	ब्याज भुगतान	3,098.33	3,652.55	4,970.36	5,633.11	6,470.83	6,144.24
4	सब्सिडी	5,004.69	8,323.01	11,483.23	7,307.94	7,479.68	6,565.30
5	योग	25,210.30	35,211.66	44,855.49	42,079.19	45,652.92	44,199.54
6	राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में						
7	वेतन एवं मजदूरी	22.10	27.36	34.08	34.83	31.54	30.15
8	पेंशन पर व्यय	6.58	8.34	10.39	11.30	8.26	9.38
9	ब्याज भुगतान	5.19	5.61	7.78	8.92	8.12	7.71
10	सब्सिडी	8.39	12.79	17.98	11.57	9.39	8.24
11	योग	42.26	54.10	70.23	66.62	57.31	55.48
12	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में						
13	वेतन एवं मजदूरी	23.45	27.65	29.62	31.41	33.49	32.02
14	पेंशन पर व्यय	6.98	8.43	9.03	10.19	8.77	9.96
15	ब्याज भुगतान	5.51	5.67	6.77	8.04	8.63	8.19
16	सब्सिडी	8.90	12.92	15.63	10.44	9.97	8.75
17	योग	44.84	54.67	61.05	60.08	60.86	58.92

ओतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय राज्य को व्यय को प्राथमिकता देने और सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूँजी निवेश को पूरा करने में प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात इंगित करता है कि नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में राज्य के पास सीमित लचीलापन है। **तालिका 2.16** से पता चलता है कि प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति बढ़ रही है और 2017–18 में ₹25,210.30 करोड़ (राजस्व व्यय का 44.84 प्रतिशत) से बढ़कर 2021–22 में ₹44,199.54 करोड़ (राजस्व व्यय का 58.92 प्रतिशत) हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय में ₹2,120.35 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी के व्यय में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान लोक ऋण में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2017–18 की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि (98.31 प्रतिशत) हुई है।

इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹6,565.30 करोड़ का भुगतान किया। सब्सिडी पर व्यय 2017–18 में ₹5,004.69 करोड़ से ₹1,560.61 करोड़ (31.18 प्रतिशत) बढ़कर 2021–22 में ₹6,565.30 करोड़ हो गया। इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए ₹168.07 करोड़ की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹6,565.30 करोड़ की सब्सिडी (जो ₹7,479.68 करोड़ के बजट प्रावधान से कम था) राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का क्रमशः 8.24 प्रतिशत एवं 8.75 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2020–21 में 11.57 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 8.24 प्रतिशत हो गई और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2020–21 में 10.44 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 8.75 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान समग्र कमी (₹742.64 करोड़) मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के तहत सब्सिडी में कमी के कारण थी। वर्ष 2021–22 के दौरान सब्सिडी के प्रमुख भाग वाले विभागों को **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है।


तालिका 2.17: वर्ष 2021–22 के दौरान सब्सिडी के बड़े हिस्से वाले विभाग

क्र. सं.	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
1	ऊर्जा	2,243.00	34.16	पांच हार्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए अनुदान (₹1,075.00 करोड़) और धरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत (₹900 करोड़)
2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	3,675.95	55.98	राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन (₹1,005.25 करोड़) एवं मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹2,382.99 करोड़) की हानियों को पूरा करने हेतु अनुदान के मद में

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13: बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में प्रतिबद्ध व्यय




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, प्रतिबद्ध व्यय ने 2020–21 के दौरान को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है। प्रतिबद्ध व्यय पांच वर्षों के दौरान अनुमानित बजट आंकड़ों के भीतर रहा, वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान यह बजट अनुमानों से अधिक रहा।

वर्ष 2017–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के लिए प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा

(प्रतिशत में)



जैसा कि उपरोक्त चार्ट 2.14 से देखा जा सकता है, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2017–18 में 44.84 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 58.92 प्रतिशत हो गया। प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात भी 2017–18 में 42.26 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों का 55.48 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, गैर-प्रतिबद्ध व्यय 2017–18 में 55.16 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 41.08 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता

वर्ष 2021–22 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹7,472.22 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गये कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) में ₹1,282.75 करोड़ व्यय किए गए थे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 की अवधि के अंशदान का बकाया राशि के साथ मार्च 2006 से कर्मचारियों के अंशदानों के कटौती राशि के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत हुई। वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा राशियों—(117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्राप्तियाँ ₹1,296.61⁵ करोड़ थीं, जिसमें से ₹1,291.00 करोड़ एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित की गई थीं, जिसके

⁵ ₹1,286.67 करोड़ कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है और ₹9.93 करोड़ प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी और नियोक्ता योगदान से संबंधित है,

परिणामस्वरूप ₹5.61 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। 31 मार्च 2022 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को ₹37.78 करोड़ का हस्तांतरण लंबित रहते हुए लोक लेखों में पड़ी रही। ₹5.61 करोड़ के कम अंशदान और ₹32.17 करोड़ के गैर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹37.78 करोड़ की परिहार्य देयता का अनावश्यक सृजन हुआ और उस सीमा तक कर्मचारियों के देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई।

पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के विनियमन का कार्य प्रारंभ होने के बाद, राज्य शासन के अंशदान को मुख्य शीर्ष 2071 से डेबिट किया जाता है और मुख्य शीर्ष 8342–117 के माध्यम से रूट किए बिना इसे सीधे ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कर्मचारीयों के ₹1,286.67 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध, राज्य शासन ने केवल ₹1,282.75 करोड़ का अंशदान किया, परिणामस्वरूप पेंशन योजना के निर्धारित अंशदान में ₹3.92 करोड़ का कम अंशदान हुआ।

2.4.2.4 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.18 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	(अ) स्थानीय निकाय					
2	नगर निगम एवं नगरपालिका	3,425.75	2,778.73	3,138.94	3,554.17	3,904.13
3	पंचायती राज संस्थान	10,899.36	6,905.17	6,006.83	4,421.79	4,345.60
4	योग (अ)	14,325.11	9,683.90	9,145.77	7,975.96	8,249.73
5	(ब) अन्य					
6	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	235.45	170.44	273.67	204.97	254.57
7	विकास प्राधिकरण	287.03	271.41	235.06	229.93	393.08
8	सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	10,155.72	13,255.70	10,499.70	12,555.37	13,241.09
9	योग (ब)	10,638.20	13,697.55	11,008.43	12,990.27	13,888.74
10	योग (अ+ब)	24,963.31	23,381.45	20,154.20	20,966.23	22,138.47
11	राजस्व व्यय	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01
12	राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	44.40	36.30	27.43	29.94	29.51

ओत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता ने 2020–21 तक घटती प्रवृत्ति दिखाई है और 2020–21 में ₹20,966.23 करोड़ से ₹1,172.24 करोड़ बढ़कर 2021–22 में ₹22,138.47 करोड़ हो गई है। 2021–22 के दौरान, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹273.77 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण शहरी स्थानीय निकायों को अधिक सहायता प्रदान करना है। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता वर्ष 2017–18 के 44.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 29.51 प्रतिशत रह गई है।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान बजट अनुमानों के विरुद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: राज्य में पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूँजीगत व्यय पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2017–18 में ₹10,000.96 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹10,504.22 करोड़ हो गया। हालांकि, राज्य 2017–18 से 2021–22 तक संपत्ति निर्माण के बजट अनुमान को पूरा नहीं कर सका। 2021–22 के दौरान, पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 16.40 प्रतिशत (₹1,480.03 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जल जीवन मिशन योजना, और राज्य राजमार्ग सड़क निर्माण कार्यों में व्यय में वृद्धि है।

2021–22 के दौरान, कुल पूँजीगत व्यय (₹10,504.22 करोड़) का 42 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹4,415.62 करोड़) पर खर्च किया गया, इसके बाद जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 13.56 प्रतिशत (₹1,424.47 करोड़) खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.19 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामलों पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.19: वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2020–21	2021–22	वृद्धि (+)/ कमी (-)
1	5054—सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	3,351.28	4,415.62	1,064.34
2	4215—जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	907.93	1,424.47	516.54
3	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	52.11	327.95	275.84
4	5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.00	200.00	130.00
5	4059—लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	400.11	247.43	(-)152.68

6	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	511.71	324.70	(-)187.01
7	4515—अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय	350.57	271.28	(-)79.29

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2020–21 एवं 2021–22

सड़कों और पुलों पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से राजमार्ग पुलों और सड़क निर्माण परियोजनाओं के तहत नए कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के कारण हुई। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन योजना और शहरी निकायों की जल संवर्धन योजना के तहत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। आगे, विद्युत परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना में वृद्धि के कारण तथा अन्य संचार सेवाओं पर व्यय में वृद्धि लम्बित बिलों के भुगतान के कारण हुई।

वर्ष 2021–22 के दौरान प्रमुख शीर्ष 4210—चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय तथा मुख्य शीर्ष 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत व्यय में कमी कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब के कारण थी। लोक निर्माण पर व्यय में कमी मुख्य रूप से अद्योसंरचना विकास निधि और पर्यावरण निधि पर व्यय में कमी के कारण थी।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2022 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कम्पनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों, निगमों और सहकारी समितियों को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेयर पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे अर्थात्, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, निवेश पर प्रतिफल की दर, निवल संपत्ति का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि रिपोर्ट के पंचम अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है।

निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखे वर्ष 2021–22 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 22 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों में 31 मार्च 2022 तक ₹7,320.19 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के दौरान इन निवेशों पर ₹3.64 करोड़ की वापसी अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 की अवधि में निवेश का वर्षावार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.20: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	37.82(02)	86.92(10)	87.88(10)	88.34(10)	89.69(10)
2	सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,459.45(13)	6,683.34(28)	6,683.34(28)	6,683.34(28)	6,733.34(28)
3	संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	144.80(05)	145.21(22)	145.21(22)	145.21(22)	156.93(22)
4	ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	25.15(01)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)
5	सहकारी संस्थाएं तथा रसानीय निकाय (ईकाइयों की संख्या)	199.15(1523)	327.42(1523)	324.21(1460)	319.26(1460)	315.08(1460)
6	कुल निवेश	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19
7	वर्ष के अन्त में निवेश	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19
8	निवेश पर प्रतिफल	4.80	1.49	2.39	2.29	3.64
9	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.07	0.02	0.03	0.03	0.05
10	शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.38	6.10	6.83	6.57	6.40
11	ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.31	6.08	6.80	6.54	6.35
12	बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	433.27	442.15	493.86	474.89	464.85

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शते हैं

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021–22 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹3.64 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। जबकि राज्य शासन ने इसी अवधि के दौरान अपने उधार पर 6.40 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। निवेश के लिए उधार ली गई धनराशि का निरंतर उपयोग जिसमें पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं है, एक अस्थिर वित्तीय स्थिति का कारण बनेगा।

राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। तालिका 2.21 31 मार्च 2022 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ–साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.21: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वितरित एवं वसूली ऋणों की प्रमात्रा	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	941.98	1,519.63	1,597.75	1,397.08	1,173.86 ⁶
2	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	368.76	240.44	56.11	50.50	324.06
3	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	138.59	162.32	256.78	104.80	88.06
4	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	1,172.16	1,597.75	1,397.08	1,342.78	1,409.86

⁶ पावर कंपनी के वित्त खाते और खाते के आंकड़ों के बीच ऋण शेष के मिलान के कारण राज्य सरकार के पत्र संख्या 523/आर–110/2020/13/2 दिनांक 23–02–2022 द्वारा ₹168.92 करोड़ कम किया गया। ₹168.92 करोड़ में वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार की शेयर पूँजी के रूप में समायोजित ऋण का ₹136.78 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का ₹32.14 करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में समायोजित शामिल है।

5	निवल वृद्धि	230.17	78.12	(-)200.67	(-)54.30	236.00
6	ब्याज प्राप्तियाँ	27.61	28.32	1.67	6.88	3.27
7	शासन द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्याज दर	2.17	2.04	0.11	0.50	0.24
8	शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर	6.38	6.10	6.83	6.57	6.40
9	ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत)	4.21	4.06	6.72	6.07	6.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वितरित ऋण में वृद्धि हुई है। दिए गए ऋण पर राज्य शासन द्वारा प्राप्त ब्याज ₹3.27 करोड़ था। मार्च 2022 के अंत में, सरकार के पास ₹1,409.86 करोड़ के ऋण और अग्रिम बकाया थे, जिनमें से ₹324.61 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं, ₹213.01 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित हैं और ₹427.43 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, शासन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित चीनी मिलों को नया ऋण और अग्रिम का भुगतान किया, जिनके विरुद्ध पूर्व से ही ऋणों की अदायगी बकाया है।

तालिका 2.22: वर्ष 2021–22 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	1 अप्रैल 2021 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान ऋण की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक बकाया ब्याज
1	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2017–18	95.00	13.00	2.00	106.00	31.15
2	भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2016–17	77.00	13.00	2.00	88.00	13.49
3	महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2010–11	103.67	17.00	10.00	110.67	26.73
4	दतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड	2011–12	74.83	7.00	0.25	81.58	34.59

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार जो धन लिया, वह ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

अनुमानित लागत ₹15,638.78 करोड़ की कुल 357 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। जिनमें से 148 परियोजनाओं की पहचान की गई थी जिन्हें 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पूरा किया जाना था और जिनकी लागत ₹10 करोड़ और उससे अधिक थी। अपूर्ण परियोजनाओं का वर्षवार एवं विभागवार विवरण क्रमशः तालिका 2.23 एवं तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: 31 मार्च 2022 तक अधूरी परियोजनाओं की आयु रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)
1	2011 तक	12	291.21	384.87
2	2011–12	16	468.53	973.79
3	2012–13	8	322.86	544.95
4	2013–14	13	939.35	1,146.43
5	2014–15	14	315.74	281.04
6	2015–16	21	584.90	682.06
7	2016–17	11	330.71	312.19
8	2017–18	23	504.14	609.87
9	2018–19	12	366.72	339.26
10	2019–20	11	157.33	182.11
11	2020–21	5	323.34	66.90
12	2021–22	3	64.84	10.05
योग		148	4,667.24	5,493.35

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

तालिका 2.24: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	49 अपूर्ण परियोजनाएं जिनकी लागत पुनरेक्षित की गई		31 मार्च 2022 को 148 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय		
				49 परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत				
				क्र.	राशि			
1	लोक निर्माण	10	417.43	02	151.61	551.20	399.59	514.37
2	जल संसाधन	138	4,249.81	47	1,764.68	3,617.75	1,856.07	4,978.98
योग		148	4,667.24	49	1,913.29	4,168.95	2,255.66	5,493.35

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

राज्य शासन ने ₹4,667.24 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 148 अपूर्ण परियोजनाओं (₹10 करोड़ से अधिक की लागत) में से, ₹2,255.66 करोड़ की लागत वृद्धि वाली 49 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया है। परियोजना कार्यों के पूरा होने में देरी से लागत में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि राज्य शासन ने 99 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका और इन परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण, परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि ऐसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.25 में वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.		टीई /स.रा.घ.उ.	एसएसई /टीई	ईएसई /टीई	डीई /टीई	सीई /टीई	शिक्षा /टीई	स्वास्थ्य /टीई
1	औसत (अनुपात) 2017–18							
2	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	16.13	36.65	31.17	67.82	15.56	15.17	5.09
3	छत्तीसगढ़	23.59	40.72	37.15	77.87	15.57	18.64	6.02
4	औसत (अनुपात) 2021–22							
5	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	15.84	38.31	28.44	66.74	14.41	14.66	6.20
6	छत्तीसगढ़	21.46	36.56	36.83	73.39	12.61	18.54	7.63

टीई: कुल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई–विकास व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्बिलित हैं। [#]पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य

स्रोत : आर्थिक सलाहकार से प्राप्त आंकड़े


- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में छत्तीसगढ़ का कुल व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- छत्तीसगढ़ के कुल व्यय में विकास, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय का अनुपात अन्य सामान्य राज्यों के औसत से अधिक रहा है।
- राज्य शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 40.72 प्रतिशत (2017–18) से घटकर 36.56 प्रतिशत (2021–22) हो गई और यह चालू वर्ष में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी। वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों की तुलना में मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा (₹2,069 करोड़), 2215–जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹488 करोड़) और 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹281 करोड़) में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के तहत व्यय में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।
- राज्य शासन द्वारा पूँजीगत व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2021–22 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन दर्शाते हैं। उद्देश्य शीर्ष वार व्यय, व्यय के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2021–22 के कुल व्यय के संदर्भ में प्रतिशत वार उद्देश्य शीर्ष व्यय नीचे चार्ट 2.16 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.16: उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, उद्देश्य शीर्ष वेतन और भत्ते, सहायता अनुदान और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के तहत कुल व्यय ₹85,514.23 करोड़ ('ऋण और अग्रिम' और अंतर्राष्ट्रीय परिशोधन पर व्यय को छोड़कर) का 61.10 प्रतिशत था। इसके अलावा, वित्तीय सहायता, ब्याज / ऋण अदायगी और निर्माण कार्य व्यय का क्रमशः 7.68 प्रतिशत, 7.55 प्रतिशत और 4.61 प्रतिशत था।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक ड्रिल डाउन व्यू नीचे तालिका 2.26 में दी गई है।

तालिका 2.26: बजट आंबटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
1	14—सहायता अनुदान	25,580.38	22,163.89	86.64
2	01—वेतन एवं भत्ते	25,121.65	22,639.42	90.12
3	12—पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	6,580.76	7,450.26	113.21
4	13—वित्तीय सहायता	7,479.68	6,565.30	87.78
5	35—ब्याज / ऋण का पुनर्भुगतान	6,913.07	6,458.51	93.42
6	97—निर्माण कार्य	5,946.02	3,940.15	66.27
7	26—वृहद निर्माण कार्य	4,698.95	3,516.25	74.83
8	25—सामग्री और पूर्तियाँ	3,174.04	3,142.14	98.99
9	45—पूँजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	2,491.83	2,227.04	89.37
10	37—अंतः लेखा अन्तरण	2,129.14	1,587.42	74.56
11	27—लघु निर्माण कार्य	1369.67	1,031.70	75.32
योग		91,485.19	80,722.08	88.24

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2021–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 11 उद्देश्य शीर्षों के तहत ₹91,485.19 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक व्यय केवल ₹80,722.08 करोड़ (88.24 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 शुद्ध लोक लेखा

लोक लेखे के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक राज्य के लोक लेखा में घटक-वार शुद्ध शेष नीचे तालिका 2.27 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.27: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक-वार शुद्ध शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	ज्ञ-अत्य बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	(+)6,077.89	(+)6,832.41	(+)7,617.67	(+)8,021.40	(+)8,020.50
2	त्र-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	(+)202.83	(+)400.70	(+)1,101.77	(+)614.84	(+)769.36
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	(+)1,387.39	(+)1,254.83	(+)1,363.00	(+)1,384.75	(+)1,683.77
3	ट-जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	(+)49.69	(+)42.90	(+)37.29	(+)33.16	(+)28.27
		(ख) बिना ब्याज वाली जमा	(+)6,189.04	(+)5,964.44	(+)5,446.01	(+)5,951.96	(+)5,758.23
		(ग) अग्रिमों	(-)1.74	(-)1.75	(-)1.84	(-)1.84	(-)7.35
4	ठ-उचंत तथा विविध	(क) उचंत	(+)57.24	(+)35.96	(+)29.66	(+)20.08	(+)84.64
		(ख) अन्य लेखे	(-)4,022.35	(-)9,711.03	(-)5,199.46	(-)3,344.86	(-)3,299.78
		(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ड-प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-)171.17	(-)297.90	(-)204.48	(-)240.97	(-)245.09
		(ख) अंत-सरकार समायोजन लेखे	(-)65.49	(+)61.19	(-)73.82	(-)88.41	(-)91.13
योग			9,703.33	4,581.75	10,115.80	12,350.11	12,701.42

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: (+) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है; (-) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है

पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में लोक खाते में शुद्ध शेष राशि में ₹351.31 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से आरक्षित निधियों में ब्याज वाली राशि में ₹154.52 करोड़, आरक्षित निधियों बिना ब्याज वाली राशि में ₹299.02 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो कि बिना ब्याज वाली जमाराशियों में ₹193.73 करोड़ की कमी के कारण प्रतिसंतुलित था।

पिछले पांच वर्षों की अवधि 2017–22 में लोक लेखा में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.17 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.17: लोक लेखा राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाए गए वार्षिक परिवर्तनों में प्रमुख शीर्ष-8671 विभागीय शेष, 8673—नकदी शेष निवेश खाता और आरक्षित निधि निवेश खाते में परिवर्तन शामिल नहीं हैं।

2019–20 के दौरान, आरक्षित निधि में उच्च परिवर्तन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से हस्तांतरित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा) के तहत ₹5,791.70 करोड़ की प्राप्ति और कैम्पा निधियों के निवेश पर ₹81.25 करोड़ के ब्याज के कारण था।

2.5.2 आरक्षित निधि

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इन निधियों की पूर्ति राज्य के समेकित निधि से योगदान या अनुदान से की जाती है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए वर्ष 2000–2001 (राज्य के गठन से) से 17 आरक्षित निधियाँ रख गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2022 की स्थिति में 14 निधियाँ संचालित थीं और तीन निधियाँ असंचालित थीं। इन निधियों में 31 मार्च 2022 के अंत में सकल शेष ₹9,627.40 करोड़ था, जिसमें से ₹7,174.27 करोड़ (74.52 प्रतिशत) भारत सरकार के प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल (₹7,020.35 करोड़) और संयुक्त उद्यम कंपनियाँ की शेयर पूँजी (₹153.92 करोड़) में निवेश किया गया था।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण और संवितरण, डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से समेकित निधि के तहत उपयुक्त राजस्व और व्यय शीर्षों से प्रभावित होते हैं। ये वास्तविक नकदी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व केवल तभी करते हैं जब वे रिजर्व बैंक डिपॉजिट को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं। चूंकि कोई वास्तविक नकदी बहिर्वाह नहीं था, इसलिए आरक्षित निधि के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दर्शाए गए ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं, जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन में अंतर्निहित भावना का उल्लंघन करते हैं।

2.5.2.1 संचित निक्षेप निधि

बाहरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पालन में सभी ऋण जैसे बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के देयताओं आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹463.57 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹92,714.22 करोड़ का बकाया देयता का 0.50 प्रतिशत) संचित निक्षेप निधि में हस्तांतरित करना था, जिसके विरुद्ध केवल ₹300.00 करोड़ स्थानांतरित किया गया। ₹163.57 करोड़ का संचित निक्षेप निधि में कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को अधिक और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया। 31 मार्च 2022 तक निधि में ₹2,886.94 करोड़ की राशि पड़ी थी और कुल राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रतिक्रिया के साथ—साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए निधि के निर्माण की सिफारिश की है, जिसे एक साथ राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा। एसडीआरएमएफ के लिए अनुशंसित कुल राशि में से एसडीआरएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा। 01 अप्रैल 2021 तक राज्य आपदा राहत निधि के पास ₹103.11 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान, राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹345.60 करोड़ और ₹115.20 करोड़ का संबंधित राज्य का हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसे निधि में स्थानांतरित किया जाना था। राज्य शासन ने मुख्य मद 8121–122 एसडीआरएफ के तहत कुल ₹460.80 करोड़ की राशि निधि में स्थानांतरित की। वर्ष 2021–22 के दौरान एसडीआरएफ से ₹360.54 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक एसडीआरएफ के पास ₹205.52⁷ करोड़ का अंतिम शेष था। एनडीआरएफ के लिए केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर और समुदाय—आधारित हस्तक्षेपों के लिए राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) बनाने की सिफारिश की, जो जोखिम को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देता है। भारत सरकार और राज्य शासन को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। 1 अप्रैल 2021 तक एसडीएमएफ के पास ₹57.60 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य शासन को केन्द्रीय अंश के रूप में ₹86.40 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य शासन को ₹115.20 करोड़ एसडीएमएफ (₹86.40 करोड़ केन्द्रीय हिस्से के साथ—साथ ₹28.80 करोड़ राज्य हिस्सा) को हस्तांतरित करना था। हालांकि, राज्य शासन ने केवल ₹57.60 करोड़ (₹43.20 करोड़ केन्द्रीय हिस्सा एवं ₹14.40 करोड़ राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य आपदा शमन निधि के पास ₹115.66⁸ करोड़ का अंतिम शेष था।

राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.28 में दिया गया है।

⁷ ट्रेजरी डिपॉजिट के ₹2.15 करोड़ सहित

⁸ जिसमें 0.46 करोड़ का ब्याज मिला है

तालिका 2.28: राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय
1	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
2	01—सूखा		
3	101	अनुग्राहिक राहत	0.30
4	282	लोक स्वास्थ्य	0.00
5	02—बाढ़ चक्रवात आदि		
6	101	अनुग्राहिक राहत	3.03
7	106	क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल के मरम्मत एवं पुनर्स्थापना	0.00
8	110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु सहायता	0.03
9	111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	18.92
10	112	जनसंख्या का निष्क्रमण	0.54
11	113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	7.84
12	114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	20.21
13	116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वैल एवं पम्पसेंट की मरम्मत हेतु सहायता	0.02
14	117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.87
15	80—सामान्य		
16	101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	74.45
17	102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	0.00
18	800	अन्य व्यय	228.58
19	कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय		360.79
20	05—राज्य आपदा राहत निधि		
21	901	घटाएं—राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-)360.54

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22


2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

बाहरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष की शुरूआत में बकाया गारंटी के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था। तदनुसार, राज्य शासन को वर्ष 2021–22 में प्रत्याभूति मोचन निधि बनाने और निधि में ₹99.18 करोड़ हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। वित्त आयोग की सिफारिशों के विपरीत राज्य शासन ने प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अधिकतम गारंटी “मध्यम और कम” जोखिम का था और राज्य के गठन के बाद राज्य शासन को दायित्व/भार स्थानांतरित करने के लिए किसी भी संस्था ने स्वीकृत गारंटियों के प्रति ऋण की चुकौती में चूक नहीं की थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है। 2017–18 और 2021–22 के बीच समग्र ऋण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.18 में दिखाई गई है:

चार्ट 2.18: 2017–18 और 2021–22 के दौरान समग्र ऋण की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: वर्ष 2020–21 और 2021–22 के कुल बकाया ऋण ₹92,714.22 करोड़ और ₹99,172.89 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण की राशि क्रमशः ₹3,109 करोड़ और ₹8,074.15 करोड़ को हटाकर ऋण–जीएसडीपी अनुपात की गणना की गई है।

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

प्राप्त कुल ऋण, कर्ज की अदायगी, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और पांच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान राज्य को उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा का विवरण तालिका 2.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	बकाया समग्र ऋण		52,907.08	66,749.51	78,712.46	92,714.22	99,172.89
2	लोक ऋण	आंतरिक ऋण	36,690.44	49,553.83	60,382.67	70,538.81	71,186.62
	भारत सरकार से प्राप्त ऋण		2,339.57	2,700.39	2,764.05	6,169.30	11,726.15
3	लोक लेखे की देयतायें		13,877.07	14,495.29	15,565.74	16,006.11	16,260.12
4	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)		19.54	26.16	17.92	17.79	6.97
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद		2,82,266	3,27,693	3,44,571	3,52,161	4,00,061
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)		7.41	16.09	5.15	2.20	13.60
7	ऋण / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		18.74	20.37	22.84	25.44 ⁹	22.77 ¹⁰

⁹ कुल बकाया ऋण (₹92,714.22 करोड़) से बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) की राशि को छोड़कर, कुल ऋण ₹89,605.22 पर ऋण जीएसडीपी अनुपात की गणना करोड़ की गई है।

¹⁰ कुल बकाया ऋण (₹99,172.89 करोड़) से बैंक टू बैंक ऋण ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) की राशि को छोड़कर, कुल ऋण ₹91,098.74 करोड़ पर ऋण जीएसडीपी अनुपात की गणना की गई है।

8	कुल प्राप्त ऋण ¹¹	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36
9	कुल ऋण का पुनर्भुगतान	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11	21,657.37
10	कुल उपलब्ध ऋण	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76	6,506.99
11	ऋण पुनर्भुगतान / ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	45.44	33.39	62.52	58.11	76.90

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


ऊपर दिखाए गए बकाया समग्र ऋण की राशि में राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ (2020–21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021–22 में ₹4,965.15 करोड़) का बैक टू बैक ऋण शामिल है। मार्च 2022 तक बैक टू बैक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹91,098.74 करोड़ होगा। बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर 2020–21 में 17.79 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 6.97 प्रतिशत हो गई। 2021–22 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियों में ₹5,259.51 करोड़ (15.74 प्रतिशत) की कमी आई और कुल ऋण पुनर्भुगतान में ₹2,235.26 करोड़ (11.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021–22 को छोड़कर जहां जीएसडीपी की वृद्धि दर बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर से अधिक थी, सभी पांच वर्षों में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी।

राज्य शासन के पास 31 मार्च 2022 तक ₹99,172.89 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अलावा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए ₹3,872.80 करोड़ की शुद्ध आफ बजट देनदारियां/उधार हैं। राज्य शासन ने बजट दस्तावेज के साथ एफआरबीएम प्रकटीकरण के तहत आवश्यक इन उधारों का खुलासा नहीं किया है।

ऋण का घटक—वार विवरण नीचे चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.19: वर्ष 2021–22 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2021–22


आंतरिक ऋण (₹71,186.62 करोड़), जो कि मुख्यतः राज्य विकास ऋण (एसडीएल) को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 72 प्रतिशत था।

¹¹ लोक लेखा दायित्व सहित

चार्ट 2.20 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.20: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 के दौरान, राज्य शासन के समग्र ऋण के तहत आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2017–18 में ₹9,187.89 करोड़ से ₹133.88 करोड़ बढ़कर 2021–22 में ₹9,321.77 करोड़ हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में इसमें ₹8,639.60 करोड़ की कमी आई। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने अपने आंतरिक ऋण प्राप्तियों का 92.53 प्रतिशत पिछले आंतरिक ऋण के पुनर्भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप व्यय के लिए केवल 7.45 प्रतिशत ही उपलब्ध था। यह उपलब्धता 2021–22 में सबसे कम (7.45 प्रतिशत) और 2018–19 में उच्चतम (93.10 प्रतिशत) थी।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शोष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.30 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.30: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व घाटा (–)/आधिक्य(+) शुद्ध पूँजीगत व्यय	3,417.32	683.76	(–)9,608.61	(–)6,856.66	4,642.02
2	शुद्ध ऋण तथा आग्रिम ¹²	(–)9,997.64	(–)8,898.19	(–)8,561.69	(–)9,019.34	(–)10,499.33
	योग	(–)6,810.32	(–)8,292.23	(–)17,969.55	(–)15,822.38	(–)6,093.10
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप						
1	बजार से लिए गए उधार	8,100.00	12,899.99	10,980.00	10,500.00	999.99
2	भारत सरकार से ऋण	292.41	360.82	63.66	3,405.25	5,556.85

¹² अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित निवल ऋण और अग्रिम

3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(-)431.13	(-)443.74	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	691.28	407.14	304.72	112.02	239.03
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	640.61	754.51	785.26	403.73	(-)0.90
6	जमा तथा अग्रिम	120.95	(-)231.39	(-)524.14	501.82	(-)204.13
7	उचंत तथा विविध	(-)1,611.16	(-)5,709.95	4,505.27	1,845.02	109.64
8	प्रेषण	70.92	(-)122.43	80.79	(-)51.08	(-)6.83
9	आरक्षित निधि	(-)765.14	60.40	814.16	(-)465.18	453.53
10	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)87.01
11	कुल घाटा	7,108.74	7,975.35	16,553.84	15,795.70	6,604.29
12	रोकड़ शेष में (-)वृद्धि / (+)कमी	(-)298.42	(+)316.88	(+)1,415.71	(+)26.68	(-)511.19
सकल राजकोषीय घाटा		6,810.32	8,292.23	17,969.55	15,822.38	6,093.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021–22 के दौरान, केंद्र सरकार से राज्य शासन द्वारा जुटाए गए ऋण और अग्रिम (₹5,556.85 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने में योगदान दिया और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 91.20 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.31 में दिखाया गया है।

तालिका 2.31: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए उधार	3,999.99	3,000.00	999.99
2	भारत सरकार से ऋण	5,776.51	219.66	5,556.85
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.88	(-)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,104.27	865.24	239.03
5	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	87.01	(-)87.01
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,648.18	1,649.08	(-)0.90
7	जमा तथा अग्रिम	4,226.54	4,430.67	(-)204.13
8	उचंत तथा विविध	1,45,828.19	1,45,718.55	109.64
9	प्रेषण	8,877.41	8,884.24	(-)6.83
10	आरक्षित निधि	7,779.21	7,325.68	453.53
11	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
12	कुल घाटा	1,79,240.30	1,72,636.01	6,604.29
13	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	0.00	511.19	(-)511.19
14	सकल राजकोषीय घाटा	1,79,240.30	1,73,147.20	6,093.10

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2.6.3 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई तालिका 2.32 राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.32: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
1	0 से 1	5,652.58	354.80	6,007.38	7.24
2	1 से 3	16,250.73	497.59	16,748.32	20.20
3	3 से 5	20,980.66	373.85	21,354.51	25.76
4	5 से 7	19,426.37	363.19	19,789.56	23.87
5	7 और उससे अधिक	8,720.30	2,061.14	10,781.44	13.00
6	अन्य ¹³	155.97	8,075.58	8,231.55	9.93
योग		71,186.62	11,726.15	82,912.77	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

31 मार्च 2022 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 77.07 प्रतिशत भुगतान करना है।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता को राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण को चुकाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता का निर्धारण करते हैं और राज्य की ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का संकेत देते हैं। यह खंड सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन बकाया ऋण की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों का अनुपात; राज्य को शुद्ध ऋण उपलब्ध के संदर्भ में आकलन करता है।

तालिका 2.33 इन संकेतकों के अनुसार 2017–18 से 2021–22 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.33: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	बकाया लोक ऋण*	39,030.01	52,254.22	63,146.72	76,659.79 ¹⁴	82,912.77 ¹⁵
2	लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.48	33.88	20.85	21.40	8.16
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,82,266	3,27,693	3,44,571	3,52,161	4,00,061
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60

¹³ परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है।

¹⁴ राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में प्रदान किया गया ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

¹⁵ राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

5	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.83	15.95	18.33	20.89 ¹⁶	18.71 ¹⁷
6	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.52	6.79	7.42	7.19	7.35
7	राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	4.37	4.76	6.70	7.78	6.85
8	ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	10.36	7.97	44.39	37.16	58.58
9	राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण #	6,044.56	10,126.19	6,610.26	8,645.96	799.18
10	ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध ऋण उपलब्ध	62.62	70.47	33.75	40.06	5.29
11	प्राथमिक घाटा	(-)3,711.99	(-)4,639.69	(-)12,999.19	(-)10,189.27	51.14
12	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड [@] /+ प्राथमिक घाटा)	(-)3,752.99	219.95	(-)14,432.62	(-)13,859.45	4,728.55

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003—आंतरिक ऋण और 6004—केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।

राज्य शासन के पास उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

@ क्वांटम स्प्रेड = ऋण * ब्याज स्प्रेड ; जहाँ ब्याज स्प्रेड = जीएसडीपी विकास दर – औसत ब्याज दर/वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए क्वांटम स्प्रेड की गणना के लिए क्रमशः ₹3,109 और ₹8,074.15 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ऋण और औसत ब्याज दर ली गई है।

ऋण स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लोक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हों या मामूली नकारात्मक हों।

ब्याज स्प्रेड (जीएसडीपी विकास दर – औसत ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण * ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात अंततः गिर जाएगा।

- वर्ष 2017–18 और 2019–21 के दौरान जीएसडीपी अनुपात में ऋण बढ़ रहा था क्योंकि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक था और इसलिए ऋण स्थिरीकरण की शर्त को पूरा नहीं कर सका। हालांकि 2021–22 के दौरान, अर्थव्यवस्था की विकास दर (जीएसडीपी की वृद्धि दर) सार्वजनिक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी अनुपात में ऋण कम हो गया और ऋण स्थिरीकरण के लिए आवश्यक शर्त पूरी हो गई।
- ब्याज भुगतान का उच्च प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम धन छोड़ता है। राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत एक निश्चित अवधि के दौरान अपने ऋण पर ब्याज का

¹⁶ ऋण/जीएसडीपी की गणना ₹76,659.79 करोड़ के कुल लोक ऋण से ₹3,109 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ₹73,550.79 करोड़ पर की गई है।

¹⁷ ऋण/जीएसडीपी की गणना ₹82,912.77 करोड़ के कुल लोक ऋण से ₹8,074.15 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ₹74,838.62 करोड़ पर की गई है।

भुगतान करने के लिए सरकार की सुरक्षा के मार्जिन को मापता है। वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक राजस्व प्राप्ति की तुलना में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। हालांकि, 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्ति के लिए लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की 7.78 प्रतिशत की तुलना में घटकर 6.85 प्रतिशत हो गया।


- 2020–21 में 40 प्रतिशत (₹8,645.96 करोड़) के मुकाबले 2021–22 में उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण का प्रतिशत घटकर पांच प्रतिशत (₹799.18 करोड़) हो गया। राज्य की निवल ऋण उपलब्धता में कमी ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।
- वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान पर औसत व्यय (लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान) ₹9,612.78 करोड़ था, जो इसी अवधि के दौरान औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹16,058.01 करोड़) का 59.86 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है ऋण का एक बड़ा प्रतिशत उत्पादकता के बजाय ऋण सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

मार्च 2022 के अंत में राज्य सरकार की कुल बकाया गारंटी (₹19,523.54 करोड़) राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों का 65.02 प्रतिशत थी। चूंकि राज्य ने गारंटी मोचन कोष (जीआरएफ) नहीं बनाया है, इसलिए उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा चूक के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी को बजट प्रावधान के माध्यम से पूरा किया जाएगा जो राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।

नीचे चार्ट 2.21 ऋण/जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में राज्य शासन के ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

चार्ट 2.21: ऋण स्थिरता संकेतकों के प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: 2020–21 और 2021–22 में बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण की गणना गई है।

2.7.1 आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति

राज्य शासन के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य शासन विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार

लेती है। वर्तमान ऋण देनदारियों पर अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया ऋण स्टॉक का मूलधन और ब्याज नीचे तालिका 2.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.34: अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)		
		राज्य शासन के आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	योग
1	2021–22	8,625.64	219.66	8,845.30
2	2022–23	5,652.58	354.80	6,007.38
3	2023–24	7,204.78	294.16	7,498.94
4	2024–25	9,045.96	203.42	9,249.38
5	2025–26	10,800.46	189.02	10,989.48
6	2026–27	10,180.20	184.83	10,365.03
7	2027–28	11,870.44	184.80	12,055.24
8	2028–29	7,555.93	178.40	7,734.33
9	2029–30	7,981.26	162.46	8,143.72
10	2030–31	256.48	143.18	399.66
11	2031–32	120.44	133.70	254.14
योग		79,294.17	2,248.43	81,542.60

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹8,625.64 करोड़ और केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों के विरुद्ध ₹219.66 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान किया। इसके अलावा, राज्य शासन को 2022–23 से 2031–32 तक आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹70,668.53 करोड़ और केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों और अग्रिमों के ₹2,028.77 करोड़ की मूलधन अदायगी करनी होगी। पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋणों का बकाया मूलधन और ब्याज नीचे तालिका 2.35 में दिखाया गया है।

तालिका 2.35: पुनर्भुगतान के लिए बकाया मूलधन और बाजार ऋणों का ब्याज

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	वर्ष	पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋण		
		मूलधन	ब्याज	योग
1	2021–22	3,000.00	4,697.32	7,697.32
2	2022–23	4,200.00	4,589.64	8,789.64
3	2023–24	5,700.00	3,949.77	9,649.77
4	2024–25	7,500.00	3,525.19	11,025.19
5	2025–26	9,550.00	2,733.74	12,283.74
6	2026–27	9,200.00	2,334.75	11,534.75
7	2027–28	11,100.00	1,449.69	12,549.69
8	2028–29	7,000.00	769.08	7,769.08
9	2029–30	7,680.00	558.28	8,238.28
योग		64,930.00	24,607.46	89,537.46

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के दौरान बाजार ऋणों के विरुद्ध ₹3,000.00 करोड़ की मूलधन अदायगी और ₹4,697.32 करोड़ की ब्याज अदायगी की। इसके अलावा, राज्य शासन को 2022–23 से 2029–30 तक बाजार ऋणों के खिलाफ ₹61,930.00 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान और ₹19,910.14 करोड़ का ब्याज पुनर्भुगतान करनी होगी। ₹61,930.00 करोड़ का बाजार ऋण कुल लोक ऋण–मूल घटक ₹72,697.30 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा (85.19 प्रतिशत) है। बकाया बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.22 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.22: पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि बकाया वर्ष वार पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है, राज्य शासन को आने वाले वर्षों में बढ़ते ऋण पुनर्भुगतान बोझ को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पैंची निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना धारणीय/स्थिर नहीं है। 2017–18 से 2021–22 के दौरान उधार ली गई राशि के उपयोग का विवरण और प्रवृत्ति तालिका 2.36 में दिया गया है।

तालिका 2.36: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	कुल उधारियाँ ¹⁸	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36
2	पूर्व उधारियों का पूनर्भुगतान (मूलधन)	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11	21,657.37
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76	6,506.99
4	निवल पूँजीगत व्यय	(–)9,997.64	(–)8,898.19	(–)8,561.69	(–)9,019.34	(–)10,499.33
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	(–)230.00	(–)77.80	200.75	53.62	(–)235.79
6=1-2-3-4	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	निरंक	निरंक	3,602.01	5,036.04	निरंक
7	रोकड़ शेष में अधिशेष उधार	निरंक	4,836.66	निरंक	निरंक	निरंक

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.36 से पता चलता है कि 2021–22 के दौरान उधार पूँजीगत खाते पर व्यय से कम था, यानी लोक ऋण, पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान, जिसका अर्थ है कि पूँजीगत खाते पर व्यय का एक हिस्सा राजस्व अधिशेष से पूरा किया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान, उधार ली गई राशि का 77 प्रतिशत पहले के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया और केवल 23 प्रतिशत विकास गतिविधियों के लिए शेष रह गया। 2021–22 के दौरान, कुल उधारी 2020–21 में ₹33,423.87 करोड़ से ₹5,259.51 करोड़ (15.74 प्रतिशत) कम होकर 2021–22 में ₹28,164.36 करोड़ हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में पहले के उधारों की पुनर्भुगतान में ₹2,235.26 करोड़ (11.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है। राज्य शासन की कुल बकाया गारंटी पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की बकाया गारंटियों का विवरण तालिका 2.37 में दिया गया है।

तालिका 2.37: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	गारंटी	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2021–22
1	गारंटियों की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा*	17,230.12	18,364.57	20,391.20	30,051.62	30,026.15
2	गारंटी की बकाया राशि	3,881.92	10,769.42	18,459.36	19,836.13	19,523.54

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटियां नियमावली, 2003 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की कुल बकाया राशि गत वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्र प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर (जुलाई 2020) शत प्रतिशत कर दिया गया।

31 मार्च 2021 तक राज्य शासन ने विभिन्न संस्थाओं को ₹19,836.13 करोड़ के ऋण की गारंटी दी। वर्ष 2021–22 के दौरान, पुनः ₹661.25 करोड़ राशि की और गारंटी दी। वर्ष के दौरान ₹973.84 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जिससे मार्च 2022 के अंत में ₹19,523.54 करोड़ की गारंटी बकाया थी।

¹⁸ लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त कई संस्थाओं ने सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी गारंटी के आधार पर ऋण के माध्यम से धन जुटाया। ये संस्थाएँ या तो घाटे में चल रही हैं और/या सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा किए गए ऐसे पांच मामलों में पता चला कि राज्य शासन बजट के माध्यम से ऋण और उस पर ब्याज चुका रही है, इस प्रकार सरकार पर बोझ स्थानांतरित कर रही है।

मार्च 2022 के अंत में बकाया गारंटियां (₹19,523.54 करोड़) पिछले वर्ष की राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों¹⁹ का 65.02 प्रतिशत थी (यानी 2020–21 में ₹30,026.15 करोड़) जो 100 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क ₹76.00 करोड़ के विरुद्ध ₹73.50 करोड़ प्राप्त हुए तथा अटल नगर विकास प्राधिकरण को दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क (₹2.50 करोड़) प्राप्त नहीं हुए।

2.7.4 रोकड़ शेष की प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049—ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है। तालिका 2.38 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.38: रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	01 अप्रैल 2021 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2022 की स्थिति में अंतिम शेष
1	(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
2	कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
3	रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,121.67	(-)610.48
4	अन्य बैंक में जमा	0.00	0.00
5	मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
6	योग	(-)1,121.67	(-)610.48
7	“रोकड़ शेष निवेश लेखा” में किया गया निवेश	3,389.68	3,345.39
8	योग (अ)	2,268.01	2,734.91
9	(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
10	विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	11.95	12.10
11	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
12	विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,181.07	7,174.27
13	योग (ब)	7,193.36	7,186.71
14	योग (अ) तथा (ब)	9,461.37	9,921.62
15	अर्जित ब्याज	29.66	28.23

स्रोत : वित्त लेखे 2021–22

¹⁹ राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर राजस्व और गैर-कर राजस्व शामिल हैं।

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का रोकड़ शेष 2020–21 में ₹9,461.37 करोड़ से ₹460.25 करोड़ बढ़कर 2021–22 में ₹9,921.62 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹0.72 करोड़ की आवश्यक न्यूनतम रोकड़ शेष राशि बनाए रखनी है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। जबकि राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी तरह से अर्थोपाय अग्रिम का लाभ नहीं उठाया है, इसने भारतीय रिजर्व बैंक से ₹4,217.51 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठाया है। पाँच वर्ष की अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश तालिका 2.39 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	रोकड़ शेष निवेश			
		प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि / कमी	अर्जित ब्याज
1	2017–18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20
2	2018–19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33
3	2019–20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10
4	2020–21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66
5	2021–22	3,389.68	3,345.39	(-)44.29	28.23


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अन्तिम शेष की स्थिति वर्ष 2017–18 में ₹4,070.85 करोड़ से वर्ष 2021–22 में ₹3,345.39 करोड़ की अंतर–वर्ष उतार–चढ़ाव के साथ ₹725.46 करोड़ घट जाती है।

नीचे चार्ट 2.23 में 2017–22 की अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा प्राप्त रोकड़ शेष और बाजार ऋण की तुलना की गई है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋण की तुलना में रोकड़ शेष

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन ने 31 मार्च 2022 को सामान्य रोकड़ शेष से भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में ₹3,345.39 करोड़ का निवेश किया। 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने रोकड़ शेष के निवेश पर ₹28.23 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया और 6.64 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ₹3,999.99 करोड़ के बाजार ऋण जुटाए।

बड़ी मात्रा में रोकड़ शेष का निर्माण राज्य शासन के लिए ब्याज लागत के बोझ को बढ़ाता है। राज्य शासन इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ शेष का उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने वर्ष 2021–22 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 26.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। स्वयं के कर राजस्व में 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करत्तर राजस्व में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजटीय अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सका।

राज्य शासन ने राजस्व आधिकार्य (₹4,642.02 करोड़) का लक्ष्य हासिल किया और 2021–22 के दौरान, जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात (1.52 प्रतिशत) एफआरबीएम/एमटीएफपी के तहत निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 7.11 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में इसका हिस्सा केवल 12 प्रतिशत था। जबकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.75 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय वर्ष 2021–22 में जीएसडीपी का 2.63 प्रतिशत था। राज्य शासन द्वारा पूँजीगत व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2021–22 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।

राज्य का ऋण–जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2020–21 में 25.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 22.77 प्रतिशत हो गया, जिसका एफआरबीएम/एमटीएफपीएस के तहत 28.34 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। जीएसडीपी विकास दर की तुलना में लोक ऋण पर औसत ब्याज दर कम होने के कारण वर्ष 2021–22 के दौरान ऋण स्थिरीकरण में वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों के लिए लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत भी वर्ष 2020–21 के 7.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 6.85 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2020–21 में 40 प्रतिशत (₹8,645.96 करोड़) के मुकाबले वर्ष 2021–22 में उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध लोक ऋण का प्रतिशत घटकर पाँच प्रतिशत (₹799.18 करोड़) हो गया। राज्य की निवल ऋण उपलब्धता में कमी ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

वर्ष 2021–22 में राजस्व व्यय के प्रति प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2020–21 के 60.08 प्रतिशत से घटकर 58.92 प्रतिशत हो गया।

राज्य शासन ने सरकार द्वारा जारी गारंटियों में से उधार लेने वाली एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में उत्पन्न ऋण चुकाती दायित्व को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं किया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने संचित निष्केप निधि में कम अंशदान हस्तांतरित किया, जो बकाया देनदारियों का 0.32 प्रतिशत था, जबकि न्यूनतम आवश्यक योगदान कम से कम 0.50 प्रतिशत था।

2.9 अनुशंसाएं

क. राज्य शासन को अपने प्रतिबद्ध व्यय को युक्तिसंगत बनाने के तरीकों का पता लगाना चाहिए ताकि विकास व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके।

ख. राज्य शासन को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना चाहिए।

ग. सरकार को पूँजी परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को सक्षम करने के लिए शीघ्र उपाय शुरू करने चाहिए।

तृतीय अध्याय

बजटीय प्रबंधन

तृतीय अध्याय : बजटीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की अखंडता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है और यह आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विपथन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

3.2 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने के लिए एक उपकरण है। छत्तीसगढ़ शासन बजट के लिए एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। बजट तैयार करने में राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया मुख्यतः निम्नानुसार है –

❖ वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग केन्द्र और राज्य शासन द्वारा नीतिगत घोषणाओं पर विचार करते हुए पिछले प्रवृत्तियों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रारंभिक आकलन करता है और जो किसी भी हाल के घटनाक्रम संसाधन उपलब्धता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

❖ अनुमानित संसाधनों की मात्रा के आधार पर वित्त विभाग वित्तीय वर्ष के लिए शासकीय व्यय का वहनीय स्तर निर्धारित करता है।


❖ बजट परिपत्र में विभागों द्वारा तैयार किए जाने वाले अनुमानों को प्रस्तुत करने और समीक्षा के लिए तारीखों का कैलेन्डर शामिल है। इसके साथ जेण्डर, चाइल्ड, कृषि और परिणामी बजट की तैयारी के लिए प्रक्रियात्मक विवरण शामिल किये गये हैं।

❖ इसके बाद वित्त विभाग भारत के नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य के वित्तीय संसाधनों का विस्तृत आकलन करता है। इन अनुमानों में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के विभिन्न अदानों को भी शामिल किया गया है। स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संसाधनों का एक अनुमान भी बनाया जाता है। विभागों से व्यय के बजट अनुमान प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग इन अनुमानों की छानबीन करता है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान करता है जिसके लिए यह विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करता है।

इस प्रकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को निर्धारित प्रारूपों में संकलित किया जाता है, जिनमें उन्हें विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राज्य के संचित निधि से व्यय के लिए अनुमोदन के लिए अपना वार्षिक बजट और अनुदान/विनियोजन की मांगों को प्रस्तुत किया जाता है। मूल बजट राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन विनियोजन की विभिन्न इकाईयों से निधियों का पुर्णविनियोजन/पुनः आबंटन भी करती है, जहाँ बचत प्रत्याशित है, उन इकाईयों को जहाँ वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की परिकल्पना (अनुदान/विनियोग के अंदर) की जाती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि को नीचे दिए गये चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: वर्ष 2021–22 में छत्तीसगढ़ के बजट एवं व्यय का सारांश



3.3 वित्तीय जबाबदेही और बजट की समीक्षा

3.3.1 जेण्डर बजट

जेण्डर बजट कुल बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं के विकास में सहायता के लिए बनाया गया है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) महिला-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित और (2) महिला समर्थक योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित है।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने 23 योजनाओं के लिए ₹530.85 करोड़ (केवल मूल बजट) प्रावधनित किया जो 100 प्रतिशत महिला केन्द्रित योजनाओं के लिए है। कुल बजट ₹530.85 करोड़ में से, केवल ₹471.58 करोड़ (88.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया और शेष ₹59.27 करोड़ (11.17 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिखाया गया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने 114 योजनाओं के लिए ₹13,296.86 करोड़ का बजट प्रावधान किया, जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिला केन्द्रित कार्यों पर व्यय किया जाना था जिसका विशिष्ट उप-शीर्षों या उद्देश्य शीर्षों का विवरण प्रदान नहीं किया गया। जिस कारण महिला केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

3.3.2 युवा बजट

युवा बजट समग्र बजट का हिस्सा है और युवाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है—(1) युवा-विशिष्ट योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है, और (2) युवा समर्थक योजनाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत बजट प्रावधान युवाओं से संबंधित है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने 50 योजनाओं के लिए ₹1,464.64 करोड़ (मूल बजट ₹1,419.84 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹44.80 करोड़) प्रावधान किया, जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है। ₹1,464.64 करोड़ के कुल बजट में से केवल ₹719.73 करोड़ (49.14 प्रतिशत) का व्यय किया गया और ₹744.91 करोड़ (50.86 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पुनर्विनियोजित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिखाया गया है।

कुल 51 योजनाओं के लिए ₹2,866.37 करोड़ का बजट प्रावधान जिसमें बजट का एक हिस्सा (न्यूनतम 50 प्रतिशत) युवा केन्द्रित कार्यों पर वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय किया जाना था, जिसके लिये विशिष्ट उप-शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष निर्दिष्ट नहीं किया गया। जिस कारण युवा-केन्द्रित योजनाओं पर व्यय की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

3.3.3 कृषि बजट

इस बजट में कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ-साथ इन गतिविधियों पर होने वाले व्यय की जानकारी भी शामिल है।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने 13 विभागों¹ के अंतरगत 261 कृषि योजनाओं के लिए ₹19,313.63 करोड़ (मूल बजट ₹18,513.39 करोड़ और अनुपूरक बजट ₹800.23 करोड़) का बजट प्रावधान किया। इस कुल बजट में से ₹16,046.29 करोड़ (83.08 प्रतिशत) का व्यय और शेष ₹3,267.34 करोड़ (16.92 प्रतिशत) या तो समर्पित किया गया या पूर्वविनियोजित किया गया।

3.3.4 चाइल्ड बजट

राज्य सरकार ने राज्य में लगभग 80 लाख बच्चों को पर्याप्त बजट प्रदान करने के लिए पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया है। बच्चों और किशोरों में निवेश वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है और कुशल खर्च यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए और संरक्षित किया जाए। छत्तीसगढ़ ने इसे 2030 तक अपने सी.जी.एस.डी.जी. (छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य) में भी शामिल किया है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने छह विभागों² के तहत 45 योजनाओं के लिए बजट में ₹3,532.55 करोड़ रुपये प्रदान किया। इसमें से ₹51.45 करोड़ रुपये का बजट 11 योजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जो 100 प्रतिशत बाल-केंद्रित हैं। ₹25.85 करोड़ (50.24 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष ₹25.60 करोड़ (49.76 प्रतिशत) को या तो समर्पित कर दिया गया या पूर्वविनियोजित किया गया।

3.3.5 मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार ने ₹1,256.15 करोड़ के आवंटन के साथ कुल 47 प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं की घोषणा की। इन प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं में से, इसने विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए सात प्रमुख नीतिगत पहलों/नई योजनाओं (एक करोड़ और अधिक) के तहत कुल ₹37.10 करोड़ का बजट प्रदान किया, जिसमें वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था और समस्त राशि या तो समर्पित या पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसका मुख्य कारण शासन द्वारा धनराशि जारी न किया जाना/कम किया जाना, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, कार्यों का अनुमोदित न होना आदि था। विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिखाया गया है।

3.4 विनियोग लेखा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया है जो विनियोग अधिनियम

¹ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत और ग्रामीण विभाग, वन विभाग, उर्जा विभाग, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, आयाकाट विभाग, ग्रामीण उद्योग विभाग

² श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग

के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है और जो व्यय संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने के लिए आवश्यक हो वह व्यय भारित किया गया है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यय जिस प्रकार किया गया है वह व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

3.4.1 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2021–22 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध अनुपूरक बजट सहित मूल बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत के सारांश की स्थिति तालिका 3.1 दर्शायी गई है।

तालिका 3.1: बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	व्यय	बचत (-)	आधिक्य (+)	माह मार्च में किये गये समर्पण की राशि
दरमत	राजस्व	78,002.98	3,313.30	81,316.28	69,557.86	-12,348.56 (15.19)	590.14 (0.73)	12,248.64 (99.19)
	पूँजीगत	14,582.88	1,358.33	15,941.21	10,875.25	-5,066.23 (31.78)	0.27	5,058.31 (99.85)
	ऋण तथा अग्रिमों	304.75	68.00	372.75	336.33	-36.42 (9.77)	0.00	94.60 (259.77)
	कुल दरमत	92,890.61	4,739.63	97,630.24	80,769.45	-17,451.21 (17.87)	590.41 (0.60)	17,401.55 (99.72)
भारित	राजस्व	6,924.57	346.93	7,271.50	6,736.85	-535.07 (7.36)	0.42 (0.01)	533.68 (99.74)
	पूँजीगत	21.19	0.00	21.19	16.82	-4.37 (20.58)	0.00	4.36 (100.00)
	लोक ऋण	5,376.37	0.00	5,376.37	8,845.29	0.00	3,468.93 (64.52)	0.00
	कुल भारित	12,322.12	346.93	12,669.05	15,598.97	-539.44 (4.26)	3,469.35 (27.38)	538.04 (99.74)
कुल योग		1,05,212.73	5,086.56	1,10,299.29	96,368.41	-17,990.65 (16.31)	4,059.76 (3.68)	17,939.59 (99.72)


स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2021–22

कुल बचत ₹17,990.65 करोड़ (कुल अनुदान/विनियोग का 16.31 प्रतिशत) थी, और ₹18,509.20 करोड़ समर्पित किया गया था। कुल समर्पित राशि ₹18,509.20 करोड़ में से ₹17,939.59 करोड़ (96.92 प्रतिशत) की राशि को मार्च के महीने में समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकास उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग की कोई संभावना नहीं रह गयी। चुंकि शासन मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी, इसलिए ₹5,086.56 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ।

3.4.2 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य द्वारा बजटीय निधि का उपयोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उप-युक्ततम रहा है, वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान बजट के उपयोग की सीमा नीचे चार्ट 3.2 में दर्शायी गई है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान बजट का उपयोग



स्रोत : संबंधित वर्षों के विविध लेखे

बजट के उपयोग का प्रतिशत 2017–18 में 78.68 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 के दौरान 87.37 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, धन का उपयोग 2020–21 में 81.22 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में कुल बजटीय प्रावधान का 87.37 प्रतिशत हो गया। फंड के उपयोग में यह वृद्धि मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे अनलॉक होने के कारण हुई थी। मुख्य रूप से चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य और सामान्य शिक्षा में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नए कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के कारण पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की अखंडता पर टिप्पणियां

3.5.1 राजस्व व्यय के रूप में पूँजीगत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)—2 यह निर्धारित करता है कि अनुदानकर्ता द्वारा वितरित सहायता अनुदान और अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरणों में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत और लेखांकन किया जायेगा, भले ही जिन उद्देश्यों के लिये धन का वितरण किया गया हो। केवल भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्रकरणों में इन पर शासन के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत शीर्ष लेखे में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखे नियम 1990 के नियम 30 और मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता खड़—एक (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) की कंडिका 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूँजीगत अनुभाग या राजस्व अनुभाग के शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए या नहीं।

पूँजीगत खंड में वर्गीकृत की जाने वाली पूँजी प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर एक भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय या स्थानीय निकायों या संस्थानों को संपत्ति बनाने के उद्देश्य से सहायता अनुदान पर व्यय, जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों से संबंधित होगा, को आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, छत्तीसगढ़ शासन ने पूँजीगत खंड के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान किए गए ₹2,227.04 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए और सहायता अनुदान को गलत

तरीके से वर्गीकृत किया। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान का व्यय तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।


तालिका 3.2: पूँजीगत व्यय के रूप में सहायता अनुदान के वर्गीकरण का विस्तार

(₹ करोड़ में)

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान	2,359.39	1,998.74	1,939.61	1,865.85	2,227.04
कुल पूँजीगत व्यय	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19	10,504.22
पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान के अंश (%)	23.59	22.45	22.64	20.68	21.20

स्रोत : संबंधित वर्षों के बित्त लेखे

चार्ट 3.3: पूँजीगत व्यय में सहायता अनुदान का अंश



स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

3.5.2 अनावश्यक एवं अत्याधिक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा ₹5,086.56 करोड़ के तीन अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गयी। इन अनुपूरक आबंटन के उपयोग के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 26 अनुदान/विनियोग से संबंधित 31 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक के पूरक प्रावधान ₹2,597.12 करोड़ प्राप्त हुए जो पूरी तरह से अनावश्यक साबित हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दर्शाया गया है।

कुल 17 अनुदानों/विनियोगों में मूल बजट प्रावधान में से ₹100 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत थी, फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: ऐसे प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान से ₹100 करोड़ और अधिक बचत थी फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किये गये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	
						राशि	प्रतिशत
राजस्व (दत्तमत)							
1	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	346.18	5.87	159.28	-186.90	53.99
2	03	पुलिस	5,073.18	15.83	4,471.03	-602.15	11.87
3	08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	918.94	201.00	806.38	-112.56	12.25
4	23	जल संसाधन विभाग	620.31	3.11	474.32	-145.99	23.54
5	27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	4,586.48	-553.77	10.77
6	29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	478.05	9.71	364.16	-113.89	23.82

7	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3,049.75	160.79	2,024.41	-1,025.34	33.62
8	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	2,333.05	41.50	2,024.51	-308.53	13.22
9	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	16,242.98	601.19	13,884.41	-2,358.57	14.52
10	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	1,016.19	6.65	748.67	-267.53	26.33
11	64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	4,489.82	-646.90	12.59
12	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—शहरी	895.12	258.62	774.38	-120.74	13.49
13	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	903.03	7.00	672.67	-230.35	25.51
कुल राजस्व दत्तमत			42,153.75	1,747.56	35,480.52	-6,673.23	15.83
पूँजीगत (दत्तमत)							
14	08	भू—राजस्व एवं जिला प्रशासन	231.89	4.00	4.86	-227.03	97.90
15	23	जल संसाधन विभाग	519.16	0.12	232.25	-286.91	55.26
16	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	2,516.54	-716.50	22.16
17	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	785.44	0.01	307.90	-477.53	60.80
कुल पूँजीगत दत्तमत			4,769.53	399.32	3,061.56	-1,707.97	35.81
कुल योग			46,923.28	2,146.88	38,542.08	-8,381.20	17.86

स्रोत : विनियोग लेखे 2021–22

इसके अतिरिक्त, 20 उप—शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹193.36 करोड़ की राशि के एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.4 में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता के वास्तविक अनुमान के बिना किए गए थे और यह गुणहीन बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.4: विवरण जहाँ संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान (एक करोड़ और अधिक) अनुपयोगी रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान
1	03— 2055— 1— 7811— डायल 100 / 112	45.00	1.00	46.00
2	03— 4055— 208— 101— 2629— पुलिस	82.00	1.00	83.00
3	17— 4425— 200— 311— 8545— नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	0.00	3.92	3.92
4	19— 2210— 1— 2283— निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन, बुनियादी सेवाएं)	0.20	1.03	1.23
5	19— 2210— 200— 101— 6362— डाक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	275.00	50.00	325.00
6	41— 2202— 109— 702— 8979— एकीकृत अम्बेला योजना	72.00	4.80	76.80
7	41— 2202— 112— 702— 6933— मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	58.96	8.78	67.74
8	41— 2210— 101— 6390— मुख्यमंत्री हाट बाजार वित्तनिक योजना	1.90	1.33	3.23
9	41— 2408— 102— 102— 8674— राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्य खरीद में किए गए व्यय का मुआवजा	115.57	31.54	147.11
10	41— 2501— 102— 702— 7490— राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	152.00	26.01	178.01
11	41— 4425— 200— 312— 8545— नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण	0.00	1.09	1.09
12	41— 4702— 101— 102— 3828— लघु सिंचाई योजनाएं	250.00	3.60	253.60
13	45— 4702— 101— 101— 3803— लघु और सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाएं	199.80	1.01	200.81
14	64— 2202— 112— 703— 6933— मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	35.80	5.33	41.13
15	64— 2202— 109— 103— 7363— युवा कैरियर विकास योजना	0.45	3.00	3.45
16	64— 4225— 102— 603— 7626— विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	51.77	4.00	55.77
17	64— 4702— 102— 103— 5059— एनीकट / स्टॉप डेम का निर्माण	20.00	11.92	31.92

18	79— 4210— 110— 101— 6385— मेडिकल कॉलेज संलग्न अस्पताल	1.20	2.00	3.20	
19	79— 4210— 105— 101— 6386— मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	1.50	2.00	3.50	
20	79— 4210— 105— 101— 6386— मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	3.50	30.00	33.50	
कुल			1,366.65	193.36	1,560.01

स्रोत : विनियोग लेखे 2021–22

3.5.3 अनावश्यक या अत्याधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग में, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, अनुदान में एक इकाई (राजस्व—दत्त, राजस्व—भारित, पूँजी—दत्त, पूँजी—भारित) जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है वहाँ धन का हस्तांतरण होता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 8 अनुदानों से संबंधित 15 प्रकरणों में, पुनर्विनियोजन के बाद अतिरिक्त/बचत थी, जैसा कि तालिका 3.5 में विस्तृत है, यह दर्शाता है कि प्रशासन द्वारा पुनर्विनियोजन पर्याप्त आंकलन के बिना किए गए थे।

तालिका 3.5: अतिरिक्त/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान क्रमांक	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	समापक अधिक्य (+)/कमी (-)
33— 2202— 2— 110— 307— गैर—सरकारी संस्था का योगदान	0.10	0.00	8.88	8.98	0.00	-8.98
58— 2245— 2— 111— 7352— दुःखद परिवार को सहायता अनुदान	23.00	0.00	3.02	26.02	18.92	-7.10
45— 4702— 102— 101— 5059— एनीकट/स्टॉप डैम का निर्माण	100.00	0.00	20.89	120.89	120.07	-0.82
67— 2059— 1— 53— 3692— राज्य विधानमंडल	1.50	0.00	0.50	2.00	1.47	-0.53
67— 2059— 80— 1— 101— 2418— निष्पादन	2.00	0.00	0.75	2.75	2.29	-0.46
67— 2059— 80— 1— 101— 3300— सर्किल स्थापना	0.40	0.00	0.10	0.50	0.35	-0.15
67— 2059— 80— 1— 101— 3566— मुख्यालय स्थापना	0.40	0.00	0.10	0.50	0.37	-0.13
10— 2406— 2— 110— 2900— अभयारण्य क्षेत्र	3.00	0.00	0.77	3.77	3.68	-0.09
67— 2059— 80— 1— 101— 3300— सर्किल स्थापना	0.01	0.00	0.05	0.06	0.03	-0.04
33— 2202— 2— 109— 979— खेल परिसर	0.25	0.00	0.01	0.26	0.23	-0.03
66— 2225— 3— 102— 6749— राज्य पिछडा वर्ग आयोग	0.01	0.00	0.04	0.05	0.02	-0.03
08— 2053— 93— 1510— जिला प्रतिष्ठान	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	-0.02
58— 2245— 80— 1— 2304— निर्देशन और प्रशासन	0.07	0.00	0.01	0.08	0.06	-0.02
41— 2202— 2— 796— 109— 102— 1395— हॉस्टल	0.20	0.00	0.03	0.23	0.21	-0.01
41— 2202— 2— 796— 109— 102— 1395— हॉस्टल	0.10	0.00	0.03	0.13	0.12	-0.01

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2021–22

3.5.4 उप—शीर्षों के तहत संपूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

76 प्रकरणों में, 28 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न उप—शीर्षों में ₹10 करोड़ और उससे अधिक के सम्पूर्ण प्रावधान ₹5,027.45 करोड़ अप्रयुक्त रहें जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहाँ 100 करोड़ और उससे अधिक के बिना उपयोग किए गए बजट प्रावधान तालिका 3.6 में नीचे दिये गए हैं।

तालिका 3.6: बिना उपयोग बजट प्रावधान का विवरण ₹100 करोड़ और उससे अधिक

(₹ करोड़ में)

नाम	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान
30— 2216— 03— 105— 701— 7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	620.00	00.00	620.00
CH1— 6003— 110— 637— अर्थोपाय अग्रिम	581.88	00.00	581.88
41— 2216— 03— 796— 105— 702— 7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	456.00	00.00	456.00
CH2— 2049— 01— 101— 2199— नया बाजार ऋण	275.00	00.00	275.00
CH1— 6003— 110— 779— कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम	250.00	00.00	250.00
42— 5054— 04— 796— 337— 702— 7842— आर.आर.पी. चरण-II	230.00	00.00	230.00
30— 2215— 02— 107— 701— 7610— स्वच्छ भारत अभियान	200.00	00.00	200.00
41— 2215— 02— 796— 107— 702— 7610— स्वच्छ भारत अभियान	152.00	00.00	152.00
64— 2216— 03— 789— 105— 703— 7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	144.00	00.00	144.00
80— 2853— 02— 800— 101— 6299— ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को हस्तान्तरण	139.37	00.00	139.37
79— 4210— 03— 105— 701— 6386— मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	100.00	00.00	100.00
कुल	3,148.25	00.00	3,148.25

स्रोत : विनियोग लेखे वर्ष 2021–22

3.5.5 बृहद बचत / समर्पण

कुल बचत ₹17,990.65 करोड़ के एवज में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत 30 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत हुई, ₹15,989.22 करोड़ की राशि जो वर्ष के दौरान समग्र बचत का 88.87 प्रतिशत है जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विस्तृत है। इन 30 अनुदानों/विनियोजनों में से ₹500 करोड़ से अधिक की बचत आठ अनुदानों में देखी गई जिसकी राशि ₹9,132.79 करोड़ रुपये थी जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 61 अनुदानों में ₹10 करोड़ से अधिक के समर्पण किए गए की कुल राशि ₹18,901.27 करोड़ है जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में विस्तृत हैं।

कुल 71 अनुदानों/विनियोजनों में से आठ अनुदानों/विनियोग में आबंटन का 50 प्रतिशत से कम उपयोग हुआ जिसके कारण वर्ष 2021–22 में बृहद बचत हुई। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 तक की पाँच वर्ष की अवधि में इन आठ अनुदानों/विनियोजनों में बजटीय आवंटन का उपयोग तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: अनुदान/विनियोग जहाँ बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम

क्र.सं.	अनुदान का नाम	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22	वर्षों की संख्या	बजट 2021–22	कुल बजट (पाँच वर्ष)
1	02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	65	58	46	06	37	3	432.11	750.33
2	09— राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	36	37	58	24	37	4	21.24	108.45
3	15— अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	92	42	85	58	43	2	166.35	2,013.06
4	22— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	87	82	73	24	44	2	13.68	116.91
5	46— विज्ञान और प्रौद्योगिकी	36	35	34	34	39	5	28.78	119.98
6	57— जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	—	—	—	00	00	2	7.00	107.00

7	75— डब्ल्यूआर.डी. से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	74	66	29	25	23	3	699.06	3,496.78
8	82— जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए वित्तीय सहायता — त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं	87	49	81	53	46	2	325.65	5,682.38

*50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

ओत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बजट का कम उपयोग प्रणालीगत खामियों का संकेत है जो सरकार द्वारा त्वरित सुधारात्मक उपायों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए एक करीबी समीक्षा की आवश्यकता है। अनुदान 46— विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बार-बार कम उपयोग के कारण की जांच सरकार द्वारा की जा सकती है, और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बजटीय प्रावधान का उपयोग करने में असमर्थता, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधनों के आबंटन से बंचित करती है और लोक वित्त पर कमजोर विधायी नियंत्रण की ओर भी ले जाती है।

3.5.6 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरुद्ध व्यय दर्शाने के अतिरिक्त, विनियोग खाते उन प्रकरणों के दिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते हैं जहाँ व्यय बजट प्रावधान (मूल तथा अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। विनियोग लेखाओं में उप-शीर्ष/उप-शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस प्रकार के अंतर को किस सीमा से परे स्पष्ट किया जाना है, यह लोक-लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को विनियोग खाते का प्रारूप प्रदान करता है और लोक-लेखा समीति द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार अनुमोदित बजटीय आबंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है।

विनियोग लेखों में शामिल की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उप-शीर्षों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं (अतिरिक्त/बचत)—

1. टिप्पणियाँ बचत (दत्तमत) पर की जानी हैं:

- कुल प्रावधान (मूल के साथ अनुपूरक) के 2 प्रतिशत से अधिक की बचत।
- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच के अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक की बचत के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।

2. टिप्पणियाँ उन सभी उप-प्रमुखों के लिए बचत (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।


3. टिप्पणियाँ अतिरिक्त (दत्तमत) पर की जानी हैं:

- ₹10 करोड़ से कम अनुदान के प्रकरणों में ₹5 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹10 करोड़ और ₹30 करोड़ के बीच अनुदान के प्रकरणों में ₹10 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- ₹30 करोड़ से अधिक अनुदान के प्रकरणों में ₹20 लाख से अधिक के लिए व्यक्तिगत उप-शीर्ष।
- उन सभी प्रकरणों में प्रावधान से अधिक के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणियाँ की जाएगी जहाँ अनुदान में कुल अतिरिक्त (कोई भी राशि) है।

4. टिप्पणियाँ सभी उप-शीर्षों के लिए अतिरिक्त (भारित) पर की जानी चाहिए, जहाँ भिन्नता ₹5 लाख से अधिक है।

वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि लगभग 36.04 प्रतिशत प्रकरणों में नियंत्रक अधिकारी ने व्यय के आधार पर बजट आबंटन में बदलाव के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कुल 2,550 उप-शीर्षों में से 1,365 उप-शीर्षों के संबंध में भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है, तथापि, सरकारी विभागों के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा 492 उप-शीर्षों में भिन्नता के उचित कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उप-शीर्षों के संबंध में, लेखे में उप-शीर्षों की कुल संख्या, जिन्हें विविधताओं के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता और उप-शीर्षों जहाँ आबंटन से भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए थे, चार्ट 3.4 में दिए गए हैं।

चार्ट-3.4: विनियोग खाता में परिवर्तन के लिए सारांश



बजटीय आबंटन और इसके उपयोग के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, शासन की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

3.5.7 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत, राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदान/विनियोजन जिन पर आधिक्य व्यय हुआ उनको राज्य विधानसभा से नियमित करवाए। बजट मैनुअल के पैरा 26.15 के अनुसार, जिन मामलों में अधिक व्यय हुआ है, लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस अतिरिक्त व्यय को अतिरिक्त अनुदान के रूप में वित्त विभाग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (बी) के तहत आवश्यक रूप से विधान सभा में प्रस्तुत करके नियमित किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दो अनुदान और तीन विनियोजन के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा किए गए प्राधिकरण पर ₹4,059.76 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण था। वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य शासन ने बिना बजट प्रावधान के ₹4,217.51 करोड़ का व्यय किया, जिसका मुख्य कारण रोकड़ शेष को बनाये रखने हेतु ट्रेजरी बिल में किये गये निवेश के सापेक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन को संपार्शिक अग्रिम के रूप में दिए गए अस्थायी ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए विशेष आहरण सुविधा के अंतर्गत व्यय था। विवरण नीचे तालिका 3.8 में दिया गया।

तालिका 3.8: वर्ष 2021–22 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अनुदान संख्या	अनुदान विवरण	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
राजस्व दत्तमत						
1	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	6,974.74	7,564.88	590.14
पूँजीगत दत्तमत						
2	धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग	51	धार्मिक द्रस्ट और बंदोबस्ती	4.50	4.77	0.27

राजस्व भारित						
3	वित्त विभाग	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.46	0.87	0.41
4	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	0.00	0.01	0.01
पूँजीगत भारित						
5	—	CH1	लोक ऋण	5,376.37	8,845.29	3,468.93
		कुल		12,356.07	16,415.83	4,059.76

स्रोत : विनियोग लेखे 2021–22

वर्ष में प्रावधान से अधिक व्यय न ही केवल विधायी स्वीकृति की आवश्यकता वाले प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु खराब नियोजन का भी संकेत है, जिसे उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट के साथ व्यय की प्रगति कि निगरानी रखने से बचा जा सकता था।

वर्ष 2000–01 से 2020–21 के लिए प्रावधान की तुलना में ₹13,376.63 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को अभी नियमित नहीं किया गया है, जिसे **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 (3) का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा द्वारा विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त राज्य के समेकित कोष से कोई भी पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय को नियमित न करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

वर्ष 2000–01 से 2020–21 की अवधि के दौरान विधायी प्राधिकरण पर अतिरिक्त व्यय का विवरण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2000–01 से 2020–21 के दौरान प्रावधानों से अतिरिक्त व्यय की नियमितीकरण की आवश्यकता

क्र.सं.	वर्ष	अनुदानों की संख्या	विनियोग की संख्या	(₹ करोड़ में)
1	2000–01	11	2	10.21
2	2001–02	14	2	115.90
3	2002–03	8	2	114.59
4	2003–04	4	2	591.12
5	2004–05	4	5	133.36
6	2005–06	4	2	23.27
7	2006–07	4	1	5.13
8	2007–08	3	3	15.99
9	2008–09	9	1	115.26
10	2009–10	10	5	216.77
11	2010–11	22	6	293.78
12	2011–12	24	1	498.09
13	2012–13	2	2	0.96
14	2013–14	3	3	178.96
15	2014–15	4	2	833.54
16	2015–16	3	2	98.24
17	2016–17	2	3	12.38
18	2017–18	3	3	2.61
19	2018–19	2	4	1.67
20	2019–20	3	4	6,682.69
21	2020–21	2	2	3,432.11
	कुल	141	57	13,376.63

स्रोत : संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे

विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा ने वर्ष 2021–22 के दौरान 10 मुख्य शीर्षों में 12 अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत प्राधिकार पर ₹4,167.09 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिखाया गया है।

3.6 व्यय की अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरण किया गया है) के अनुच्छेद 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के समाप्त महीनों में व्यय की अतिवेग से बचा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अतिवेग को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

13 प्रमुख शीर्षों पर ₹1,976.13 करोड़ का व्यय किया गया जो मार्च 2022 में संबंधित प्रमुख शीर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक थे। विवरण निम्नलिखित तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)


मुख्य शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल व्यय	मार्च माह में व्यय	कुल व्यय में से मार्च माह में किये गये व्ययों का प्रतिशत
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100.00
4220	सूचना और प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	100.00
6425	सहयोग के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00
4853	गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.17	0.33	13.26	13.76	12.47	90.59
4055	पुलिस के लिए पूँजीगत परिव्यय	0.48	3.88	5.17	89.72	99.25	88.09	88.75
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.25	4.68	4.93	4.33	87.88
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.12	0.25	3.58	3.94	3.15	79.91
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	0.00	9.50	16.00	80.70	106.20	71.20	67.04
2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	68.35	61.05	132.30	618.57	880.27	562.73	63.93
3275	अन्य संचार सेवाएं	0.00	4.69	11.00	32.13	47.82	30.23	63.21
2702	लघु सिंचाई	19.29	18.22	16.35	58.47	76.50	47.74	62.41
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पूँजीगत परिव्यय	12.71	47.95	81.22	239.52	381.40	197.74	51.85
2048	ऋण में कटौती के लिए विनियोजन	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	150.00	50.00
कुल		100.83	145.58	262.87	1,502.69	1,976.13	1,229.74	62.23

स्रोत: विनियोग लेखे और वी.एल.सी. से प्राप्त जानकारी

तीन मुख्य शीर्षों में, मार्च 2022 के महीने में 100 प्रतिशत खर्च किया गया था। यह वित्त वर्ष के दौरान धन के खराब उपयोग को दर्शाता है। व्यय की स्थिर गति को बनाए रखना स्वस्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह उस विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी की कमी को दूर करता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यय और प्राप्तियों की माह-वार प्रवृत्ति चार्ट 3.5 में दिखाई गई है।

चार्ट 3.5: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान मासिक प्राप्तियां और व्यय



स्रोत: वीएलसी डेटा 2021–22

अंतिम तिमाही (जनवरी–मार्च 2022) में प्राप्त धनराशि कुल प्राप्तियों का 38.16 प्रतिशत थी। अंतिम तिमाही में धन जारी करना व्यय में तेजी का अनुभव करने के कारणों में से एक है। धन जो “लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता” वित्तीय वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना राजकोष में वापस आ जाना चाहिए। यह विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में व्यय की अतिवेग से बचने में मदद करेगा।

3.7 डी.डी.ओ. खातों की स्थिति

आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) एक कार्यालय प्रमुख है और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार नामित कोई अन्य अधिकारी भी है, जो राज्य सरकार की ओर से बिल निकालने और भुगतान करने के लिए है। इस अवधि में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहां वह स्वयं इस तरह के कार्य का निर्वहन करता है और अपने कार्यालय में प्राप्त या संवितरित सभी धन और उसके खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

एम.पी. ट्रेजरी कोड वॉल्यूम 1 के नियम 284 के अनुसार, ट्रेजरी से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा जब तक कि यह तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो। मांगों की प्रत्याशा में राजकोष से अग्रिम राशि प्राप्त करना, या बजट अनुदान की चूक को रोकना एक गंभीर अनियमितता है, और गलती वाले व्यक्ति इस तरह के आहरण के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी बनाते हैं। 31 मार्च 2022 तक, राज्य सरकार के 371 डी.डी.ओ. खातों में ₹266.06 करोड़ रूपये की राशि पड़ी थी। यद्यपि इस राशि का पहले ही राज्य की समेकित निधि से व्यय के रूप में हिसाब–किताब किया जा चुका है, फिर भी वे सरकारी खातों के बाहर अप्रयुक्त हैं।

3.8 चयनित अनुदान की समीक्षा

वर्ष 2021–22 के लिए, अनुदान संख्या 03— पुलिस और अनुदान संख्या 30— पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय को निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और अनुदान के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विस्तृत लेखा परीक्षा के लिए चुना जाता है। अनुदान समीक्षा के निष्कर्षों पर आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.8.1 अनुदान सं. 03— पुलिस

पुलिस विभाग विभिन्न प्रवर्तन और विकास एजेंसियों के माध्यम से राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विश्वसनीय पुलिसिंग स्थापित करने के लिए कार्रवाई, पहल और प्रयास करने के लिए जिम्मेदार है। चार बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) अर्थात् पुलिस महानिदेशक; मुख्य कमांडेंट (होमगार्ड) एक महानिदेशक, सार्वजनिक सुरक्षा, रायपुर; निदेशक, लोक अभियोजन और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय इस अनुदान के तहत बजट प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, चार मुख्य शीर्ष अर्थात् 2049— ब्याज भुगतान, 2055— पुलिस, 2070— अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4055— पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय इस अनुदान के तहत संचालित किए जाते हैं।

3.8.1.1 बजट और व्यय

तीन वर्ष की अवधि 2019–22 के दौरान इस अनुदान के तहत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.11: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रावधान	2019–20	2020–21	2021–22
	राजस्व प्रावधान	4,602.53	4,998.58	5,090.97
1	व्यय	4,300.62	4,070.25	4,472.77
2	बचत	301.91	928.33	618.20
3	बचत (प्रतिशत)	6.56	18.57	12.14
	पूँजीगत प्रावधान	66.40	135.39	133.74
4	व्यय	43.02	106.21	98.96
5	बचत	23.38	29.18	34.78
6	बचत (प्रतिशत)	35.21	21.55	26.01
	कुल बजट प्रावधान	4,668.93	5,133.97	5,224.71
7	व्यय	4,343.64	4,176.46	4,571.73
8	बचत	325.29	957.50	652.98
9	बचत (प्रतिशत)	6.97	18.65	12.50

स्रोत : विनियोग लेखे 2019–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 6.97 से 12.50 प्रतिशत तक थी। लगातार बड़ी बचत वास्तविक जरूरतों के गलत मूल्यांकन का संकेत है और इसके लिए विभाग की बजट तैयारी की कवायद की समीक्षा की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यय में पिछले वर्ष के रुझानों पर विचार किए बिना बजट आवंटन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई।

3.8.1.2 अविवेकपूर्ण बजट प्रस्ताव

तालिका 3.12: प्रस्तावित बजट और किए गए प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना कोड और नाम	बजट प्रस्तावित	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रस्ताव से बचत	
					राशि	प्रतिशत
1	4491— सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	2,460.08	2,429.71	2,132.63	327.45	13.31
2	4492— सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,469.43	1,468.68	1,376.58	92.85	6.32
3	7918— नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	266.64	266.64	182.75	83.89	31.46
4	2629— पुलिस	185.00	173.50	152.63	32.37	17.50
5	3680— राज्य मुख्यालय	107.39	111.43	88.68	18.71	17.42

6	7811— डायल 100/112	92.00	68.00	42.03	49.97	54.32
7	195— अन्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	60.44	57.44	47.85	12.59	20.83
8	4155— वायरलेस सेंटर, रायपुर	57.99	57.08	43.92	14.07	24.26

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, विभाग ने कुछ प्रकरणों में बढ़ा कर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जहां व्यय अनुमोदित बजट प्रावधान से कम है। इसलिए, बी.सी.ओ. ने धन की आवश्यकता के यथार्थवादी आंकलन के बिना बजट प्रस्ताव किए और ये खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

3.8.1.3 बचत का समर्पण

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारी को अनुदान के तहत बचत का अनुमान लगाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी के बाद वित्त विभाग को सूचित करना चाहिए। तालिका 3.11 से पता चलता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान ₹5,224.71 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹652.98 करोड़ की बचत हुई थी।

3.8.1.4 योजनाओं के तहत अनावश्यक पूरक अनुदान और बाद में समर्पण

लेखा परीक्षा में वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित योजना शीर्षों के तहत नियमित पूरक प्रावधान और उसके बाद समर्पण देखा गया, जैसा कि तालिका 3.13 में दिखाया गया है।

तालिका 3.13: अनावश्यक पूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	समर्पण
1	2055–00–001–0000–7811–10–009	डायल 100 / 112	45.00	1.00	46.00	36.83	9.17
2	4055–00–208–0101–2629–26–003	पुलिस	82.00	1.00	83.00	64.70	18.30

स्रोत : विनियोग लेखे 2021–22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय ने (सितंबर 2022) कहा कि डायल 100 / 112 योजना वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में संचालित है। शेष 17 जिलों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की अनुपलब्धता के कारण, सरकार पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी।

3.8.1.5 योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के पैरा 31 के अनुसार, यह संभव है कि पूर्वगामी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुमान अभी भी बहुत अधिक हो सकते हैं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों में अनुमान और वास्तविक के बीच अंतर के संदर्भ में उनकी जांच की जानी चाहिए और प्रस्तावित राशि उसी आधार पर होनी चाहिए।

तीन योजना शीर्षों में तीन वर्षों की अवधि 2019–22 के दौरान निरंतर बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

योजना शीर्ष और नाम	2019–20			2020–21			2021–22		
	प्रावधान	बचत	बचत	प्रावधान	बचत	बचत	प्रावधान	बचत	बचत
	₹ लाख में	%	₹ लाख में	%	₹ लाख में	%	₹ लाख में	%	₹ लाख में
7660— महिलाओं के लिए अपराध अनुसंधान इकाई	350.64	350.64	100	350.64	350.64	100	359.44	359.44	100
5611— पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना	2.70	2.70	100	2.70	2.70	100	2.70	2.70	100
5612— पुलिस अस्पताल की स्थापना	2.80	2.80	100	2.80	2.70	100	2.80	2.80	100

स्रोत : संबंधित वर्षों का विनियोग खाता

पिछले तीन वर्षों 2019–22 के दौरान उपर्युक्त योजना शीर्षों के तहत 100 प्रतिशत की सीमा तक निरंतर बचत से संकेत मिलता है कि विभाग में बजट प्रक्रिया अवास्तविक थी, और वर्षों के दौरान बचत की सीमा तक धन की आवश्यकता नहीं थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय (सितंबर 2022) ने कहा कि योजना 7660— महिलाओं के लिए अपराध अनुसंधान इकाई के तहत 330 रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.8.1.6 2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष 2021–22 के दौरान इन योजनाओं में पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आंकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का विवरण तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: बजट प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजित / समर्पण
1	2055–0801–7811 डायल 100 / 112	10.00	00.00	10.00
2	2055–0801–7935 नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक में अपराध को नियंत्रित करने के लिए	10.00	00.00	10.00
3	2055–09–701–7660 महिलाओं के लिए अपराध अनुसंधान इकाई	359.44	00.00	359.44
4	2070–107–2710 कमांडेंट जनरल और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों का कार्यालय – आरोपित	6.00	00.00	6.00
5	4055–207–6717 सुरक्षा से संबंधित प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	50.10	00.00	50.10
6	2055–109–701–5612 पुलिस अस्पताल की स्थापना	2.80	00.00	2.80
7	4055–0101–800–7012 पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण	2.50	00.00	2.50
8	2055–109–701–5611 पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना	2.70	00.00	2.70
कुल		443.54	00.00	443.54

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि विभिन्न योजनाओं के तहत नए पदों के सृजन के लिए प्रावधानों की मांग की गई थी। पदों का सृजन न होने के कारणों के बारे में आगे पूछताछ करने पर, विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

3.8.1.7 विभागीय व्यय के आंकड़ों के मिलान पर

छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (अगस्त 2010) के अनुसार, विभागों को अनिवार्य रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दर्ज आंकड़ों के साथ विभिन्न खातों के तहत अपने

व्यय का मिलान करना चाहिए।

अनुदान संख्या 03 की समीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित शीर्षों के तहत उल्लिखित विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.16 में दिखाया गया है।

तालिका 3.16: व्यय का मिलान न होना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना शीर्ष वर्गीकरण	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अनुसार		विभाग के अनुसार (ई-कोश*)	
		कुल बजट	व्यय	कुल बजट	व्यय
1	03-2055-001-3680 राज्य मुख्यालय	98.83	85.67	96.86	85.97
2	03-2055-003-195 अन्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	56.80	47.29	56.47	47.70
3	03-2055-104-4492 सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1,459.68	1,367.72	1,443.88	1,390.56
4	03-2055-109-4491 सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	2,410.45	2,115.59	2,423.05	2,130.95
5	03-2055-109-6717 सुरक्षा से संबंधित प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	202.38	196.64	207.88	196.8
6	03-2055-109-8333 सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	20.00	20.00	20.00	15.00
7	03-2055-111-2531 पर्यवेक्षी स्टाफ (रेल पुलिस-पूर्वी खंड)	39.17	30.38	39.17	30.60
8	03-2055-114-4155 वायरलेस सेंटर, रायपुर	53.95	41.81	53.95	42.19
कुल		4,341.26	3,905.1	4,341.26	3,939.77

स्रोत : विनियोग लेखा 2021-22 और विभागीय आंकड़े

* कोषागारों, छत्तीसगढ़ का ऑफलाइन कम्प्यूटरीकरण ekoshonline.cg.nic.in पर उपलब्ध है

3.8.1.8 व्यय की अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 92 के अनुसार, कोई भी अनुदान जो लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी व्यय में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से नकद प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए, वित्त विभाग ने विभागों को वर्ष के दौरान बजट के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की अतिवेग से बचा जा सके। तथापि, कुछ योजना शीर्षों में व्यय की अतिवेग देखी गई जैसा कि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान	पिछली तिमाही में हुआ व्यय	कुल व्यय	मार्च के महीने में हुआ खर्च	पिछली तिमाही में हुआ व्यय (%)	मार्च के महीने में हुआ व्यय (%)
1	8333	सड़क सुरक्षा निधि से खर्च	20.00	20.00	20.00	15.00	100.00	75.00
2	0121	केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती	11.00	10.57	10.57	10.57	96.11	96.11
3	6460	मानव तस्करी विरोधी इकाई	3.60	3.36	3.60	3.36	93.28	93.28
4	7936	मजबूत निर्माण पुलिस स्टेशनों के साथ विशेष बुनियादी ढांचा योजना	40.00	31.25	37.78	16.21	78.12	40.51
5	2629	पुलिस	85.50	64.01	66.47	63.48	74.87	74.25
6	7633	अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम	9.00	6.12	8.12	6.12	67.99	67.99
7	7918	नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	266.64	140.00	182.75	140.00	52.51	52.51
8	2710	कमांडेंट जनरल का कार्यालय और अन्य	0.72	0.32	0.32	0.32	44.79	44.79
9	6717	सुरक्षा से संबंधित प्रतिपूर्ति योग्य व्यय	202.88	67.04	196.64	35.74	33.04	17.61

स्रोत : विनियोग लेखा 2021-22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2022), कि व्यय की अतिवेग प्रशासनिक अनुमोदन और पुनर्विनियोजन आदेशों जहां बचत की उम्मीद थी, प्राप्त करने में देरी का परिणाम थी।

3.8.2 अनुदान सं. 30— पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

यह विभाग स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के सृजन, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास और लघु सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रावधान, निराश्रितों को सामाजिक सहायता और ग्रामीण सड़कों के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, विभाग सहायता सेवाएं और अन्य गुणवत्ता इनपुट प्रदान करता है जैसे कि डी.आर.डी.ए. प्रशासन, पंचायती राज संस्थानों, प्रशिक्षण अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्रवाई के विकास आदि के उचित कार्यान्वयन के लिए।

दो बजट नियंत्रक अधिकारी (बी.सी.ओ.) अर्थात् निदेशक, पंचायत और विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास इस अनुदान के तहत बजट प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा, नौ मुख्य शीर्ष अर्थात् 2215— जल आपूर्ति और स्वच्छता, 2216— आवास, 2235— सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2501— विशेष कार्यक्रम या ग्रामीण विकास, 2505— ग्रामीण रोजगार, 2515— अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054— सड़कें और इस अनुदान के अंतर्गत पुल, 4515— पूँजी परिव्यय और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के हित भुगतान तथा 5054— सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय का प्रचालन किया जाता है।

3.8.2.1 बजट और व्यय

इस अनुदान के तहत तीन वर्ष की अवधि 2019–22 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अधिकता की समग्र स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 3.18: बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रावधान	2019–20	2020–21	2021–22
राजस्व प्रावधान		2,947.10	3,219.66	3,210.73
1	व्यय	1,906.11	1,486.52	2,024.41
2	बचत	1,040.99	1,733.14	1,186.32
3	बचत (प्रतिशत)	35.32	53.83	36.95
पूँजीगत प्रावधान		981.73	868.59	929.89
4	व्यय	825.17	765.12	783.78
5	बचत	156.56	103.47	146.11
6	बचत (प्रतिशत)	15.95	11.91	15.71
कुल बजट प्रावधान		3,928.83	4,088.25	4,140.62
7	व्यय	2,731.28	2,251.64	2,808.19
8	बचत	1,197.55	1,836.61	1,332.43
9	बचत (प्रतिशत)	30.48	44.92	32.18

स्रोत : विनियोग लेखा 2019–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2019–22 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत 30.48 से 44.92 प्रतिशत तक थी। यह वृहद् बचत वास्तविक जरूरतों के गलत आंकलन या प्रदर्शन में कमी या दोनों का संकेत है। इससे यह भी पता चलता है कि व्यय में पिछले वर्षों के रुझानों पर विचार किए बिना ही बजट आवंटन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगातार बचत हुई।

3.8.2.2 वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्रावधान का उपयोग न होना

2021–22 के दौरान इन योजनाओं में पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं होना दर्शाता है कि बजट प्रक्रिया और योजना की आवश्यकताओं का आकलन अवास्तविक था। संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत का

विवरण तालिका 3.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19: बजट प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजित / समर्पण
1	30— 2215— 107— 701— 7610 स्वच्छ भारत अभियान	200.00	00.00	200.00
2	30— 5054— 337— 101— 4855 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	00.00	30.00
3	30— 5054— 101— 101— 4871 पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण	20.00	00.00	20.00
4	30— 4515— 102— 101— 6437 ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण	1.50	00.00	1.50
5	30— 4515— 102— 801— 7644 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र	1.00	00.00	1.00
6	30— 2235— 196— 101— 7974 अभिसारित आम आदमी बीमा योजना	0.50	00.00	0.50
7	30— 2235— 196— 101— 7975 अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना	0.50	00.00	0.50
कुल		253.50	00.00	253.50

स्रोत : विभाग द्वारा प्रदान किया गया विनियोग खाता

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 4855— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 4871— पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलों का निर्माण इन योजनाओं के तहत कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, संबंधित बजटों को पीएमजीएसवाई के तहत सीएसएस को पुनर्विनियोजित और आवंटित किया गया है और इसका उपयोग किया गया था।
- 6437— ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण — सभी जिलों में कन्वर्जेस के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गौठानों (गौशाला) के निर्माण का कार्य कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है। इसी वजह से बजट में दी गई राशि की मांग न होने के कारण राशि की निकासी नहीं की गई और पूरी राशि समर्पित कर दी गई।
- 7644— ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (आरसीटीआरसी) और ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयां (आरआरएनएमयू)— भवन की लगभग समाप्त चौथी मंजिल में स्थापित किए जाने वाले फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने में देरी के कारण पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया।
- 7974— अभिसारित आम आदमी बीमा और 7975— अभिसारित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना— एल.आई.सी. द्वारा इस योजना के तहत 01 जून 2019 से बीमित लाभार्थियों का नवीनीकरण नहीं किए जाने के कारण, पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया।

3.8.2.3 योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के पैरा 31 के अनुसार, यह संभव है कि पूर्वगामी निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक तैयार किए गए अनुमान अभी भी बहुत अधिक हो सकते हैं। इसलिए, पिछले तीन वर्षों में अनुमान और वास्तविक के बीच अंतर के संदर्भ में उनकी जांच की जानी चाहिए और प्रस्तावित राशि उसी आधार पर होनी चाहिए।

सात योजना शीर्षों में तीन वर्ष की अवधि 2019–22 के दौरान प्रतिशत निरंतर बचत हुई, जैसा कि तालिका 3.20 में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना शीर्ष और नाम	बजट प्रावधान		
		2021–22	2020–21	2019–20
1.	4515–102–101–3064 भवन निर्माण	2.00	2.00	24.00
2.	5054–101–101–4871 पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3.	2501–60–196–101–6768 बेरोजगारी भत्ता निधि में अनुदान	5.00	20.00	20.00
4.	2501–60–196–101–7588 मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता	0.25	0.25	0.25
5.	2515–102–801–7644 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र	10.60	10.60	10.00
6.	2515–102–801–7658 सांसद आदर्श ग्राम योजना	8.60	8.60	8.60
7.	2515–102–801–7659—विधायक आदर्श ग्राम योजना	8.60	8.60	12.10

स्रोत : विनियोग लेखा 2019–22

पिछले तीन वर्षों 2019–22 के दौरान उपर्युक्त योजना शीर्षों के तहत 100 प्रतिशत की सीमा तक निरंतर बचत से संकेत मिलता है कि विभाग कि बजट प्रक्रिया अवास्तविक थी, और वर्षों के दौरान बचत की सीमा तक धन की आवश्यकता नहीं थी।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 4871— पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण— पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर पुलों का निर्माण अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) मद (5054–04–337–4855) के तहत उपलब्ध निधियों से किया गया था, इसलिए इस मद (5054–101–101–4871) के तहत आवंटित किसी निधि का उपयोग नहीं किया गया था और इसे वापस कर दिया गया था।
- 6768— बेरोजगारी भत्ता निधि में अनुदान— जिलों से शून्य मांग के कारण, पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।
- 7588— मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता— इस मद में प्रदान किए गए भत्ते पिछले वर्षों से निकाले गए धन से किए जा रहे हैं, इसलिए इस टोकन बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका।
- 7644— ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र— फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया था, लेकिन भवन में चौथी मंजिल के निर्माण को पूरा करने में देरी के कारण वर्ष 2019–20 और 2020–21 में पूरी राशि का उपयोग नहीं किया गया। इसलिए, इस वर्ष फंड जारी नहीं किया गया था।
- 7658— सांसद आदर्श ग्राम योजना और 7659— विधायक आदर्श ग्राम योजनारू स्टेशनरी, कंप्यूटर और अन्य कार्यालय खर्चों की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन व्यय कार्यालय के प्रशासन और मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा आदेश के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध धन से किया गया था। इसलिए इस मद के तहत किए गए पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।

तालिका 3.21: योजना शीर्षों के तहत निरंतर बचत (96 प्रतिशत तक)

(₹ करोड़ में)

योजना वर्गीकरण	2019–20			2020–21			2021–22		
	बजट	व्यय	बचत	बजट	व्यय	बचत	बजट	व्यय	बचत
2216–03–105–701–7807—पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)	894.00	305.57	588.43 (66%)	800.00	179.42	620.58 (78%)	900.00	195.84	704.16 (78%)
4515–102–701–7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	55.00	18.00	37.00 (67%)	55.00	30.00	25.00 (45%)	50.00	2.72	47.28 (96%)

स्रोत : विनियोग लेखा 2019–22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 7807—पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)— वर्ष 2019–2020 में ₹894.00 करोड़ (केंद्र— ₹584 करोड़ और राज्य— ₹310 करोड़) का बजट प्रावधान किया गया था। घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार ने पहली किस्त में ₹224.84 करोड़ जारी किए, योगदान की बराबरी करने के लिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में ऋण लिया और वर्ष 2019–20 में ₹80.72 करोड़ का ब्याज भुगतान किया, इसलिए व्यय ₹305.57 करोड़ हो गया। बाद के वर्षों में, चूंकि केंद्र से धन जारी नहीं किया गया था क्योंकि राज्य अपना समान योगदान प्रदान नहीं कर सका था, इसलिए केवल ब्याज भुगतान और मूल धन का भुगतान वर्ष 2020–21 में ₹179.42 करोड़ और वर्ष 2021–22 में ₹195.84 करोड़ किया गया था।
- 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन— केंद्र से बजट यी प्रावधान के मुकाबले कम धनराशि जारी होने के कारण अनुदान 30 के तहत इस योजना के तहत किया गया व्यय कम है।

3.8.2.4 व्यय की अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 92 के अनुसार, कोई भी अनुदान जो लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समाप्त माह में व्यय की भीड़ से बचना चाहिए। इसके अलावा, सरकारी व्यय में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से नकद प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए, वित्त विभाग ने विभागों को वर्ष के दौरान बजट के व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की भीड़ से बचा जा सके। तथापि, कुछ योजना शीर्षों में व्यय की अधिकता देखी गई जैसा कि तालिका 3.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.22: व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना शीर्ष तथा नाम	कुल बजट प्रावधान	पिछली तिमाही में हुआ व्यय	मार्च के महीने में हुआ व्यय	पिछली तिमाही में हुआ व्यय (%)	मार्च के महीने में हुआ व्यय (%)
1.	30— 4515— 102— 101— 7658 सांसद आदर्श ग्राम योजना	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
2.	30— 4515—102— 101— 7659 विधायक आदर्श ग्राम योजना	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00
3.	30— 3054— 4— 105— 4855 प्रधानमंत्री ग्राम सङ्कर योजना	600.00	330.16	240.16	55.03	40.03

स्रोत : विनियोग लेखा 2021–22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 7658— सांसद आदर्श ग्राम योजना और 7659— विधायक आदर्श ग्राम योजनारू इस योजना के तहत प्रावधानित निधियों का उपयोग माननीय मंत्रियों और पी एंड आरडी विभाग की सिफारिश पर किया जाता है। चूंकि सिफारिशों को मार्च के महीने में वापस ले लिया गया था, इसलिए मार्च 2022 में शत प्रतिशत व्यय किया गया था। विभाग ने भविष्य में इसकी देखभाल करना सुनिश्चित किया।
- 4855— प्रधानमंत्री ग्राम सङ्कर योजना— सरकार द्वारा ₹330.00 करोड़ की धनराशि की निकासी की अनुमति वर्ष 2021–22 की चौथी तिमाही (दिनांक 15/03/2022, 30/03/2022 और 14/02/2022 को) में छत्तीसगढ़ सरकार, पंचायत और ग्रामीण विकास ने दी थी। तदनुसार, व्यय पिछली तिमाही में किया गया।

3.8.2.5 पूर्ण/संपूर्ण बजट प्रावधान का समर्पण

विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित शीर्षों के तहत, पूरे बजट प्रावधान को समर्पण कर दिया गया था।

तालिका 3.23: पूर्ण/संपूर्ण बजट प्रावधान का समर्पण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष वर्गीकरण	बजट प्रावधान	समर्पण की गई राशि
1.	2216–03–105–701–7807–14–007 पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)	62,000.00	62,000.00
2.	2515–00–102–801–7644–04–003 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र	10.60	10.60
3.	4515–00–102–801–7644–26–003 ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र	100.00	100.00
4.	2515–00–102–101–7658 सांसद आदर्श ग्राम योजना	8.60	8.60
5.	2515–00–102–101–7659 विधायक आदर्श ग्राम योजना	8.60	8.60
6.	4515–00–102–101–6437 ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण	150.00	150.00
कुल		62,277.80	62,277.80

स्रोत : विनियोग लेखा 2021–22

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, विभाग ने (अक्टूबर 2022) निम्नलिखित कहा—

- 7807— पी.एम.ए.वाई. (ग्रामीण)— यहां इस मद के तहत कोई खर्च नहीं किया गया था और वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा 7,81,999 घरों के निर्माण के शत-प्रतिशत लक्ष्य को स्वीकार नहीं करने के कारण पूरे प्रावधान को छोड़ दिया गया था।
- 7644— ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र— इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण कोई व्यय नहीं किया गया।
- 7658— सांसद आदर्श ग्राम योजना और 7659— विधायक आदर्श ग्राम योजनारूप स्टेशनरी, कंप्यूटर और अन्य कार्यालय खर्चों की खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया गया था लेकिन व्यय अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध धन से किया गया था। इसलिए इस मद के तहत किए गए पूरे बजट प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था।
- 6437— ग्राम क्षेत्रों में गौठान निर्माण— गौठानों (गौशालाओं) का निर्माण जिला कलेक्टरों के आदेशों के तहत किया जाता है, क्योंकि इस वर्ष कलेक्टरों से कोई मांग नहीं की गई थी, इसलिए पूरे प्रावधान को वापस कर दिया गया था।

3.8.2.6 निधियों का ब्लॉक

विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की जांच के दौरान, यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई एस.पी.वी.) ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2018 में ₹1,000 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए केनरा बैंक के साथ एक समझौता किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपेक्षित मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की गारंटी दी है। हालांकि, समझौते में कुल ऋण राशि के 12 प्रतिशत (120 करोड़) के ग्रहणाधिकार (Lien) को चिह्नित करने के लिए एक खंड शामिल था। तदनुसार, मनरेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुबन मिशन आदि जैसी अन्य पलैगशिप योजनाओं के 37 बैंक खातों में ₹12,674 करोड़ की राशि उपलब्ध है। ग्रहणाधिकार (Lien) के रूप में चिह्नित किया गया था जिसके कारण बताई गयी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने इसे स्वीकार (अक्टूबर 2022) कर लिया और जवाब दिया कि विभाग बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और राज्य स्तरीय

बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) में भी इस मामले को उठाया है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही अपेक्षित मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की गारंटी दी है।

इस प्रकार, ऋण के पुनर्भुगतान की सरकार की गारंटी और अन्य बैंक खातों पर ग्रहणाधिकार के बावजूद समझौते में 12 प्रतिशत ग्रहणाधिकार (Lien) को शामिल करने से सरकार को उन योजनाओं के तहत व्यय करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और इसलिए धन अवरुद्ध हो गया और कम उपयोग हुआ।

3.9 निष्कर्ष

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय धारणाएं यथार्थवादी नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप बचत/अधिकता हुई। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचत में कमी हो, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचतों को उचित पुन विनियोजनों द्वारा नियंत्रित किया जाए, और प्रत्याशित बचतों की पहचान की जाए और विनिदष्ट समय–सीमा के भीतर वापस कर दिया जाए ताकि निधियों का उपयोग विकास तामक प्रयोजनों के लिए किया जा सके, अपर्याप्त है। इसके अलावा, पिछले वर्ष (81.22 प्रतिशत) की तुलना में 2021–22 के दौरान बजटीय धन के उपयोग का प्रतिशत (87.37 प्रतिशत) बढ़ा है।

2021–22 के दौरान दो अनुदानों और तीन विनियोगों से संबंधित ₹4,059.76 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 2000–01 से 2020–21 तक नियमितीकरण के लिए कुल ₹13,376.63 करोड़ रुपये लंबित हैं।

पूरक अनुदान/विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किए गए थे। बचत को न तो समय पर सरेंडर किया गया और न ही आवंटन की तुलना में व्यय में भिन्नता के लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण दिया गया। विभागों को न तो निरंतर बचत के प्रति आगाह किया गया था; न ही उनके बजट आवंटन को अवशोषित करने की उनकी क्षमता के अनुसार भिन्न थे।

3.10 अनुशंसाएं

- i. सरकार को अपनी बजटीय मान्यताओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत/अतिरिक्त व्यय को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- ii. बजट के समुचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती हो, अनुदानों/विनियोगों के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जाए और प्रत्याशित बचत की पहचान की जाए और विनिदष्ट समय–सीमा के भीतर वापस कर दिया जाए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किया जा सके।
- iii. विधानमंडल द्वारा अनुमोदित अनुदानों पर अधिक व्यय विधायिका की इच्छा का उल्लंघन है। इसलिए, 2000–01 से 2021–22 की अवधि के दौरान अनुदान/विनियोग पर अतिरिक्त व्यय को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है।
- iv. राज्य सरकार को विभागों की आवश्यकताओं और आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट तैयार करने की आवश्यकता है।
- v. नियंत्रक अधिकारियों को बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग खातों को तैयार करने की सुविधा के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाना चाहिए।

चतुर्थ अध्याय
लेखाओं एवं वित्तीय
प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

चतुर्थ अध्याय—लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कृशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ—साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली में निहित नियम संख्या 182 निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिये हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

मार्च 2021 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए गए सहायता अनुदान के लिए सभी यूसी (685) और मौजूदा प्रावधान के अनुसार देय, मार्च 2022 तक निस्तारित कर दी गई। आगे, यूसी पर उपरोक्त मौजूदा प्रावधानों पर विचार करते हुए, वर्ष 2021–22 के दौरान लिए गए सहायता अनुदान के लिए यूसी इस वर्ष के लिए देय नहीं थे। इसलिए, 31 मार्च 2022 तक बकाया यूसी की स्थिति शून्य है।


4.3 लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है। तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयकों (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देनी है।

31 मार्च 2022, छत्तीसगढ़ शासन के 11 विभागों ने 356 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध ₹186.85 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नहीं किया था। वर्ष 2021–22 तक जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों की विभाग—वार जानकारी **परिशिष्ट-4.1** में दिया गया है। पाँच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिलों की स्थिति **चार्ट 4.1** में दी गई है।

चार्ट 4.1 : पाँच प्रमुख विभागों से संबंधित लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक

(₹ करोड़ में)



स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े।

इसके अलावा, उपर्युक्त पांच विभागों में से मुख्यतः ₹107.66 करोड़ रुपये की राशि के डीसीसी बिल (63 डीसीसी बिल) क्रॉप हसबैंडरी से संबंधित थे, जैसा कि चार्ट 4.1 में दिखाया गया है। इन डीसीसी बिलों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंतिम दो महीनों के दौरान सभी 63 एसीसी बिल आहरित किए गए थे, जिनमें से केवल एक डीसीसी बिल प्राप्त हुआ था और 62 डीसीसी बिल अभी भी नवंबर 2022 तक लंबित थे।

वर्ष 2021–22 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष–वार जानकारी तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1 : संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
(₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	वर्ष 2019–20 तक	288	184.65	277	3,275.53	250	3,258.59	315	201.59
2	2020–21	315	201.59	208	2,947.73	63	2,853.79	460	295.53
3	2021–22	460	295.53	265	2,556.55	369	2,665.23	356	186.85

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े।

31 मार्च 2022 की स्थिति में, ₹186.85 करोड़ के 356 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित हैं, जिसमें से 54 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹2.41 करोड़), 59 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.49 करोड़) एवं 199 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹183.13 करोड़) क्रमशः 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 से संबंधित हैं।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत न किया जाना, न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, अपितु अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार की संभावना को भी बढ़ावा देती है। अतः विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। विस्तृत आकस्मिक देयकों की अप्राप्ति की सीमा तक,

वित्तीय लेखों में दर्शाये गए व्यय को सही या अंतिम नहीं माना जा सकता है।

4.4 लेखाओं के समयबद्धता और गुणवत्ता

राज्य शासन के लेखें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा 29 जिला कोषालयों, 53 वन मण्डलों, 63 ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा 156 अन्य संभागों⁵⁷ द्वारा दी गयी प्रारंभिक लेखों से संकलित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, मासिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में कोषालयों द्वारा एक से 34 दिन, लोक निर्माण विभाग द्वारा एक से 50 दिन एवं वन विभाग द्वारा एक से 12 दिन तक का विलंब था।

राज्य शासन को इसकी ध्यान से परिवीक्षा करने की आवश्यकता है कि, जितने भी लेखा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकरण हैं, इनके बजट को और भी प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय पर यह लेखाये प्रस्तुत करें।

4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों में बकाया शेष

शासकीय खातों में उचंत शीर्षों का संचालन उन लेनदेनों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें किसी कारण या किसी अन्य कारण से उनके समापक लेखा शीर्षों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। जब राशि को उसके समापक लेखा शीर्ष पर ले जाया जाता है, तो इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर दिया जाता है। यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप शासन की प्राप्तियों और भुगतानों को कम करके दिखाया जाता है।

प्रेषण में उन सभी लेन–देनों को शामिल किया जाता है, जो लेखा शीर्षों से समायोजित है, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिटों को उसी लेखा वृत्त अथवा अन्य में उसके संबंधित डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में अलग से बकाया डेबिट एवं क्रेडिट को समेकित कर परिणाम निकाला जाता है। उचंत एवं प्रेषण मर्दों का निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है। विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकड़ों की स्थिति लघु शीर्ष वार तालिका 4.2 में दी गयी है।

तालिका 4.2: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

मुख्य शीर्ष 8658—उचंत—लघु शीर्ष	2019–20		2020.21		2021.22		(₹ करोड़ में)
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	
101—वेतन एवं लेखा कार्यालय—उचंत	67.35	19.50	75.32	15.59	68.32	14.46	
निवल	नामे 47.85		नामे 59.73		नामे 53.86		
102—उचंत लेखा (सिविल)	30.81	0.17	29.62	0.17	1.85	1.38	
निवल	नामे 30.64		नामे 29.45		नामे 0.47		
109—रिजर्व बैंक उचन्त—मुख्यालय	0.03	0.68	1.61	0.04	0.63	1.47	
निवल	जमा 0.65		नामे 1.57		जमा 0.84		
110—रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	3.57	0.01	13.62	0.01	8.36	0.02	
निवल	नामे 3.56		नामे 13.61		नामे 8.34		
112—स्त्रोत पर कर कटौती	0.00	71.10	0.00	63.14	0.00	84.53	

57 भवन एवं सड़क निर्माण संभाग, 62 सिंचाई संभाग (जल संशोधन विभाग), 37 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग।

निवल	जमा 71.10	नामे 63.14	जमा 84.53
113—भविष्य निधि उचंत	44.35 0.00	20.62 0.00	20.02 0.00
निवल	नामे 44.35	नामे 20.62	नामे 20.02
123—अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00 0.19	0.00 0.27	0.06 0.38
निवल	जमा 0.19	जमा 0.27	जमा 0.31
129—सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	0.00 84.11	0.00 81.67	0.00 81.67
निवल	जमा 84.11	जमा 81.67	जमा 81.67
मुख्य शीर्ष 8782—नगद प्रेषण			
102—लोक निर्माण प्रेषण	74.83 42.43	74.32 9.13	6,850.00 6,779.51
निवल	नामे 32.40	नामे 65.19	नामे 70.49
103—वन प्रेषण	36.20 5.44	50.44 5.56	1,953.20 1,919.79
निवल	नामे 30.76	नामे 44.88	नामे 33.41

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े।

यदि इन उचंत शीर्षों के तहत राशि का समायोजन नहीं किया जाता है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को कम करके दर्शाया जाता है। इसके अलावा, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों की गैर-निस्तारण राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की यथार्थता को प्रभावित करती है।

4.6 व्यक्तिगत जमा खाते

विशिष्ट परिस्थितियों में, शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों से निधियों का हस्तांतरण सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य के संचित निधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती है। कोषालय संहिता भाग—एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, प्रशासकों का ऐसे खाते वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर बंद करने तथा व्यय नहीं किये गये शेष राशि को वापस संचित निधि में हस्तांतरित करने की अवश्यकता है ताकि अगले वर्ष यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को पुनः खोला जा सके, हालांकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पंचवर्षीय अवधि वर्ष 2017–22 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी निधियों की स्थिति तालिका 4.3 प्रदान करता है।

तालिका 4.3: वर्ष 2017–22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	वर्ष	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियों		वर्ष के दौरान संवृत्तियों/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2017–18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2	2018–19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10
3	2019–20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26
4	2020–21	223	1,585.26	03	502.34	18	526.65	208	1,560.95
5	2021–22	208	1,560.95	02	287.56	71	444.13	139	1,404.38

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संबंधित वर्षों के संकलित आकड़े

तालिका 4.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 09 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये थे एवं 151 खातों को बंद किया गया। 31 मार्च 2022 तक 139 व्यक्तिगत जमा खाते अस्तित्व में थे और इन खातों में अंतिम शेष ₹1,404.38 करोड़ था।

राज्य शासन ने मार्च 2022 के दौरान चार मुख्य शीर्षों से ₹19.82 करोड़ की राशि आहरित की और इसे व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया, जिसका विवरण तालिका 4.4 में दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे स्थानान्तरण इंगित करते हैं कि ये स्थानान्तरण बजटीय प्रावधान की चूक को रोकने के लिए किए गए थे।

तालिका 4.4: मार्च 2022 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	राशि
1	जिला समाहर्ता, सूरजपुर	2029	4.58
2	निरीक्षक, केंद्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.14
3	संयुक्त निदेशक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.09
4	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	2055	15.00
5	कलेक्टर, भू-अभिलेख, धमतरी	2029	0.01
योग			19.82

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े

व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी अव्ययित शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में स्थानान्तरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों ने कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरक्षित शेषों का सत्यापन/मिलान नहीं किया है।

4.6.1 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई भूमि अधिग्रहण से संबंधित निधियाँ

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹1,404.38 करोड़ के अंतिम शेष में से ₹1,148.87 करोड़ भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि का लाभार्थियों में संवितरण न करने के कारण थे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित असंवितरित निधियों का कोषालय—वार विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5: व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कोषालय का नाम (31 मार्च 2022 तक खातों की संख्या)	31 मार्च 2020 को जमा राशि	31 मार्च 2021 को जमा राशि	31 मार्च 2022 को जमा राशि
1	बिलासपुर (2)	355.37	293.46	232.13
2	रायपुर (1)	259.89	256.19	256.19
3	रायगढ़ (1)	186.14	189.01	146.80
4	जांजगीर–चांपा (2)	78.73	92.01	42.31
5	अबिंकापुर (7)	65.78	66.08	75.06
6	बलरामपुर (2)	51.79	49.57	49.28
7	गरियाबंद (2)	42.07	41.15	10.67
8	कोरबा (2)	41.44	64.93	105.56
9	जगदलपुर (1)	35.90	26.16	27.50
10	राजनांदगाँव (1)	34.74	35.19	33.97
11	महासमुन्द (1)	29.22	25.04	28.93
12	कवर्धा (1)	13.48	9.14	9.92
13	जशपुर (1)	13.40	13.39	12.66
14	कोरिया (1)	12.94	12.67	3.95
15	सुरजपुर (1)	11.21	5.88	14.39
16	कांकेर (1)	10.90	9.09	3.76
17	दुर्ग (1)	6.79	1.71	1.59
18	कोणडागाँव (1)	6.61	7.11	5.55

19	दंतेवाडा (1)	6.44	6.24	5.18
20	बलोदाबाजार (1)	5.30	3.13	3.13
21	धमतरी (1)	4.81	7.63	4.85
22	मुँगेली (4)	4.54	27.53	17.49
23	बेमेतरा (2)	2.48	2.18	3.97
24	बीजापुर (1)	0.18	0.18	0.18
25	पेंड्रा-मरवाही (1)	—	57.28	53.85
योग (40)		1,280.15	1,301.95	1,148.87

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े

भू-अर्जन अधिकारी एवं एसडीओ, रायपुर से एकत्रित जानकारी से पता चला कि पीड़ी खाते में भू-अर्जन से संबंधित राशि जमा होने का एक मुख्य कारण भूमि अधिनिर्णय पारित होने की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी संबंधित भूमि मालिक द्वारा राशि का दावा नहीं करना था। इसके अलावा, कोष एवं लेखा निदेशालय ने भी पहले सूचित किया था कि पीड़ी खाते से भूमि अधिग्रहण से संबंधित धनराशि का वितरण न होने का एक कारण भूमि का अवार्ड पास न करना भी था।

4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों से असंचालित हैं, उन्हें व्यक्तिगत जमा खाते के प्रशासक को सूचना देकर कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए और शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में सरकारी खाते में स्थानांतरित करने की कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 139 व्यक्तिगत जमा खातों में से ₹1.50 करोड़ की कुल शेष राशि वाले छ: व्यक्तिगत जमा खाते 31 मार्च 2022 तक तीन वर्षों से अधिक समय से असंचालित रहे। हालांकि इन खातों को बंद करने के लिए संबंधित कोषालयों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

राज्य शासन को पीड़ी खातों की समीक्षा करनी चाहिए और शेष राशि को संचित निधि में स्थानांतरित करके निष्क्रिय पीड़ी खातों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

4.7 केन्द्रीय सङ्क निधि से संबंधित लेन-देन के लेखाएँ

केन्द्रीय सङ्क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है। वर्तमान लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहयता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सङ्क एवं पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449—अन्य जमा—103 केन्द्रीय सङ्क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के विपरीत, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्रीय सङ्क निधि से ₹230.29 करोड़ जारी किए गये जिसमें से केवल ₹125.47 करोड़ राज्य शासन द्वारा लोक लेखे के अंतर्गत '8449—अन्य जमा—103 केन्द्रीय सङ्क निधि से वित्तीय सहायता' में स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को ₹104.82 करोड़ तक कम बताया गया।

वर्ष 2019–22 के दौरान सार्वजनिक खाते में भारत सरकार से प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा "8449—अन्य जमा—103 केन्द्रीय सङ्क निधि से वित्तीय सहायता" के लिए सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित निधि का विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: 2019–22 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	राज्य सरकार द्वारा 8449—अन्य जमा—103 को हस्तांतरित की गई निधि	अंतिम शेष (राज्य शासन से हस्तांतरित नहीं की गई राशि)
1	2019–20	14.02	371.61	198.55	187.08
2	2020–21	187.08	234.92	296.54	125.46
3	2021–22	125.46	230.29	125.47	230.28

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आकड़े

4.7.1 अधोसंरचना विकास कोष

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और पर्यावरण सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन जुटाने हेतु भूमि पर उपकर लगाया जाएगा। अधिनियम पुरे छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित है और 27 मई 2005 से लागू है। अधिनियम के अनुसार, अधोसंरचना विकास उपकर उन सभी भूमियों पर लगाया और एकत्र किया जाएगा जिन पर भू-राजस्व या किराया लगाया जाता है। इस प्रकार एकत्र की गई अधोसंरचना विकास उपकर को अधोसंरचना विकास निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे बुनियादी ढांचा विकास परियोजना पर खर्च किया जाता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 में ₹161.63 करोड़ का अधोसंरचना विकास उपकर एकत्र किया और वर्ष 2021–22 के दौरान इतनी ही राशि अधोसंरचना विकास निधि को हस्तांतरित नहीं की गई। ₹161.63 करोड़ की अहस्तांतरित शेष राशि राज्य सरकार के अनुन्मोचित दायित्व में योगदान करती है। इस तरह के अहस्तांतरित शेष के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधोसंरचना विकास निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से निधि के सृजन का उद्देश्य भी विफल हो गया।

4.7.2 पर्यावरण कोष

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन में एक पर्यावरण कोष स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित पर्यावरण उपकर को राज्य में पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सम्बंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2020–21 में पर्यावरण उपकर के रूप में ₹161.63 करोड़ एकत्र किए गए थे और उस राशि को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान पर्यावरण कोष में स्थानांतरित नहीं की गई थी। एकत्रित उपकर को पर्यावरण निधि में अंतरित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष बढ़ा कर और राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया। इसके अलावा, पर्यावरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण निधि में उपकर का अंतरण न किए जाने से भी निधि के सृजन का उद्देश्य विफल हो गया।

4.8 राज्य के लोक लेखों से बाहर की निधि

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का सितम्बर 2008 में गठन किया गया। मण्डल नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर एकत्र करता है और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अनुसार अपनी योजनाओं के

कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहित उपकर चेकों/ धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। तथापि चार शासकीय विभागों² द्वारा एकत्रित श्रम उपकर को मुख्य शीर्ष—8443—सिविल जमा—108—लोक निर्माण जमा राशियों के अंतर्गत सीधे दर्ज किया गया है। इसके अलावा, चूंकि लघु शीर्ष—लोक निर्माण जमा राशियों के अंतर्गत कोई और उप—शीर्ष नहीं है, कर्मकार कल्याण मण्डल को भुगतान की गई राशि को पृथक करना संभव नहीं है। इस प्रकार, श्रम उपकर के लेखांकन के लिए विशिष्ट नियमों और प्रावधानों के अभाव में श्रम उपकर के संग्रहण और हस्तांतरण के लिए श्रम उपकर को कर्मकार कल्याण मण्डल में स्थानांतरित करने के लिए सरकारी विभागों और निजी एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रक्रियाओं में कोई एकरूपता नहीं है।

4.8.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के लिए उपकर की प्राप्ति और व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 4.7 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.7: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंत: शेष
			पंजियन शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर व्याज			
1	2019–20	300.53	9.93	163.62	21.81	495.89	115.09	380.80
2	2020–21	380.80	0.73	172.34	31.39	585.26	108.10	477.16
3	2021–22	477.16	0.13	191.07	17.20	685.56	92.24	593.32

स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2021–22 के दौरान कुल व्यय ₹92.24 करोड़ में से बोर्ड द्वारा ₹88.43 करोड़ (95.87 प्रतिशत) कल्याणकारी याजनाओं पर, और ₹3.81 करोड़ (4.13 प्रतिशत) स्थापना शुल्क पर व्यय किया है।

राज्य शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों जैसे कि मातृत्व लाभ, भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, चिकित्सा सहायता, रसोई गैस एवं चूल्हे का वितरण इत्यादि का संचलान किया है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर की गयी व्यय की जानकारी तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

² लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, जल संसाधन विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

तालिका 4.8: उपलब्ध निधि से योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	उपलब्ध राशि	संचालित योजना		योजनाओं पर वास्तविक व्यय	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
			संख्या	आवंटन				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरुद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय
1	2018–19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,847	51.78	48.75	33.79
2	2019–20	495.89	21	367.32	96.57	20,00,567	3,90,818	19.54	26.29	19.47
3	2020–21	585.26	22	382.68	105.06	21,15,415	1,69,239	8.00	27.45	17.95
4	2021–22	685.56	25	409.70	88.43	21,66,576	3,90,139	18.00	21.58	12.90

स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2021–22 के दौरान मण्डल द्वारा उपलब्ध धन का केवल 12.90 प्रतिशत का उपयोग किया जा सका और पंजीकृत श्रमिकों का केवल 18 प्रतिशत को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभाविन्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आवंटित ₹409.70 करोड़ रुपये की राशि के मुकाबले, बोर्ड केवल ₹92.24 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका, जिससे शेष ₹317.46 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा ₹40.60 करोड़ उपकर एकत्र किए गए और ₹42.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्षों की शेष राशि सहित) बोर्ड को हस्तांतरित किए गए एवं शेष ₹4.28 करोड़ रुपये लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8443 के अंतर्गत रखे गए हैं।

इन चार विभागों द्वारा उपकर के कम हस्तांतरण का विवरण तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: श्रम उपकरों का मंडल को विभाग—वार कम हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	कम हस्तांतरण
1	लोक निर्माण विभाग	3.89
2	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.24
3	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.12
4	ग्रामीण विकास संभाग (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.03
	योग	4.28

4.9 लघु शीर्ष –800 में समायोजन


अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष–800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है।

कुल 43 राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज की गई राशि ₹7,427.94 करोड़ (वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की ₹79,652.03 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.33 प्रतिशत) को लघु शीर्ष –800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 49 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹1,137.59 करोड़ (वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की ₹85,514.23 करोड़ की कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 1.33 प्रतिशत) को लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।


प्राप्तियों और व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा, वर्ष 2017–22 के दौरान कुल प्राप्तियों और व्यय के प्रतिशत के रूप में चार्ट 4.2 एवं 4.3 में दी गई हैं:

चार्ट 4.2: वर्ष 2017–22 के दौरान लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

चार्ट 4.3: वर्ष 2017–22 के दौरान लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

इस विषय को राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। पिछले वर्ष (4.80 प्रतिशत) की तुलना में 2021–22 के दौरान इस लघु शीर्ष में वर्गीकृत प्राप्तियों में बड़ी वृद्धि (9.33 प्रतिशत)

हुई है। व्यय पक्ष पर, यह 2020–21 में 1.61 प्रतिशत से घटकर 2021–22 के दौरान कुल व्यय का 1.33 प्रतिशत हो गया। तथ्य यह है कि प्राप्तियों और व्यय का इतना बड़ा अनुपात लघु शीर्ष 800 के तहत दर्ज किया गया है, यह गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

4.9.1 लघु शीर्ष – 800 के अंतर्गत बुकिंग –₹50 करोड़ रुपये से अधिक के लिए अन्य प्राप्तियां
 लघु शीर्ष –800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है और यह उन योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का खुलासा नहीं करता है जिनसे यह संबंधित है। तथापि, संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ मुख्य शीर्ष में लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का प्रचालन नियमित रूप में किया गया था और पिछले पांच वर्षों में इन लघु शीर्ष के अंतर्गत पर्याप्त राशि (अर्थात ₹50 करोड़ रुपये से अधिक) दर्ज की गई थी जैसा कि **तालिका 4.10** में दिखाया गया है। तथापि, पिछले पांच वर्षों में लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अंतर्गत ₹50 करोड़ रुपये से अधिक की नियमित बुकिंग नहीं देखा गया है।

तालिका 4.10: पिछले पांच वर्षों में ₹50 करोड़ से अधिक की राशि की बुकिंग के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन का विवरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	प्राप्ति				
		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1	0029	99.68	97.56	85.60	269.86	335.73
2	0039	874.31	981.67	1,037.89	1,110.10	1,075.84
3	0041	1,071.97	321.84	63.85	190.66	186.58
4	0043	224.56	240.61	253.04	260.13	561.94
5	0853	2,000.98	791.01	1,386.47	545.51	4,879.34

स्रोत: कार्यालय प्रशान्त महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त आकड़े

प्राप्तियों का इतना बड़ा अनुपात पिछले पांच वर्षों से लगातार लघु शीर्ष 800 के तहत बुक किया गया है, यह गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह खातों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

4.9.2 लघु शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत रॉयल्टी की बुकिंग

संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु लेखा शिर्षों की सूची के अनुसार खदानों से प्राप्त रॉयल्टी को मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुक्रम उद्योग–लघु शीर्ष 102–खनीज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मुख्य एवं लघु शीर्ष 0853–800 के चालानों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष 0853–800 के अंतर्गत ₹12,305.38 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्ति के सामने ₹1.02 करोड़ की प्राप्त रॉयल्टी को लघु शीर्ष –102–खनीज रियायत, शुल्क, किराये और रॉयल्टी की, जैसा कि लेखाओं की मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित है, के स्थान पर लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्ति में दर्ज किया गया। विस्तृत जानकारी **तालिका 4.11** में दिखाया गया है।

तालिका 4.11: लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज राजस्व प्राप्तियों का विवरण

क्र.सं	कोषालय/बैंक का नाम	प्रकरणों की संख्या	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)
1	रायपुर	83	0.37
2	बैमेतरा	01	0.20
3	सूरजपुर	09	0.02
4	बैकुण्ठपुर	13	0.09
5	बिलासपुर	03	0.01
6	बीजापुर	03	0.04
7	कोणडगांव	03	0.02
8	रायगढ़	01	0.07
9	कांकेर	01	0.01
10	जांजगीर चापा	01	0.01
11	दांतेवाडा	04	0.03
12	बलरामपुर	04	0.01
13	बलौदाबाजार	02	0.11
14	मुंगेली	02	0.03
योग		130	1.02

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) कहती है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत् पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग को एवं शेष कुल रॉयल्टी राजस्व का 67 प्रतिशत् संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत को संवितरित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कही हुई प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मुख्य शीर्ष 0853 (गैर अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग) के अंतर्गत लघु शीर्ष 102 (खनीज रियायत शुल्क, किराय और रॉयल्टी) का गलत वर्गीकरण लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों में होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को हुई पर्याप्त राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।


4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों के लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियाँ एवं व्यय से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यह नियंत्रक अधिकारियों को व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण एवं बजटीय आवंटन का कुशल प्रबंधन तथा उनके लेखों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्तियों का 56.02 प्रतिशत् तथा संवितरण का 90.12 प्रतिशत् मिलान किया गया था, ये आंकड़े वर्ष 2021–22 के लिए प्राप्तियों में 62.93 प्रतिशत् तथा संवितरण में 87.06 प्रतिशत् हैं।

तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2019–22 के दौरान नियंत्रक अधिकारीयों के द्वारा प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान की स्थिति चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4 : तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2019–22 के दौरान मिलान की स्थिति



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संकलित आंकड़े

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी तालिका 4.12 में दिया गया है।

तालिका 4.12: प्राप्तियाँ एवं व्ययों के आंकड़ों के मिलान के स्थिति

वर्ष	नियंत्रक आधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान प्रतिशत
प्राप्तियाँ							
2019–20	40	14	14	12	83,717.84	71,783.68	85.74
2020–21	40	04	31	05	84,866.84	47,539.69	56.02
2021–22	40	03	31	06	94,843.22	59,684.84	62.93
व्यय							
2019–20	94	19	39	36	90,794.89	48,667.61	53.60
2020–21	94	61	23	10	87,127.83	78,520.40	90.12
2021–22	94	42	48	04	92,877.69	80,859.21	87.06

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकड़े

आंकड़ों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण साधन है। कोडल प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग/पालन में असफलता के कारण ना केवल प्राप्तियाँ एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बल्कि बजटीय प्रक्रिया की उद्देश्य को भी विफल करती है।

4.11 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोकड़ शेष में ₹24.64 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अन्तर था। यह अंतर प्रत्यायित बैंक द्वारा केंद्रिय लेखा अनुभाग,

भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन के रोकड़ शेष की रख-रखाव की है, को गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने के कारण है।

4.12 भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जो सरकारी लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लेखांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु तैयार कर रहा है। मार्च 2020 के अंत तक तीन भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इन मानकों का विवरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन मानकों का वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरण में अनुपालन तालिका 4.13 में किया गया है।

तालिका 4.13: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों के सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
भा.स.ले.मा-1 सरकार द्वारा प्रत्याभूति (गारंटी)-प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक की आवश्यकता है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये अधिकतम प्रत्याभूतियों को परिग्रहितियों, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ उनके वित्तीय विवरण में प्रकट करें।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने अंतिम लेखों में वर्ष 2021–2022 के दौरान भा.स.ले.मा-1 के निर्धारित प्रारूप में गारंटी से सम्बंधित 13 गारंटी संस्थानों में से लगभग 11 (85 प्रतिशत) के बारे में मार्च 2022 के समाप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान अतिरिक्त, खारिज, लागू और बकायों के साथ प्रकट किया।
भा.स.ले.मा-2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के निरपेक्ष वर्गीकृत किया जाये।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹2,227.04 करोड़ की सहायता अनुदान राशि का वितरण किया और राजस्व व्यय के बजाय पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने 2021–22 के दौरान वितरित सहायता अनुदान से संबंधित जानकारी भा.स.ले.मा-2 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार वित्त लेखा के विवरण संख्या 10 और परिणाम संख्या III में दर्शाए अनुसार प्रस्तुत की है।
भा.स.ले.मा-3 सरकार द्वारा बनाए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये लोन एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकरूपीया लेखांकन प्रथा को सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया गया	94 बजट नियंत्रक अधिकारियों में से 60 अर्थात् 64 प्रतिशत ने सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की है। भा.स.ले.मा-3 का अनुपालन न करने से लेखांकन प्रथाओं में अपारदर्शिता होती है।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य शासन ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये हैं, जिसमें से केवल चार स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को न्यासित किया गया है। जून 2022 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण तालिका 4.14 में प्रदर्शित है।

तालिका 4.14: स्वायत निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

क्र.सं	निकाय/प्राधिकरण का नाम	खाता कब से लंबित है	वित्तीय वर्ष तक लंबित खातों की संख्या
1	राज्य कैम्पा, छत्तीसगढ़ राज्य	2021–22	1
2	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	2009–10	68 ³
3	छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल	2015–16	6

4.14 हानि तथा गबन आदि के मामले

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 22 और 23 यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पुलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च 2022 की स्थिति में, राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कुल ₹125.58 करोड़ के कुल 2,163 मामले लम्बित थे, जो निर्णयक जाँच और निपटारे के लिए लंबित थे। लंबित प्रकरणों का विभागवार तथा श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट-4.2** में दिया गया है। मामलों का वर्ष-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-4.3** में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु-रूपरेखा और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि को तालिका 4.15 में संक्षेपीत किया गया है।

तालिका 4.15 : हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	316	5.89	चोरी	124	0.54
5 – 10	381	72.33	सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,978	119.76
10 – 15	334	31.69	गबन	61	5.28
15 – 20	234	4.88	लंबित प्रकरणों का योग	2,163	125.58
20 – 25	209	4.60			
25 से अधिक	689	6.19			
योग	2,163	125.58			

ओत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

कुल 2,163 प्रकरण में से वन विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग में क्रमशः 562 तथा 39 प्रकरण, जो 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 2,163 प्रकरणों में से 338 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि छ: मामलों में, विभिन्न विभागों द्वारा 2021–22 के दौरान ₹1.91 लाख की वसूली की गई, जैसा कि **परिशिष्ट-4.4** में वर्णित है।

4.15 ऑफ बजट उधार

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम/अन्य निकाय सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ऋण ले सकते हैं। ऐसे ऋणों की अदायगी अपने बजटीय

³ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के खातों को इसकी स्थापना 2009–10 के बाद से हीं प्राप्त नहीं किया गया था।

संसाधनों से राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। इस तरह के उधार सरकार के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेंगे। इस तरह की देनदारियों को बजट में बताए बिना बनाना, पारदर्शिता और अंतर-पीढ़ीगत इविवटी दोनों पर सवाल उठाता है। इस तरह के ऑफ-बजट उधार को बजट दस्तावेजों में प्रकटीकरण विवरण में नहीं लिया जाता है, न ही इन्हें विधाई अनुमोदन प्राप्त होता है। ऑफ बजट के इस तरह की पांच देनदारी उदाहरणों पर निचे चर्चा की गई है:

- क) छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी अधिकारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए केनरा बैंक से 800 करोड़ रुपये और इलाहाबाद बैंक से 728 फ्लैट खरीदने के लिए 2017–18 में ₹195.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को गारंटी जारी की। 31 मार्च 2022 तक कुल दिए गए गारंटी राशि के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने क्रमशः ₹800 एवं ₹195 करोड़ का ऋण लिया। राज्य सरकार द्वारा उक्त ऋणों पर ₹333.23 करोड़ का ब्याज एवं मूलधन बजट के माध्यम से भुगतान किया जा चूका है।
- ख) इसी प्रकार, शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीएचसीएल) को जून/जुलाई 2017 (2027 तक वैध) में पुलिस अधिकारियों के लिए 10,000 आवासीय घरों के निर्माण के लिए दो वित्तीय संस्थानों अर्थात् इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़ रुपये) और केनरा बैंक (₹400 करोड़ रुपये) से ₹800 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए भी गारंटी जारी की है। सीपीएचसीएल ने मार्च 2022 तक ₹644.54 करोड़ रुपये का कुल ऋण लिया है, जबकि अधिकतम गारंटी राशि ₹800 करोड़ रुपये है। राज्य शासन ने उपरोक्त ऋणों पर बजट के माध्यम से ₹201.19 करोड़ का ब्याज चुकाया है।
- ग) इसके अलावा, सरकार ने फरवरी 2018 (2022 तक वैध) में “प्रधान मंत्री आवास योजना” (पीएमएवाई—शहरी) में राज्य के हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) को गारंटी जारी की। जिसमें से, सूडा ने 31 मार्च 2022 तक ₹825 करोड़ रुपये का ऋण लिया। राज्य शासन ने बजट से उपरोक्त ऋण के ब्याज और मूलधन के रूप में ₹201.57 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान किया है।
- घ) छत्तीसगढ़ शासन ने दिसंबर 2020 में बैंकों या वित्तीय संस्थानों से छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) को ₹5,225 करोड़ रुपये (12 सड़कों के निर्माण के लिए ₹1,225 करोड़ रुपये और 741 सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹4,000 करोड़ रुपये) का ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी जारी की। जिसमें से सीजीआरआईडीसीएल ने 31 मार्च 2022 तक ₹126.39 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने मूलधन और ब्याज राशि के पुनर्भुगतान के लिए सीजीआरआईडीसीएल को कोई राशि जारी नहीं की है। तथापि, कंपनी ने बैंक को ₹0.33 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
- ङ) छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण को लागू करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास निगम (जनवरी 2018) को ₹3,427.28 करोड़ रुपये (2034–35 तक वैध) की गारंटी जारी की। उपर्युक्त गारंटी की तुलना में निगम ने कुल ₹1,792.44 करोड़ रुपये (केनरा बैंक से ₹1,000 करोड़ रुपये और नाबार्ड से ₹792.44 करोड़ रुपये) का ऋण लिया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए ₹375.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं।


उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के व्यय के वित्तपोषण के लिए अन्य संस्थाओं के माध्यम से जुटाई गई उधार राशि के उपयोग से न केवल राजस्व/पूँजीगत व्यय और राजस्व/राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया गया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि उधार ऋण की गणना राज्य

सरकार के खातों में से बाहर रहे। चालू व्यय का भार आने वाली पीढ़ियों पर बाद के वर्षों में बजटीय सहायता के माध्यम से ऋण की सेवा की सीमा तक स्थानांतरित हो जाएगा। 31 मार्च 2022 तक बकाया ₹99,172.89 करोड़ की कुल बजटीय देनदारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार की कुल शुद्ध बजट देनदारी ₹3,872.80 करोड़ (कुल बजटीय देनदारियों का 3.91 प्रतिशत) है। इस प्रकार, राज्य की कुल देयता ₹1,03,045.69 करोड़ रुपये थी। राज्य शासन के वर्ष 2017–18 से 2021–22 के बजट दस्तावेजों में किसी भी ऑफ बजट उधारी का खुलासा नहीं किया गया है।

4.16 सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियाँ

वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹14,308.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक ऐसी राशि के हस्तांतरण की प्रवृत्ति चार्ट 4.5 में दर्शायी गई है।

चार्ट 4.5: 2018–19 से 2021–22 तक राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे दिए गये अनुदान के हस्तांतरण का रुझान



स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकड़े

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में ₹1,770.13 करोड़ (14.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

4.17 एकल नोडल खाते

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों की उपलब्धता और उपयोग की बेहतर निगरानी के लिए भारत सरकार ने निर्देश (जुलाई 2021) जारी किए कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सीएसएस को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करेगी। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी कामकाज करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता (एसएनए) खोलेगी। एकत्र की गई जानकारी से पता चला कि 20 विभागों के तहत 114 योजनाएं थीं, जो एकल नोडल खातों का रखरखाव कर रही थीं।

आठ विभागों से प्राप्त एसएनए के संबंध में सूचना तालिका 4.16 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.16: एकल नोडल खाते के परिचालन की स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विभाग का नाम	योजना का नाम	31 मार्च 2022 को शेष राशि	एसएनए खोलने की तिथि
1	समाज कल्याण	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	—	10.08.2018
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	—	
		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन	—	
		राष्ट्रीय परिवार लाभ	—	
2	मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन का कार्यालय	जल जीवन मिशन	258.75	29.11.2021
3	मत्स्य विभाग, छत्तीसगढ़	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	—	03.08.2021
4	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	145.11	23.09.2021
		राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	0.07	30.12.2021
		पीएम अभियान, छत्तीसगढ़	18.76	24.08.2021
5	कृषि निदेशालय	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रपतार)	7.35	22.11.2021
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	14.20	नवम्बर, 2021
		कृषि विस्तार पर सबमिशन (आत्मा)	—	06.08.2021
		कृषि यंत्रीकरण मिशन सबिसडी	39.75	10.02.2022
		परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	1.19	06.08.2021
		चावल परती क्षेत्र (टीआरएफए) को लक्षित करना	—	22.11.2021
		पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)	0.46	22.11.2021
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (त्रिलहन और आयलपाम)	0.64	22.11.2021
		बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर प्रस्तुतीकरण	—	जून, 2021
		एनएमएसए—मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	0.54	22.12.2021
6	उद्योग निदेशालय	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का प्रधानमंत्री औपचारिकरण	9.73	11.08.2020
7	आयुष निदेशालय	राष्ट्रीय आयुष मिशन	24.30	12.08.2021
8	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	पोषण अभियान संक्षम-2 (5354)	47.48	20.07.2021
		स्वाधार गृह (7754)	0.54	30.07.2021
		उज्जवला परियोजना (7815)	0.10	30.07.2021
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (7884)	—	30.07.2021
		मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं)	55.72	26.07.2021
		आईसीडीएस पर्यवेक्षण संक्षम -2	2.47	20.07.2021
		आईसीडीएस आगनवाड़ी सर्विसेज (9044)	159.49	20.07.2021
		आईसीडीएस पोषण संक्षम -2 (9050)	1.19	20.07.2021
		एडोल्सेंट गलर्स संक्षम -2 (7361)	—	20.07.2021

स्रोत: राज्य शासन के विभागों से प्राप्त जानकारी

4.18 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अभी तक (सितम्बर 2022) राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा नहीं किया।

4.19 निष्कर्ष

विशिष्ट विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के लिए विभागों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक बिलों को जमा न करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा खातों को जमा न करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियाँ’ (₹7,427.94 करोड़) और ‘अन्य व्यय’ (₹1,137.59 करोड़) के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ न करना सरकार के भीतर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कमज़ोर प्रदर्शन और खातों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उठाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अपने आदेश पर प्राप्त ऋणों के संबंध में अपने ऑफ-बजट उधार का बजट में खुलासा नहीं किया है।

4.20 अनुशंसाएं

- i. राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है कि विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को डीसीसी बिलों को प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।
- ii. खातों को प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई/अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चतं एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।
- iii. राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखा पुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखा शिर्षों की पहचान हो सके।
- iv. राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन हो सके।
- v. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आकड़ों का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन-देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।

पंचम अध्याय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

यह अध्याय राज्य सरकार की कम्पनियों और निगमों के वित्तीय प्रदर्शन जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है, की संक्षिप्त स्थिति देता है। इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों के वर्ष 2021–22 (या पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा/एकमात्र लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों¹ को शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है।

एक सांविधिक निगम की स्थापना संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून के अंतर्गत की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं और जिस तरीके से लेखों की लेखा परीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखा परीक्षा करने का भी अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में या विधियों के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

¹ 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक अंतिमीकृत / जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

31 मार्च 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 30 पीएसयूज (29 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम²) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

राज्य के 30 पीएसयूज में से 28 पीएसयूज (27 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) कार्यरत और दो³ पीएसयूज निष्क्रिय थे। इन 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितंबर 2022 को दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तीन पीएसयूज जिनके लेखें तीन या अधिक वर्षों से बकाया (दो पीएसयूज⁴) या प्रथम लेखें जमा नहीं किए (एक पीएसयूज⁵) थे, को इस प्रतिवेदन में विस्तृत विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है (**परिशिष्ट 5.1**)।

पीएसयूज के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इन 25 पीएसयूज को छह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन 25 पीएसयूज का टर्नओवर (₹42,147.03 करोड़) वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी (₹4,00,061 करोड़) का 10.53 प्रतिशत था। 2021–22 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत है (**तालिका 5.1**)।

तालिका 5.1: वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ—साथ पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	टर्नओवर का जीएसडीपी में हिस्सा
1	ऊर्जा और शक्ति	6	23,936.59	5.98
2	अधोसंरचना	5	92.87	0.02
3	वित्त	1	2.77	0.00
4	कृषि और संबद्ध उद्योग	2	674.20	0.17
5	सेवाएं	9	17,431.93	4.36
6	अन्य	2	8.67	0.00
	योग	25	42,147.03	10.53

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना

5.5 सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 30 कम्पनियों (29 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 30 सितंबर 2022 को पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति **तालिका 5.2** में प्रस्तुत की गई है।

² छत्तीसगढ़ राज्य भंडारणगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)।

³ छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

⁴ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

⁵ छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इनक्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड।

तालिका 5.2: पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

पीएसयूज का प्रकार	पीएसयूज की कुल संख्या	30 सितंबर 2022 की स्थिति में पीएसयूज द्वारा लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखों बकाया थे (बकाया लेखों की संख्या)
		2021–22 के लेखों	2020–21 के लेखों	2019–20 के लेखों	योग	
सरकारी कम्पनियाँ	27	6	13	8	27	21 (35)
सांविधिक निगम	1	—	1	—	1	1 (1)
कुल कार्यरत पीएसयूज	28	6	14	8	28	22 (36)
निष्क्रिय पीएसयूज	2	—	1	1	2	2 (4)
योग	30	6	15	9	30	24 (40)

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें

पीएसयूज जिनका वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2022 तक लंबित है, का विवरण **परिशिष्ट 5.1(बी)** में दिखाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 25 पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश तालिका 5.3 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.3: पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	
राज्य के पीएसयूज की कुल संख्या	30
इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज की संख्या	25
प्रदत्त पूँजी (25 पीएसयूज)	₹6,903.31 करोड़
दीर्घावधि ऋण (25 पीएसयूज)	₹12,044.02 करोड़
शुद्ध लाभ (11 पीएसयूज)	₹932.01 करोड़
शुद्ध हानि (11 पीएसयूज)	₹439.99 करोड़
शून्य लाभ / हानि (तीन पीएसयूज)	—
घोषित लाभांश (दो पीएसयूज)	₹3.84 करोड़
निवल मूल्य (25 पीएसयूज)	₹2,808.33 करोड़

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण

31 मार्च 2022 को समाप्त तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.82	707.14	7,379.96	6,672.82	724.83	7,397.65	6,672.82	758.36	7,431.18
केन्द्र सरकार	25.42	286.53	311.95	25.42	292.78	318.20	25.42	158.89	184.31
अन्य	315.46	11,795.90	12,111.36	315.46	12,847.58	13,163.04	315.46	12,460.72	12,776.18
योग	7,013.70	12,789.57	19,803.27	7,013.70	13,865.19	20,878.89	7,013.70	13,377.97	20,391.67
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (%) में	95.14	5.53	37.26	95.14	5.23	35.43	95.14	5.67	36.44

स्रोत: 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान इन पीएसयूज में कुल निवेश में 2.97 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2022 की स्थिति में, राज्य के 30 पीएसयूज के कुल निवेश में अंश पूँजी 34.39 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 65.61 प्रतिशत था। राज्य के 30 पीएसयूज में दीर्घावधि ऋणों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹917.25 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹12,460.72 करोड़ शामिल थे (परिशिष्ट 5.2)।

5.6.2 संपत्तियों की पर्याप्तता

शोधनक्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक अवश्य होना चाहिए। 31 मार्च 2022 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम इस मानदंड को पूरा नहीं करता है (तालिका 5.5)।

तालिका 5.5: कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियों	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियों	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	9	11,375.84	46,011.08	404.46	1	1,681.43	1,065.38	63.36
सांघिक निगम	1	88.99	1139.61	1280.60	—	—	—	—

स्रोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6.3 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएसयूज द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जिसके लिए वह आधा प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। विवरण तालिका 5.6 में है।

तालिका 5.6: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁶	2019-20		2020-21		2021-22		योग राशि
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	
(i) ऋण	2	51.89	1	62	2	101.51	215.40
(ii) अनुदान/सब्सिडी	11	9,546.26	9	8,445.74	10	7,226.58	25,218.58
बहिर्गमन का योग (i+ii)	13	9,598.15	10	8,507.74	12	7,328.09	25,433.98
बकाया गारंटी	4	3,764.41	2	3,426.34	3	5,013.25	—
गारंटी प्रतिबद्धता	4	6,752.59	3	6,682.28	3	11,907.28	—

स्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीएसयूज द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता 2019–20 में ₹9,598.15 करोड़ से घटकर 2021–22 की अवधि के दौरान ₹7,328.09 करोड़ हो गई। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को खनिज अन्वेषण कार्य के लिए ऋण (₹12.52 करोड़) व छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम को गोदाम निर्माण के लिए ऋण (₹88.99 करोड़) के रूप में बजटीय सहायता दी गई थी। सब्सिडी/अनुदान का प्रमुख हिस्सा (₹4,249.09 करोड़) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न योजनाओं यथा एकल बल्ब कनेक्शन, कृषि पंप को बिजली की मुफ्त

⁶ राशि राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना, आधी बिजली बिल योजना, कृषि पंप को ऊर्जान्वित करना इत्यादि के कार्यान्वयन एवं राजस्व समितिके लिए तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹2,406.21 करोड़) को जनता को रियायती दर पर खाद्यान्वयन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था। 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान कुल बजटीय सहायता (ऋण और समिति/अनुदान) ₹25,433.98 करोड़ में से ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.40 प्रतिशत (₹13,834.83 करोड़) थी।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 पीएसयूज द्वारा 2021–22 में अर्जित लाभ ₹932.01 करोड़ रुपये था, जबकि 2019–20 में 14 पीएसयूज ने ₹683.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। लाभ में वृद्धि का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानि में कमी ₹972.64 करोड़ (2019–20) से ₹419.77 करोड़ (2021–22) होना और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के लाभ में वृद्धि ₹402.68 करोड़ (2019–20) से ₹570.38 करोड़ (2021–22) होना था। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज को तालिका 5.7 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.7: पीएसयूज जिन्होंने वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित किया

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	30.26	11.56	11.56
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	8.39	5.38	8.35
3	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	11.76	11.76	11.76
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	14.75	24.09	24.09
5	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	0.34	0.34	0.34
6	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	7.32	7.32	7.32
7	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारणगृह निगम	123.04	143.04	143.04
8	केरवा कोल लिमिटेड	0.05	0.28	0.07
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	402.68	196.63	570.38
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	78.13	153.90	153.90
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	1.53	1.20	1.20
योग		678.25	555.50	932.01

झोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की गयी थी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयूज को कर पश्चात लाभ/प्रदत्त पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

21 पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया गया था, का लाभांश भुगतान तालिका 5.8 में दिखाया गया है:

तालिका 5.8: पीएसयूज के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश है		पीएसयूज जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		पीएसयूज जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित /भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निवेश पूँजी	पीएसयूज की संख्या	लाभ	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित /भुगतान किया गया लाभांश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2019–20	21	6,671.07	13	950.52	2	3.84	0.48
2020–21	21	6,671.07	14	697.51	2	3.84	0.72
2021–22	21	6,666.97	10	931.94	2	3.84	0.41

इन 21 पीएसयूज में से 10 पीएसयूज ने कुल ₹931.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया।

5.8 ऋण का भुगतान

5.8.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज के व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से नीचे का अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईसीआर

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज का भार था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2019–20	1547.68	1325.9	9	7	2
2020–21	1834.67	2006.91	11	7	4
2021–22	1690.48	2249.32	11	8	3

स्रोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

यह देखा गया कि ब्याज भार वाले 11 पीएसयूज में से एक पीएसयू (छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) का आईसीआर 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान एक से कम था। एक से कम आईसीआर वाले पीएसयूज की संख्या में छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड सम्मिलित हैं।

5.8.2 छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का राज्य और केंद्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों को बकाया

छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में शामिल है। अपने विभिन्न उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने और सरकार की जनता को बिजली आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, सीएसपीडीसीएल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एनटीपीसी, एसईसीआई, एनएचपीसी और एनपीसीआईएल) और अन्य निजी एजेंसियों से बिजली खरीदता है। 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान वर्ष के अंत में सीएसपीडीसीएल के द्वारा बिजली की खरीदी के लिए देय राशि निम्न तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	विद्युत खरीदी के एवज में देयराशि रु करोड़ में)		
		31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	3613.73	3409.21	4008.54
2	एनटीपीसी	201.21	1621.68	1618.17
3	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	29.91	29.24	45.25
4	राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	1.00	6.67	9.97
5	एनटीपीसी–एसएआईएल विद्युत कम्पनी	12.70	19.44	19.85
6	न्यूकिलयर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	18.65	9.53	15.61
	राज्य और केन्द्र के उत्पादन कम्पनी के कुल बकाया	3877.20	5095.77	5717.39
7	अन्य	853.37	1108.69	1102.66
	महायोग	4730.57	6204.46	6820.05

जैसा की उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य और केंद्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनी को देय कुल बकाया राशि 2019–20 में ₹3877.20 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹5717.39 करोड़ हो गई है। 31 मार्च 2022 तक कुल ₹5717.39 करोड़ की बकाया राशि में से ₹4008.54 करोड़ (कुल राज्य और विद्युत उत्पादन कम्पनी का 70 प्रतिशत) का बड़ा भाग राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड अर्थात् सीएसपीजीसीएल से संबंधित है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न उपभोक्ताओं को रियायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीएसपीडीसीएल को सब्सिडी प्रदान करती है। बकाया सब्सिडी की बड़ी राशि देखते हुए जीओसीजी द्वारा सीएसपीडीसीएल की ओर से सीएसपीजीसीएल (24 मई 2022) को ₹1000 करोड़ प्रदान किए गये, जिसे जीओसीजी की बकाया राशि से समायोजित किया जाना है।

5.9 सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)

31 मार्च 2022 की स्थिति में, लाभ कमाने वाले 11 पीएसयूज ने कुल ₹932.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 2021–22 के दौरान लाभ कमाने वाले प्रमुख पीएसयूज, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹153.90 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (₹143.04 करोड़) थे, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹419.77 करोड़) दर्ज की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 लाभ कमाने वाले उपक्रमों में से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों ने

केवल अपने परिचालन⁷ से लाभ अर्जित किया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया जैसा कि परिशिष्ट 5.3 में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक कम्पनी की नियोजित पूँजी के साथ उसकी लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है। इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी⁸ से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	ईबीआईटी (<₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (<₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
					5 = 3/4*100
लाभार्जन करने वाले	2019–20	14	1879.8	16105.24	11.67
	2020–21	11	1633.85	15655.25	10.44
	2021–22	11	1866.89	15776.44	11.83
हानि वहन करने वाले	2019–20	8	−494.79	−906.97	54.55
	2020–21	11	393.91	−1174.13	−33.55
	2021–22	11	394.13	−1176.01	−33.51
शून्य लाभ/हानि वाले	2019–20	3	0	200.93	0.00
	2020–21	3	0	201.54	0.00
	2021–22	3	0	201.54	0.00
कुल	2019–20	25	1385.01	15399.20	8.99
	2020–21	25	2027.76	14682.66	13.81
	2021–22	25	2261.02	14801.97	15.28

स्रोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 8.99 प्रतिशत से बढ़कर 15.28 प्रतिशत हो गया। (तालिका 5.10)।

5.9.3 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2022 की स्थिति में पर 25 पीएसयूज में राज्य सरकार का ऐतिहासिक लागत के आधार कुल निवेश ₹ 20,049.57 करोड़ था। ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2019–20 से 2021–22 की अवधि के लिए क्षेत्रवार आरओआई तालिका 5.11 में दी गई है।

⁷ परिचालन गतिविधियों से लाभ= टर्नओवर –कुल व्यय।

⁸ नियोजित पूँजी= प्रदत्त अंशपूँजी + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/—संचित हानियां। आंकड़े पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिमीकृत किया गया है, के अनुसार है।

तालिका 5.11: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	केंद्र सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	अन्य द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	आर और आर आर (प्रतिशत में)
सरकारी कम्पनियाँ						
2019–20	7,263.70	311.95	11,773.29	19,348.94	−165.78	−0.9
2020–21	7,325.70	318.20	12,824.97	20,468.87	−422.34	−2.1
2021–22	7,334.32	184.31	12,437.91	19,956.54	348.98	1.75
सांविधिक निगम						
2019–20	114.31	0.00	2.02	116.33	138.69	119.2
2020–21	70.00	0.00	2.02	72.02	138.69	192.6
2021–22	91.01	0.00	2.02	93.03	143.04	153.76
महायोग						
2019–20	7,378.01	311.95	11,775.31	19,465.27	−27.09	−0.1
2020–21	7,395.70	318.20	12,826.99	20,540.89	−283.65	−1.4
2021–22	7,425.33	184.31	12,439.93	20,049.57	492.02	2.45

स्रोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सरकारी कम्पनियों का प्रतिफल −2.1 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत के मध्य था, जबकि निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सांविधिक निगम का प्रतिफल 119.2 प्रतिशत से 192.6 प्रतिशत के मध्य था।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की प्रर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए भी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई।

इन पीएसयूज में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2022 की स्थिति में की गई है जहाँ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रूप में निवेशित किया है।
- दीर्घावधि ऋण जिन पर पीएसयूज द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयूज द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ऋणों के कम हुए शेष पर की गई है।
- पूँजीगत अनुदान को छोड़कर, अनुदान/सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वो निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं है।
- सम्बन्धित वर्ष⁹ के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} X 100

⁹ सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} X 100

लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों से संबंधित इसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 5.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की वर्षवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी	शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण / बकाया ऋण	वर्ष के दौरान रुपांतारित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	शासकीय ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए कोष की लागत वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	कुल निवेश पर प्रतिफल का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	च	छ	ज=(ग+घ -च+छ)	झ=ख+ज	ट	ठ = (झ* ट)+झ	ड = झ* ट%	ढ	त=ढ* 100/झ
2016–17 तक	4483.97	6649.27	268.64	20.11	2253.92	9151.72	13635.69	6.62	14538.38			
2017–18	14538.38	21.6	84.23	0	1353.68	1459.51	15997.89	6.38	17018.55	1020.66	1124.26	7.03
2018–19	17018.55	0	81.86	0	269.88	351.74	17370.29	6.1	18429.89	1059.58	928.65	5.35
2019–20	18429.89	0	-57.77	0	271.8	214.03	18643.92	6.83	19917.29	1273.38	-303.84	-1.63
2020–21	19917.29	0	0	0	331.89	331.89	20249.18	6.57	21579.56	1330.37	115.27	0.57
2021–22	21579.56	0.00	0	0	806.55	806.55	22386.09	6.4	23818.80	1432.71	492.02	2.19
योग	6670.87		376.96	20.11	5287.72	12315.44						

स्रोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2021–22 के अंत में राज्य सरकार का 24 पीएसयूज में कुल निवेश ₹12,315.44 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹6,670.87 करोड़), बकाया दीर्घावधि ऋण (₹376.96 करोड़, पूँजी में परिवर्तित ₹20.11 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर) एवं पूँजीगत अनुदान/सब्सिडी (₹5,287.72 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹23,818.80 करोड़ की गई। प्रतिफल बढ़ रहा है और 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान सकारात्मक हो गया।

5.10 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.10.1 वहन की गयी हानियाँ

मार्च 2022 के अंत में 11 पीएसयूज ऐसे थे जिन्होंने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानियाँ वहन की। इन पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियाँ 2019–20 में ₹987.16 करोड़ से घटकर इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹439.99 करोड़ हो गयी जैसा कि नीचे तालिका 5.13 में दिया गया है।

तालिका 5.13: 2019–20 से 2021–22 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या (₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में चल रहे राज्य पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य
सरकारी कम्पनियाँ				
2019–20	8	-987.16	-7281.05	-4960.54
2020–21	11	-440.23	-7916.11	-5564.17
2021–22	11	-439.99	-7917.99	-5566.05
सांविधिक निगम				
2019–20	-	-	-	-
2020–21	-	-	-	-

2021–22	—	—	—	—
कुल				
2019–20	8	—987.16	—7281.05	—4960.54
2020–21	11	—440.23	—7916.11	—5564.17
2021–22	11	—439.99	—7917.99	—5566.05

स्रोत: पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2021–22 में, 11 पीएसयूज द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹439.99 करोड़ में से, ₹419.17 करोड़ की हानि का योगदान एक ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू¹⁰ द्वारा किया गया था।

5.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

पूँजी (प्रदत्त पूँजी एवं डिफॉल्टेड ऋण) ₹7,064.08 करोड़ के विरुद्ध, 30 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित हानि ₹ 4,163.97 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2022 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,900.11¹¹ करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹419.77 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2022 की स्थिति में ₹7710.10 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

तालिका 5.13: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण जिनकी निवल मूल्य उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार कम हो गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	अंतिमीकृत लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की इकिवटी	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की ऋण
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020–21	4.43	(-) 0.47	205.35	(-) 199.97	4.43	0.00
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020–21	2263.10	(-) 419.77	7710.10	(-) 5425.83	2263.10	21.17
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2020–21	0.05	(-) 2.35	17.59	(-) 17.54	0.05	0.00
4	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम	2020–21	1.00	(-) 6.95	7.83	(-) 6.69	1.00	379.99
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	0.10	(-) 0.39	1.18	(-) 1.08	0.10	0.00
6	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019–20	0.10	(-) 6.71	6.72	(-) 6.62	0.10	0.00
7	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017–18	1.60	(-) 2.47	8.19	(-) 6.59	1.60	0.00

30 पीएसयूज में से सात¹² पीएसयूज के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सात कंपनियों में से किसी ने भी नियत तारीख यानी 30 सितंबर 2022 के भीतर वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

¹⁰ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

¹¹ प्रदत्त पूँजी प्लस डिफॉल्टेड ऋण ₹7,064.08 करोड़ – संचित हानि ₹4,163.97 करोड़ = ₹2900.11 करोड़

¹² छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

5.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि आवश्यक समझे तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते हैं तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनियाँ अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों (छत्तीसगढ़ राज्य राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को छोड़कर) के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2022 तक की गई थी।

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिए भी उनके संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किये गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

5.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखे तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेडंर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य सभा करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से अगली वार्षिक सामान्य सभा की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। धारा में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य सभा के प्रथम बार होने के मामले में उसे कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। तदानुसार, कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक सामान्य सभा में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल हैं, कारावास एवं दंड जैसी शास्ति लगाई जाए।

31 मार्च 2022 की स्थिति में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 29 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम थे। इनमें से 30 सितंबर 2022 तक या उसके पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु केवल 6 सरकारी कम्पनियों द्वारा उनके लेखे (2021–2022) प्रस्तुत किए गए। 24 पीएसयू द्वारा कुल 40 लेखे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के उल्लंघन में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के बकाया लेखों का विवरण तालिका 5.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15: बकाया लेखों का विवरण

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
बकाया लेखों की संख्या	39	1	40
बकाया सीमावधि	5 वर्षों तक	1 वर्ष	—
बकाया विवरण	(i) परिसमाप्त के अंतर्गत	—	—
	(ii) निष्क्रिय	4	—
	(iii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं	5	—
	(iv) अन्य	30	1
			31

झोल: पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी— लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं 250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कम्पनियों की मूल, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त द्वारा शामिल नहीं की गई कम्पनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेगी। 29 सरकारी कम्पनियों में से, आठ कम्पनियाँ भारतीय लेखा मानकों का पालन करती हैं जबकि शेष लेखा मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार करती हैं।

सांविधिक नियमों से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बताए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे नियमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मुख्य दायित्व ईकाई के प्रबंधन का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया कि पाँच पीएसयूज¹³ द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों (एएस) / भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करते हैं। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उन्हें वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम

5.14.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022) के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 29 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिनमें से 23 विगत वर्षों से संबंधित थे। वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, की गई समीक्षा तथा जारी टिप्पणियों की स्थिति तालिका 5.16 में दी गई है।

¹³ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड।

तालिका 5.16: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22			विगत वर्ष		
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
प्राप्त	6	..	6	21	2	23
समीक्षा नहीं की गई	4	..	4	3	..	3
समीक्षा की गई	12	2	14
लेखापरीक्षा प्रगति पर*	2	.	2	6	..	6
शून्य टिप्पणियां जारी	2	0	2
टिप्पणियां जारी	10	2	12

*30 सितम्बर 2022 की स्थिति में

समीक्षाधीन अवधि में 12 पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रूप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (2020–21)	पूंजीगत चालू कार्य में पूर्ण हो चुके पूंजीगत कार्यों के ₹5.08 करोड़ शामिल हैं जिन्हें कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹5.08 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत चालू कार्य को अधिक बताया गया है और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹3.71 करोड़ (₹5.08 करोड़ कम मूल्यद्वास ₹1.37 करोड़) की सीमा तक कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹1.37 करोड़ के मूल्यद्वास को भी कम बताया गया और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।
2.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवररेजेस निगम लिमिटेड अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को दिए गए (फरवरी 2021) ₹2.19 करोड़ शामिल नहीं हैं। कंपनी ने इसे दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के बजाय प्रशासनिक, बिक्री और अन्य खर्चों के रूप में मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹2.19 करोड़ से अधिक और गैर-चालू संपत्तियों और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।	
3	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 11.10.2019 और 28.03.2021 के अनुसार, कंपनी के नियमित कर्मचारियों को अप्रैल 2016 से जून 2016 एवं जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 की अवधि का सातवें वेतन आयोग के एरियर के रूप में देय ₹56.29 लाख को कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए लेखों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हितलाभ व्यय, अन्य वित्तीय देनदारियों को ₹56.29 लाख से कम बताया गया और वर्ष के लिए लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड वितरण (2019-20)	विद्युत क्रय की लागत में सीएसपीडीसीएल और भारतीय रेलवे के बीच बिलिंग विवाद के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए (3 मई 2019) आर्बिटरल निर्णय के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को देय ₹27.63 करोड़ शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय की लागत, हानि और चालू देनदारियों को ₹27.63 करोड़ से कम दिखाया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	प्रावधानों में वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2019-20 के लिए आयकर के प्रावधान की राशि ₹ 1.01 करोड़ शामिल है। चूंकि, आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है, अतः इसे वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया जाना चाहिए था और इसे अपलेखित कर दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और अग्रिम कर को ₹1.01 करोड़ से अधिक दिखाया गया।
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2020-21)	अन्य चालू देनदारियों में विभिन्न उपभोक्ताओं से डिपोजिट कार्यों के लिए प्राप्त ₹453.07 करोड़ की राशि शामिल है। कंपनी की लेखांकन प्रथा के अनुसार, डिपोजिट कार्य का परिशोधन 5.28 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाता रहा है। यद्यपि, प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डिपोजिट कार्यों को परिशोधित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत 'पूँजीगत अनुदान के परिशोधन' को ₹23.92 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक 'अन्य चालू देनदारियों' को अधिक बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	व्यापार प्राप्तियों में 31 मार्च 2021 को जिला कार्यालय रायपुर द्वारा लोक शिक्षण संचानालय से वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए ₹3.04 करोड़ शामिल हैं। यद्यपि, यह राशि 2017-18 के दौरान पहले ही वसूल की जा चुकी थी और संबंधित वर्ष के लेखों में लेखान्कित की जा चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों और संचय एवं आधिक्य प्रत्येक को ₹3.04 करोड़ से अधिक बताया गया।
4	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंचना विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया (जनवरी 2020) कि कंपनी कार्य की लागत पर एक प्रतिशत की दर से सुपरविजन चार्ज वसूले और वित्तीय वर्ष में एक बार क्लेम करे। उपरोक्त के उल्लंघन में, कंपनी ने एक प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क के अतिरिक्त, ₹1.41 करोड़ की हानि की वसूली सरकार की स्वीकृति के बिना अन्यत्र कर दी, इसके लिए लेखा पुस्तकों में ₹1.41 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आधिक्य को अधिक बताया गया है, अन्य दीर्घकालिक देनदारियों और हानि को ₹1.41 करोड़ से कम दिखाया गया है।
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018-19)	कंपनी द्वारा प्राप्त ग्रान्ट, टाईड ग्रान्ट हैं, जो कुछ निश्चित शर्तों के साथ परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है और इसलिए इसे, संचय और आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत पूँजी संचय के भाग रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप संचय और आधिक्य को अधिक बताया गया और गैर-चालू देयताओं को ₹248.32 करोड़ से कम बताया गया।
6	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (2019-20)	पूँजीगत चालू कार्य में ₹2.78 करोड़ रायपुर, जिला सरगुजा में 5400 मीट्रिक टन गोदाम के निर्माण की लागत शामिल हैं। गोदाम का निर्माण 27 फरवरी 2020 को पूरा हो गया था और इसे पूँजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) को कम बताया गया है और पूँजीगत चालू कार्य को ₹2.78 करोड़ से अधिक बताया गया है और इसके साथ ही मूल्यद्वारा और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. स.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का उचित लेखांकन किय गया गया है और उसका इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है और अव्ययित शेष को अलग से दर्शाया गया है। तथापि, कंपनी ने ₹1.41 करोड़ की निधि का उपयोग सरकार की अनुमति के बिना हानि की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए किया है न कि अभीष्ट उद्देश्य के लिए। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।
2	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2020–21)	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने बताया कि "कंपनी के पास कोई लंबित कानूनी मामले नहीं है जो इसकी वितीय स्थिति को प्रभावित करे"। यद्यपि, कंपनी द्वारा शास्ति लंगाने से संबंधित चार कानूनी मामले 31 मार्च 2022 की स्थिति में अंतिम रूप से लंबित थे, जो कंपनी की वितीय स्थिति को प्रभावित करते। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक

		तथ्यात्मक रूप से गलत थी।
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	कंपनी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुमोदन के बिना वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों को वार्षिक सामान्य सभा में अपनाया। इस तथ्य को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2020–21)	स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने अपने अभिमत में बताया कि कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही। यद्यपि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी लगातार तीन वर्षों से अधिक समय से हानि में चल रही थी। इसलिए, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का अभिमत उस सीमा तक सही नहीं था।

5.15 लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानकों को निर्धारित किया। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया। तीन भारतीय लेखा मानक अर्थात् भारतीय लेखा मानक 11, 17 और 18 को भारतीय लेखा मानक 115 और 116 की अधिसूचना के बाद वापस ले लिया गया है।

अक्टूबर 2021 और सितंबर 2022 के मध्य किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

लेखा मानक/ भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
एएस 12— सरकारी अनुदान	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	कंपनी ने सरकार/मंडी बोर्ड से प्राप्त ₹3.16 करोड़ के अनुदान से ₹3.16 करोड़ के छह गोदाम भवन का अधिग्रहण/निर्माण किया। संपत्तियों को सरकार/मंडी बोर्ड से प्राप्त पूरी लागत के रूप में प्रत्येक गोदाम भवन के लिए ₹ 1 की मामूली लागत पर पूंजीकृत किया गया था। तथापि, ऐसे अनुदान के लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को लेखांकन मानक के एएस-12 के अनुसार लेखा पुस्तकों में प्रकट नहीं किया गया था। इस प्रकार, लेखा बही उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
एएस 4— वित्तीय स्थिति विवरण के बाद होने वाली घटनाएं एवं आकस्मिक व्यय	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (2020–21)	प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रस्तावित लाभांश के प्रावधान की राशि ₹80.77 लाख शामिल है। हालांकि, आईसीएआई द्वारा लेखांकन मानक – 4 में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश तब तक देयता नहीं है जब तक कि इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। प्रस्तावित लाभांश को देयता के रूप में पहचानने के बजाय कंपनी को इसे लेखों के लिए टिप्पणियों में प्रकट करना चाहिए था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप प्रावधान को ₹80.77 लाख से अधिक बताया गया और लाभ को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन के लिए उत्तरदायी लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन या प्रतिवेदन प्रक्रिया में पायी गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान तीन¹⁴ सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। आम तौर पर संबंधित कमियां निम्न थीं :

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं;
- प्रबंधन की ओर से आंतरिक नियंत्रण की कमी; तथा
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2022 तक, एक सांविधिक निगम सहित 30 सार्वजनिक उपक्रम थे। 30 में से दो निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं। 28 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितंबर 2022 को दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

2021–22 के दौरान, इन 25 सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹42,147.03 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 10.53 प्रतिशत के बराबर था। अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का योगदान 2021–22 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर के लगभग 57 प्रतिशत है।

31 मार्च 2022 के अंत में राज्य सरकार का 30 पीएसयूज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण में निवेश ₹7,431.18 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण पिछले वर्ष (2019–20) के ₹12,789.57 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹13,377.97 करोड़ हो गये।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 पीएसयूज द्वारा 2021–22 में अर्जित लाभ ₹932.01 करोड़ रुपये था, जबकि 2019–20 में 14 पीएसयूज ने ₹683.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹153.90 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (₹143.04 करोड़) ने लाभ में मुख्य योगदान दिया था। 11 पीएसयूज को हुई कुल ₹439.99 करोड़ की हानि में से मुख्य हानि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹419.77 करोड़) की थी।

30 पीएसयूज में से, 24 पीएसयूज (23 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम) के लेखे वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न कारणों से बकाया थे। पीएसयूज, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 24 पीएसयूज के 40 लेखे बकाया थे।

¹⁴ केरवा कोल लिमिटेड, उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (2019–20 और 2020–21) और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

5.18 अनुशंसाएं

- (i) छत्तीसगढ़ सरकार हानि में चल रहे सभी पीएसयूज के कार्यकलापों की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- (ii) छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक विभागों को अलग-अलग पीएसयूज के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया का निस्तारण की सख्ती से निगरानी करने और लेखों का यथाशीघ्र अंतिमीकरण करते हुए बकाया को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।
- (iii) सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन पर उचित निर्णय ले सकती है।

म. कुमार

रायपुर
दिनांक: 29 मार्च 2023

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 31 मार्च 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मु)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
 (संदर्भ: कंडिका-1.1)
राज्य की रूपरेखा
अ-सामान्य आंकडे

क्र. स.	विवरण	आंकडे (छत्तीसगढ़)	
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	2.55 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 2011–12 (राष्ट्रीय औसत =21.92 प्रतिशत)	39.93 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत=73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (जैसा की वर्ष 2019 में) (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत=30 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2014–18 संपूर्ण भारत का औसत=69.40)	65.20	
8	जनसंख्या वृद्धि (2012–2022)	संपूर्ण भारत छत्तीसगढ़	12.12 14.97
9	2021–22 के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	₹4,00,061 करोड़	

ब-वित्तीय आंकडे

सी.ए.जी.आर	विवरण	वर्ष 2012–13 से 2020–21		वर्ष 2020–21 से 2021–22	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	9.17	9.95	25.60	26.08
ख	कर राजस्व का	7.75	9.94	33.19	28.75
ग	करेतर राजस्व का	4.80	5.60	45.35	94.08
घ	कुल व्यय का	11.07	11.22	13.96	8.51
ঢ	पूँजीगत व्यय का	9.65	7.88	28.19	16.40
চ	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	9.19	12.61	11.41	10.06
ছ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.67	21.08	19.71	20.33
জ	मजदूरी एवं वेतन का	9.26	13.93	11.23	9.28
ঝ	पेंশन का	12.38	14.52	11.88	4.71

(नोट: वित्तीय आंकडे राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं)

परिशिष्ट 2.1
 (संदर्भ: कड़िका 2.4.1)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
भाग क—प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	59,647(86)	65,095(82)	63,869(76)	63,176(74)	79,652(84)
(i) स्वयं के कर राजस्व	19,895(33)	21,427(33)	22,118(35)	22,118(36)	27,083(34)
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,450(32)	4,088(19)	3,931(18)	4,236(19)	5,341(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,054(20)	4,489(21)	4,952(22)	4,636(20)	5,107(19)
वाहन कर	1,180(6)	1,205(06)	1,275(06)	1,148(05)	1,373(05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,197(6)	1,108(05)	1,635(07)	1,585(07)	1,945(07)
भू—राजस्व	446(2)	488(02)	552(02)	938(02)	950(04)
माल एवं यात्री कर	478(2)	54(0)	41(0)	80(0)	48(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,387(22)	8,203(38)	7,895(36)	7,925(35)	9,483(35)
अन्य कर	1,703(09)	1,792(08)	1,838(09)	2,341(10)	2,836(10)
(ii) करेतर राजस्व	6,340(11)	7,703(12)	7,934(12)	7,137(11)	13,851(17)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,755(35)	23,459(36)	20,206(32)	20,338(32)	28,871(36)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,657(21)	12,506(19)	13,611(21)	12,812(20)	10,146(13)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	03	05	04	05	05
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	138	162	257	105	88
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	01	02	00	00	00
4. कुल राजस्व एवं गैर—ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	59,789	65,264	64,130	63,286	79,745
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,652(14)	14,370(18)	19,588(53)	21,582(25)	15,098(16)
आंतरिक ऋण ¹ (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,188	13,817	19,308	17,961	9,322
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	465	553	279	3,620	5,776
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	69,441	79,634	83,718	84,868	94,843
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	00	00	05	00	00
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	72,058	76,903	89,910	81,446	87,016
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,41,499	1,56,537	1,73,628	1,66,314	1,81,859
भाग ख: व्यय / भुगतान					
10. राजस्व व्यय	56,230(84)	64,411(88)	73,477(89)	70,033(89)	75,010(88)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	12,870(23)	15,280(24)	19,095(26)	19,586(28)	21,375(28)
समाजिक सेवायें	24,372(43)	23,455(37)	26,653(36)	25,066(35)	27,964(37)
आर्थिक सेवायें	17,623(31)	24,781(39)	26,609(36)	24,255(35)	24,558(33)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,365(02)	895(01)	1,120(2)	1,125(02)	1,113(01)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
11. पूँजीगत व्यय	10,001(15)	8,903(12)	8,566(02)	9,024(11)	10,504(12)
सामान्य सेवायें	303(3)	255(03)	194(02)	509(06)	352(03)
समाजिक सेवायें	2,652(27)	1,774(20)	1,912(22)	2,935(33)	3,234(31)
आर्थिक सेवायें	7,046(70)	6,874(77)	6,460(76)	5,581(62)	6,919(66)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	369	240	56	51	324
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.00	0.25	0.05	0.01	(-)0.25
13. योग (10+11+12+12(अ))	66,600	73,555	82,100	79,108	85,838
14. लोक ऋण का पुर्णभुगतान	1,000	1,146	8,696	8,020	8,845
आंतरिक ऋण	828(83)	953(83)	8,480(98)	7,805(97)	8,626(98)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	172(17)	193(17)	216(02)	215(03)	220(02)
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	67,600	74,700	99,419	87,128	94,683
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखे से भुगतान	71,754	76,357	83,719	81,120	86,716
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	1,39,354	1,51,057	1,83,138	1,68,248	1,81,399
भाग ग: घाटे					
20. राजस्व कमी (-)/आधिक्य (+) (1–10)	3,417	684	(-)9,609	(-)6,857	4,642
21. वित्तीय कमी (-)/आधिक्य (+) (4–13)	(-)6,810	(-)8,292	(-)17,970	(-)15,822	(-)6,093
22. प्राथमिक कमी (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-)3,712	(-)4,640	(-)12,999	(-)10,189	51
भाग घ: अन्य आंकडे					
23. ब्याज भुगतान	3,098	3,652	4,971	5,633	6,144
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओहर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओहर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओहर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,82,283	3,27,693	3,44,571	3,52,161	4,00,061
27. वर्षान्त पर देयतायें	52,907	66,750	78,712	92,714²	99,173³
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटीयां)	3,882	10,769	18,459	19,836	19,524
29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटीयां राशि	6,550	19,574	27,995	26,695	29,948
30. अधूरे परियोजना की संख्या	110	107	145	149	150
31. अधूरे परियोजना में अवरुद्ध पूँजी	4,067	4,365	3,355	4,444	4,667

² बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹89,605 करोड़ होगी³ बैंक टू बैंक ऋण (₹8,074 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹91,099 करोड़ होगी

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.3.1)

वर्ष 2021–22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0761—कन्या शिक्षा परिसर	20.44	0.00	20.44	18.89
2	1206—ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	1.43
3	2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	34.92	0.00	34.92	28.45
4	3459—महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.96
5	4663—स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.07	0.00	0.07	0.03
6	4691—कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	6.00	0.00	6.00	4.96
7	5534—स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.40	0.00	1.40	0.77
8	5551—हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.60	0.00	64.60	87.46
9	5560—राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र	2.39	0.00	2.39	1.48
10	5563—क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	1.90	0.00	1.90	1.01
11	5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.32
12	6388—नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	25.29	0.00	25.29	13.79
13	7330—मितानिन कल्याण निधि	110.00	0.00	110.00	110.00
14	7336—इदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	70.15	0.00	70.15	72.30
15	7361—सबला योजना	7.16	0.00	7.16	2.86
16	7435—पोषण	38.50	0.00	38.50	33.95
17	7747—महतारी जतन योजना	33.26	0.00	33.26	25.56
18	7875—सुचिता योजना	6.50	0.00	6.50	5.25
19	7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना	50.91	0.00	50.91	34.59
20	8977—असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	2.04
21	8989—ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	6.09
22	9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.00	0.00	7.00	0.00
23	9369—महिला जागृति शिविर	4.85	0.00	4.85	5.39
योग		530.85	0.00	530.85	471.58

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2)

वर्ष 2021–22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0436—विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.04
2	1079—खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	1.25	0.00	1.25	0.97
3	1190—ग्रामीण खेल—कूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	1.50	0.28
4	1853—झाइंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.57
5	2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	34.92	0.00	34.92	28.45
6	3459—महिला खेल—कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.96
7	4699—अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.10	0.00	1.10	0.81
8	5223—खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	3.00	0.00	3.00	1.24
9	5260—नस्ल सुधार के लिए बैल का वितरण	0.75	0.00	0.75	0.75
10	5428—राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	0.70	0.00	0.70	0.70
11	5429—युवा कल्याण गतिविधि	2.00	0.00	2.00	1.16
12	5645—मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.32
13	5671—बी.पी.एल. बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.49
14	5672—बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना	6.15	0.00	6.15	6.13
15	6047—स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
16	6386—मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	821.56	37.00	858.56	393.23
17	6388—नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	25.29	0.00	25.29	13.79
18	6407—राज्य युवा महोत्सव	5.00	0.00	5.00	1.00
19	6408—राज्य युवा मितान क्लब	50.00	0.00	50.00	33.12
20	6409—मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
21	6425—मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
22	6435—विशेष उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सहायता	0.01	0.00	0.01	0.00
23	6436—मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
24	6913—कुंभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	1.00	0.00	1.00	0.60
25	7296—खेल अकादमी	4.09	0.00	4.09	1.71
26	7361—सबाला योजना	7.16	0.00	7.16	2.86
27	7363—युवा कैरियर विकास योजना	12.03	3.00	15.03	5.33
28	7366—सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.02
29	7430—शिल्पी हेतु डिजाइन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.22
30	7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.50	0.00	38.50	33.95
31	7627—व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	8.80	0.00	8.80	3.52
32	7632—युवा क्षमता विकास योजना	4.60	0.00	4.60	0.18
33	7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	84.35	0.00	84.35	11.20
34	7751—स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.19	0.00	7.19	4.35
35	7867—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	0.00
36	7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	50.91	0.00	50.91	34.59
37	7914—कौशल स्वरोजगार योजना	0.75	0.00	0.75	0.00
38	8076—राज्य के बाहर औद्योगिक और तकनीकी संस्थान	0.07	0.00	0.07	0.02
39	8638—राज्य प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना	7.00	0.00	7.00	0.95
40	8643—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	4.00	0.00	4.00	4.00
41	8899—पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	2.93

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

42	8918—विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	7.00	0.00	7.00	7.00
43	8928—मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.23
44	8935—लाइबलीहूड कॉलेज परियोजना	16.07	0.00	16.07	8.18
45	8977—छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	2.04
46	8979—एकीकृत अम्बेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	125.01	4.80	129.81	83.43
47	8989—छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	6.09
48	9369—महिला जागृति शिविर	4.85	0.00	4.85	5.39
49	9381—बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.03
50	9805—आदिवासी छात्रों को पुस्तक / स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.85	0.00	0.85	0.76
योग		1,419.84	44.80	1,464.64	719.73

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.5)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6472— भूजल संरक्षण कार्य	1.00	0.00	1.00	0.00
2	6479— आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.(आर.आर.पी.) चरण-3	12.00	0.00	12.00	0.00
3	6482— मंत्रालयों और विभागाध्यक्ष भवनों में वाई-फाई सुविधा की स्थापना	2.50	0.00	2.50	0.00
4	6484— मुख्यमंत्री गर्सा विकास योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
5	6493— राष्ट्रीय ई-वाहन एप्लीकेशन (एन.ई.वी.ए.)	5.00	0.00	5.00	0.00
6	6597— उद्घान सिंचाई परियोजना (मेगा परियोजना)	1.60	0.00	1.60	0.00
7	6601— भूमि अधिग्रहण के लिए जमा राशि और प्रशासनिक सेवा शुल्क पर अर्जित व्याज का व्यय	0.00	5.00	5.00	0.00
योग		32.10	5.00	37.10	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5.2)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन	265.68	23.70	231.96	-33.72
02	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	346.18	5.87	159.28	-186.90
03	पुलिस	5,073.18	15.83	4,471.03	-602.15
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	88.95	3.69	60.77	-28.18
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	277.23	7.50	216.84	-60.39
08	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	918.94	201.00	806.38	-112.56
10	वन	1,768.92	211.35	1,716.80	-52.11
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	223.67	5.86	190.98	-32.69
23	जल संसाधन विभाग	620.31	3.11	474.32	-145.99
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	48.85	2.30	40.64	-8.21
27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	4,586.48	-553.77
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	478.05	9.71	364.16	-113.89
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,049.75	160.79	2,024.41	-1,025.34
34	सामाजिक कल्याण	107.54	21.00	97.86	-9.68
36	परिवहन	83.77	3.20	50.35	-33.42
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,333.05	41.50	2,024.51	-308.53
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16,242.98	601.19	13,884.41	-2,358.57
51	धार्मिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती	15.24	0.74	7.22	-8.02
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1,016.19	6.65	748.67	-267.53
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	4,489.82	-646.90
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	895.12	258.62	774.38	-120.74
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	903.03	7.00	672.67	-230.35
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,596.64	75.00	2,524.62	-72.01
योग-राजस्व दत्तमत		47,630.23	2,101.91	40,618.57	-7,011.67
पूँजीगत (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	52.64	3.07	48.96	-3.68
03	पुलिस	130.84	2.90	98.96	-31.88
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	231.89	4.00	4.86	-227.03
17	सहयोग	0.50	3.92	0.50	0.00
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67.66	1.60	59.79	-7.87
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	2,516.54	-716.50
45	लघु सिंचाई कार्य	374.51	1.01	320.75	-53.76
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	135.64	83.53	61.76	-73.88
योग-पूँजीगत दत्तमत		4,226.72	495.21	3,112.12	-1,114.60
कुल योग		51,856.95	2,597.12	43,730.69	-8,126.27

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका-3.5.4)

उप-शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	30— 2216— 3— 105— 701— 7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	620.00	0.00	620.00
2	CH1— 6003— 110— 637— अर्थोपाय अग्रिम	581.88	0.00	581.88
3	41— 2216— 3— 796— 105— 702— 7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	456.00	0.00	456.00
4	CH2— 2049— 1— 101— 2199— नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00
5	CH1— 6003— 110— 779— कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम	250.00	0.00	250.00
6	42— 5054— 4— 796— 337— 702— 7842— आर.आर.पी. चरण-II	230.00	0.00	230.00
7	30— 2215— 2— 107— 701— 7610— स्वच्छ भारत अभियान	200.00	0.00	200.00
8	41— 2215— 2— 796— 107— 702— 7610— स्वच्छ भारत अभियान	152.00	0.00	152.00
9	64— 2216— 3— 789— 105— 703— 7807— प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	144.00	0.00	144.00
10	80— 2853— 2— 800— 101— 6299— ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में अंतरण	139.37	0.00	139.37
11	79— 4210— 3— 105— 701— 6386— मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	100.00	0.00	100.00
12	02— 4070— 800— 101— 6452— मुख्यमंत्री अधोसंरचना रखरखाव एवं उन्नयन प्राधिकरण	80.00	0.00	80.00
13	8— 2029— 797— 6754— अवसंरचना विकास निधि यों में अंतरण	75.40	0.00	75.40
14	58— 2245— 2— 122— 6457— राज्य आपदा नवीकरण निधि से व्यय	70.00	0.00	70.00
15	3— 2055— 115— 600— 7918— नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	66.66	0.00	66.66
16	44— 2202— 3— 1— 701— 8971— राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	65.96	0.00	65.96
17	8— 2029— 797— 6753— पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	57.82	0.00	57.82
18	64— 4225— 1— 789— 102— 603— 7626— विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	51.77	4.00	55.77
19	41— 4202— 1— 796— 202— 1002— 1400— विवेकानंद गुरुकुल उनायन योजना	55.00	0.00	55.00
20	15— 2853— 2— 789— 800— 103— 6299— ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में अंतरण	52.85	0.00	52.85
21	82— 2853— 2— 796— 800— 102— 6299— ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में अंतरण	51.95	0.00	51.95
22	12— 4801— 5— 52— 101— 6378— स्कारा योजना	50.00	0.00	50.00
23	58— 2245— 80— 103— 4849— राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत कोष में स्थानांतरण	50.00	0.00	50.00
24	75— 4700— 9— 800— 311— 5516— वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबाड़)	50.00	0.00	50.00
25	81— 2217— 5— 191— 7675— 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिला अनुदान	48.82	0.00	48.82
26	64— 2215— 2— 789— 107— 703— 7610— स्वच्छ भारत अभियान	48.00	0.00	48.00
27	8— 2029— 102— 101— 7787— ई-धरती	45.00	0.00	45.00
28	8— 5054— 5— 337— 510— 6477— पर्यावरण उपकर निधि	40.00	0.00	40.00

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
29	58— 2245— 80— 800— 6457— राज्य आपदा नवीकरण निधि से व्यय	36.00	0.00	36.00
30	8— 4059— 80— 51— 510— 6476— इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फंड	35.00	0.00	35.00
31	8— 4059— 80— 51— 510— 6477— पर्यावरण उपकर निधि	35.00	0.00	35.00
32	24— 3054— 80— 800— 6464— निर्माण कार्य के लिए सी.जी.आर.आई.डी.सी. एल. द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान	30.00	0.00	30.00
33	30— 5054— 4— 337— 101— 4855— प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना	30.00	0.00	30.00
34	41— 2406— 1— 796— 105— 802— 5231— लघु वनोपज कार्य के लिए लघु वनोपज संघ को अनुदान	30.00	0.00	30.00
35	41— 5054— 4— 796— 337— 102— 4855— प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना	30.00	0.00	30.00
36	58— 2245— 1— 101— 7710— फसल के विनाश के लिए सहायता	30.00	0.00	30.00
37	64— 2225— 1— 789— 102— 603— 7626— विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	27.00	0.00	27.00
38	64— 2217— 80— 789— 191— 703— 7706— अमृत मिशन	26.40	0.00	26.40
39	41— 2202— 2— 796— 109— 1002— 5480— जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(i)	25.26	0.00	25.26
40	11— 4851— 101— 101— 5385— नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	25.05	0.00	25.05
41	19— 2210— 6— 200— 101— 6363— मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	25.00	0.00	25.00
42	24— 3054— 1— 337— 134— रखरखाव और मरम्मत — साधारण मरम्मत	23.00	0.00	23.00
43	71— 3275— 800— 101— 6818— स्वान परियोजना	23.00	0.00	23.00
44	27— 2202— 2— 109— 101— 8659— गैर—सरकारी स्कूलों में ट्यूशन फीस का पुनर्भरण	21.99	0.00	21.99
45	30— 5054— 4— 101— 101— 4871— पीएमजीएसवाई सङ्कों पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
46	41— 4425— 796— 108— 102— 7678— सहकारी समितियों के लिए शेयर पूँजी	20.00	0.00	20.00
47	41— 5054— 4— 796— 101— 102— 4871— पीएमजीएसवाई सङ्कों पर पुलों का निर्माण।	20.00	0.00	20.00
48	42— 5054— 4— 796— 101— 702— 7842— आरआरपी चरण-II	20.00	0.00	20.00
49	64— 2225— 1— 789— 102— 603— 7626— विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	20.00	0.00	20.00
50	CH1— 6004— 9— 101— 3052— ब्लॉक ऋण	20.00	0.00	20.00
51	41— 2210— 6— 796— 200— 102— 6363— मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	19.00	0.00	19.00
52	41— 2406— 1— 796— 105— 702— 6373— लघु वनोपज प्रसंस्करण के लिए अनुदान	18.34	0.00	18.34
53	81— 2217— 5— 192— 7675— 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिला अनुदान	16.81	0.00	16.81
54	41— 2202— 2— 796— 109— 1002— 5480— जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(i)	16.63	0.00	16.63
55	69— 2217— 80— 192— 701— 7709— सबके लिए आवास योजना	16.60	0.00	16.60
56	4— 4070— 800— 7718— आपातकालीन सेवाएं	16.33	0.00	16.33
57	41— 4202— 1— 796— 202— 1202— 1400— विवेकानंद गुरुकुल उनायन योजना	16.00	0.00	16.00
58	58— 2245— 80— 800— 7408— राज्य आपदा प्रबंधन के तहत दक्षता विकास	16.00	0.00	16.00
59	21— 6217— 1— 800— 101— 7883— जल आपूर्ति योजना	15.00	0.00	15.00

60	45— 4702— 101— 101— 3803— लघु और सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाएं	15.00	0.00	15.00
61	71— 5275— 101— 701— 7892— भारत नेट परियोजना के लिए कार्यान्वयन	15.00	0.00	15.00
62	81— 2217— 5— 193— 7675— 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिला अनुदान	14.41	0.00	14.41
63	55— 4235— 2— 102— 701— 337— आगनवाड़ी का निर्माण और मरम्मत	13.34	0.00	13.34
64	64— 4202— 1— 789— 202— 1203— 1400— विवेकानंद गुरुकुल उनायन योजना	12.38	0.00	12.38
65	41— 4235— 2— 796— 102— 702— 337— आगनवाड़ी का निर्माण और मरम्मत	12.04	0.00	12.04
66	42— 5054— 4— 796— 101— 702— 6479— आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.(आर.आर.पी.) चरण - 3	10.40	0.00	10.40
67	23— 4701— 80— 800— 701— 6354— बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II	10.00	0.01	10.01
68	41— 2230— 3— 796— 3— 702— 7867— प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
69	41— 2235— 2— 796— 102— 702— 5354— एकीकृत सेवा योजना (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत)	10.00	0.00	10.00
70	41— 4210— 1— 796— 196— 102— 1473— जिला अस्पताल	10.00	0.00	10.00
71	41— 4701— 29— 796— 800— 102— 3366— मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	10.00	0.00	10.00
72	41— 4702— 796— 800— 702— 6354— बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण II	10.00	0.00	10.00
73	47— 2230— 3— 3— 701— 7867— प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
74	58— 2245— 2— 106— 1467— जिला और अन्य सड़कें	10.00	0.00	10.00
75	58— 2245— 2— 122— 989— क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की पुनः स्थापना और मरम्मत	10.00	0.00	10.00
76	64— 2202— 3— 789— 1— 703— 8971— राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	10.00	0.00	10.00
योग		5,023.44	4.01	5,027.45

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कंडिका-3.5.5)

वर्ष 2021–22 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(–) / आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
	राजस्व (दत्तमत)							
02	सामान्य प्रशासन	346.18	5.87	352.05	159.28	−192.77	−177.07	−15.69
03	पुलिस	5,073.18	15.83	5,089.01	4,471.03	−617.98	−604.18	−13.81
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	918.94	201.00	1,119.94	806.38	−313.56	−302.95	−10.60
10	वन	1,768.92	211.35	1,980.27	1,716.80	−263.46	−262.86	−0.60
13	कृषि	4,592.85	0.00	4,592.85	4,015.67	−577.19	−577.35	0.16
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,313.77	954.70	3,268.47	3,005.46	−263.01	−346.26	83.25
20	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	330.15	0.00	330.15	223.59	−106.56	−108.35	1.78
23	जल संसाधन विभाग	620.31	3.11	623.42	474.32	−149.10	−149.88	0.78
24	लोक निर्माण कार्य-सङ्काल एवं पुल	1,090.63	0.00	1,090.63	636.62	−454.01	−454.05	0.03
27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	5,197.54	4,586.48	−611.06	−620.39	9.33
29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	478.05	9.71	487.76	364.16	−123.60	−124.83	1.23
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3,049.75	160.79	3,210.54	2,024.41	−1,186.13	−1,187.21	1.08
33	जनजातीय कल्याण	4,879.42	0.00	4,879.42	4,559.66	−319.76	−330.70	10.94
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,333.05	41.50	2,374.55	2,024.51	−350.03	−349.99	−0.04
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	16,242.98	601.19	16,844.17	13,884.41	−2,959.77	−3,091.67	131.91
44	उच्च शिक्षा	801.52	0.00	801.52	631.93	−169.59	−179.13	9.55
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	350.01	0.00	350.01	230.60	−119.42	−117.26	−2.16
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,016.19	6.65	1,022.85	748.67	−274.18	−274.22	0.04
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	1,110.58	0.00	1,110.58	880.27	−230.31	−244.83	14.52
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	5,515.73	4,489.82	−1,025.90	−1,031.77	5.87
67	लोक निर्माण—भवन	708.72	0.00	708.72	594.51	−114.21	−64.68	−49.53
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	895.12	258.62	1,153.74	774.38	−379.36	−379.36	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	903.03	7.00	910.03	672.67	−237.35	−182.59	−54.76
80	त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,596.64	75.00	2,671.64	2,524.62	−147.01	−168.95	21.93
	योग	62,696.96	2,988.61	65,685.57	54,500.26	−11,185.31	−11,330.53	145.21
	राजस्व (भारित)							
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	−502.69	−502.69	0.00
	योग	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	−502.69	−502.69	0.00

पूँजीगत (दत्तमत)								
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	231.89	4.00	235.89	4.86	-231.03	-231.71	0.68
11	वाणिज्य और उद्योग से संबंधित व्यय	115.40	0.00	115.40	8.13	-107.27	-106.81	-0.46
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	471.48	275.29	746.77	529.73	-217.04	-217.04	0.00
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	243.45	0.00	243.45	102.59	-140.86	-140.86	0.00
23	जल संसाधन	519.16	0.12	519.28	232.25	-287.03	-287.86	0.83
24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	1,537.81	0.00	1,537.81	1,398.67	-139.14	-154.35	15.22
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	929.90	0.00	929.90	783.78	-146.12	-142.33	-3.78
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	3,628.23	2,516.54	-1,111.69	-1,131.12	19.44
42	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	960.71	0.00	960.71	545.71	-415.00	-420.27	5.27
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	997.13	272.17	1,269.30	1,071.93	-197.36	-203.03	5.67
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	785.44	0.01	785.45	307.90	-477.54	-486.27	8.73
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	699.06	0.00	699.06	158.67	-540.39	-542.49	2.10
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	940.15	0.00	940.15	806.81	-133.34	-132.04	-1.30
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	135.64	83.53	219.17	61.76	-157.41	-157.32	-0.09
योग		11,800.25	1,030.31	12,830.56	8,529.35	-4,301.22	-4,353.52	52.31
कुल योग		80,937.49	4,296.47	85,233.96	69,244.74	-15,989.22	-16,186.74	197.52

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कंडिका— 3.5.5)

वर्ष 2021–22 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(−)/आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
03	पुलिस	5,073.18	15.83	5,089.01	4,471.03	−617.98	−604.18	−13.81
13	कृषि	4,592.85	0.00	4,592.85	4,015.67	−577.19	−577.35	0.16
27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	5,197.54	4,586.48	−611.06	−620.39	9.33
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,049.75	160.79	3,210.54	2,024.41	−1,186.13	−1,187.21	1.08
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16,242.98	601.19	16,844.17	13,884.41	−2,959.77	−3,091.67	131.91
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	5,515.73	4,489.82	−1,025.90	−1,031.77	5.87
योग		39,235.73	1,214.11	40,449.84	33,471.81	−6,978.02	−7,112.56	134.54
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	−502.69	−502.69	0.00
योग		6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	−502.69	−502.69	0.00
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	3,628.23	2,516.54	−1,111.69	−1,131.12	19.44
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	699.06	0.00	699.06	158.67	−540.39	−542.49	2.10
योग		3,932.10	395.19	4,327.29	2,675.21	−1,652.08	−1,673.61	21.54
कुल योग		49,608.10	1,886.85	51,494.95	42,362.16	−9,132.79	−9,288.87	156.08

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कंडिका— 3.5.5)

माह मार्च 2022 के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(−)/आधिक(+)	समर्पण
1	1—सामान्य प्रशासन	355.13	26.87	382.00	309.17	−72.83	−73.83
2	2—सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	426.25	5.87	432.11	159.28	−272.83	−257.07
3	3—पुलिस	5,204.98	19.73	5,224.71	4,571.73	−652.98	−639.18
4	4—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.50	3.69	114.19	63.45	−50.73	−49.06
5	5—जेल	195.86	0.00	195.86	157.63	−38.23	−37.81
6	6—वित्त	6,725.38	250.30	6,975.68	7,565.59	589.91	−38.29
7	7—वाणिज्य कर विभाग	344.50	7.50	352.00	283.32	−68.68	−42.80
8	8—भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,151.18	205.00	1,356.18	811.24	−544.94	−535.02
9	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	21.24	0.00	21.24	7.91	−13.33	−13.33
10	10—वन	1,789.02	211.35	2,000.37	1,735.19	−265.19	−264.63
11	11—वाणिज्य एवं उद्योग	339.20	5.86	345.07	199.12	−145.95	−152.84
12	12—ऊर्जा	2,819.48	107.42	2,926.90	2,821.57	−105.33	−105.28
13	13—कृषि	4,604.71	0.00	4,604.71	4,018.95	−585.76	−585.91
14	14—पशुपालन	474.02	0.00	474.02	369.24	−104.78	−105.19
15	15—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	166.35	0.00	166.35	72.00	−94.35	−94.35
16	16—मत्रस्य पालन	82.39	0.29	82.68	68.09	−14.59	−13.06
17	17—सहकारिता	243.87	3.92	247.79	199.24	−48.55	−48.49
18	18—श्रम	215.76	0.00	215.76	167.17	−48.59	−48.57
19	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,381.85	957.33	3,339.18	3,065.56	−273.62	−357.76
20	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	826.74	275.29	1,102.03	771.74	−330.29	−332.08
21	21—भवन एवं पर्यावरण विभाग	546.55	1.00	547.55	404.36	−143.19	−143.15
22	23—जल संसाधन	1,140.04	3.23	1,143.27	706.66	−436.61	−438.22
23	24—लोक निर्माण—सड़कें और पुल	2,648.54	0.00	2,648.54	2,051.96	−596.59	−611.84
24	25—खनिज संसाधन	486.70	0.00	486.70	338.25	−148.45	−148.45
25	26—सांस्कृतिक विभाग	51.60	2.30	53.90	40.67	−13.23	−13.30
26	27—स्कूल शिक्षा	5,177.45	57.29	5,234.74	4,619.58	−615.16	−624.49
27	29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	573.05	10.51	583.56	431.64	−151.92	−154.53
28	30—पंचायत और ग्रामीण विकास	3,979.84	160.79	4,140.62	2,808.19	−1,332.44	−1,329.73
29	31—योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	52.71	0.00	52.71	31.45	−21.26	−21.28
30	32—जनसंपर्क विभाग	234.23	0.00	234.23	222.45	−11.78	−11.70
31	33—आदिवासी कल्याण	4,885.38	0.00	4,885.38	4,560.60	−324.78	−335.72
32	34—सामाजिक कल्याण	110.54	21.00	131.54	97.96	−33.58	−33.99

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

33	36—यातायात	96.24	3.20	99.44	53.36	−46.07	−43.43
35	37—पर्यटन	116.05	0.00	116.05	103.55	−12.50	−12.50
36	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,357.07	75.00	2,432.07	2,069.13	−362.94	−362.90
37	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	19,534.49	1,021.84	20,556.33	16,474.79	−4,081.55	−4,232.89
38	42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	960.71	0.00	960.71	545.71	−415.00	−420.27
39	43—खेल—कूद युवा कल्याण	72.34	0.00	72.34	36.93	−35.41	−35.41
40	44—उच्च शिक्षा	807.75	0.00	807.75	631.99	−175.76	−185.31
41	45—लघु सिंचाई कार्य	453.98	1.01	455.00	390.85	−64.15	−63.53
42	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	26.55	2.23	28.78	11.33	−17.45	−17.45
43	47—तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना	372.62	0.00	372.62	240.72	−131.90	−129.84
44	54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	255.00	0.00	255.00	236.89	−18.31	−24.61
46	55—महिला एवं बाल कल्याण	1,049.86	6.65	1,056.51	751.34	−305.17	−305.21
47	56—ग्रामीण उद्योग	117.24	0.00	117.24	91.16	−26.07	−25.87
48	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	1,110.78	0.00	1,110.78	880.27	−230.51	−245.03
49	64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,157.17	659.22	6,816.39	5,589.87	−1,226.52	−1,238.06
50	65—उड़ड़यन विभाग	58.48	14.00	72.48	60.30	−12.18	−12.18
51	66—पिछड़ा वर्ग कल्याण	256.37	0.00	256.37	186.36	−70.00	−70.05
52	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	1,495.02	0.01	1,495.03	902.55	−592.48	−551.69
53	68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	95.05	0.00	95.05	56.79	−38.26	−38.46
54	69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	895.12	258.62	1,153.74	774.38	−379.36	−379.36
55	71—सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	185.11	50.00	235.11	147.82	−87.29	−87.29
56	75—जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	699.06	0.00	699.06	158.67	−540.39	−542.49
57	76—लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	940.15	0.00	940.15	806.81	−133.34	−132.04
58	79—विकित्सा शिक्षा	1,038.70	90.53	1,129.23	734.43	−394.79	−339.91
59	80—त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,729.64	75.00	2,804.64	2,588.29	−216.35	−237.19
60	81—नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	2,378.78	214.11	2,592.89	2,513.10	−79.79	−79.79
61	82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	325.65	0.00	325.65	149.50	−176.15	−177.29
62	CH1—लोक ऋण	5,376.37	0.00	5,376.37	8,845.29	3,468.93	−747.58
63	CH2—ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसेंस	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	−502.69	−502.69
योग		1,04,766.67	5,085.71	1,09,852.39	95,978.32	−13,874.07	−18,901.27

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.5.6)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	01—सामान्य प्रशासन	51	17	12
2	02—सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	16	9	4
3	03—पुलिस	46	25	18
4	04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	29	13	7
5	05—जेल	6	4	1
6	06—वित्त विभाग	52	18	0
7	07—वाणिज्य कर विभाग	32	11	4
8	08—भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	45	27	11
9	09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6	5	5
10	10—वन	77	34	12
11	11—वाणिज्य एवं उद्योग	47	17	0
12	12—ऊर्जा	43	11	9
13	13—कृषि	88	49	46
14	14—पशुपालन विभाग	46	21	18
15	15—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	17	5	4
16	16—मत्स्य पालन	16	5	5
17	17—सहकारिता	19	6	6
18	18—श्रम	17	13	8
19	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	66	34	23
20	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	78	21	11
21	21—आवास एवं पर्यावरण विभाग	24	15	13
22	22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	4	4	3
23	23—जल संसाधन विभाग	120	41	28
24	24—लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	49	34	19
25	25—खनिज संसाधन विभाग	16	9	9
26	26—सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्च	31	9	5
27	27—स्कूल शिक्षा	78	35	31
28	28—राज्य विधायिका	6	5	1
29	29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	32	21	19
30	30—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	46	24	17
31	31—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	10	6	1
32	32—जनसंपर्क विभाग	50	6	6
33	33—आदिम जाति कल्याण	18	11	5
34	34—सामाजिक कल्याण	45	11	1

35	35—पुर्नवास	3	1	0
36	36—यातायात	17	10	7
37	37—पर्यटन	11	5	5
38	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	36	14	8
39	41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	503	212	139
40	42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	22	13	7
41	43—खेल एवं युवा कल्याण	22	12	12
42	44—उच्च शिक्षा	37	13	11
43	45—लघु सिंचाइ कार्य	20	9	6
44	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7	6	6
45	47—तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	41	20	12
46	49—अनुसूचित जाति कल्याण	3	2	0
47	50—बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	0
48	51—धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	5	4
49	53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	18	2	2
50	54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	13	9	5
51	55—महिला एवं बाल कल्याण	54	39	16
52	56—ग्रामीण उद्योग	40	10	9
53	57—जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8	8	8
54	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	63	30	11
55	60—जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	2	2	0
56	64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	374	135	98
57	65—विमानन विभाग	3	3	2
58	66—पिछड़ा वर्ग कल्याण	32	18	6
59	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	210	55	39
60	68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	37	12	12
61	69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	18	9	9
62	71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	24	11	11
63	75—जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	22	18	14
64	76—लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	9	6	2
65	79—विकित्सा शिक्षा विभाग	39	28	0
66	80—त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	53	15	12
67	81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	87	16	16
68	82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि—स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26	9	7
69	83—अनुसूचित जनजातियों उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	23	1	1
70	CH1 — लोक ऋण	19	9	5
71	CH2 — ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	89	21	9
	योग	3322	1365	873

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7)

वर्ष 2000–01 से 2020–21 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य की राशि
2000–01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001–02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002–03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003–04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004–05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005–06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006–07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007–08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008–09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009–10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010–11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	
2011–12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012–13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013–14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014–15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015–16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016–17	2 अनुदान	06 और 50	0.92
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2017–18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	
2018–19	2 अनुदान	6 और 50	0.37
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	
2019–20	3 अनुदान	06,33 और 44	646.07
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2020–21	2 अनुदान	06 और 83	6,036.62
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
योग			252.24
			3,179.87
			13,376.63

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7)

वर्ष 2021–22 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	04	2013	मंत्रिपरिषद	6.77	10.43	3.66
2	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	6,850.61	7,470.20	619.59
3	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	2.30	4.29	1.99
4	21	6217	शहरी विकास के लिए ऋण	56.25	106.20	49.95
5	32	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.03	0.05	0.02
6	51	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.50	4.77	0.27
7	64	2211	परिवार कल्याण	20.20	20.84	0.65
8	64	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.21	0.16
9	67	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.87	3.71	0.84
10	80	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	634.39	655.42	21.03
11	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5,158.35	8,625.64	3,467.29
12	CH1	6004	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	218.02	219.66	1.64
योग				12,954.33	17,121.42	4,167.09

परिशिष्ट 4.1
 (संदर्भ: कंडिका 4.3)
31 मार्च 2022 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू—राजस्व	2017–18		01 0.01
		2020–21		01 0.02
2203	तकनीकी शिक्षा	2021–22		02 2.40
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2021–22		01 0.10
2230	श्रम तथा रोजगार	2019–20		04 1.73
		2020–21		04 @0.00
		2021–22		28 0.03
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2017–18		09 0.14
		2018–19		32 0.67
		2019–20		44 0.63
		2020–21		51 0.43
		2021–22		95 0.64
2401	फसल—कृषि कर्म	2021–22		63 107.66
2405	मछली पालन	2021–22		02 0.01
2425	सहकारिता	2021–22		03 72.15
2701	मध्यम सिंचाई	2017–18		01 *0.00
		2021–22		01 #0.00
2851	ग्रामीण तथां लघु उद्योग	2018–19		01 \$0.00
		2021–22		02 0.08
2852	उद्योग	2019–20		06 0.05
		2020–21		03 0.03
		2021–22		02 0.06
योग			356	186.85

*वि. आ. राशि ₹4,190.00, #वि. आ. राशि ₹9,280.00, @वि. आ. राशि ₹21,500.00, \$वि. आ. राशि ₹9,790.00

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कॉडिका 4.14)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में
विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
02	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
03	जिला प्रशासन	1	0.67	4	0.79	0	0.00	5	1.46
04	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	0	0.00	3	11.81	6	12.00
05	ग्रामीण विकास	4	1.08	2	0.05	14	16.70	20	17.83
06	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
07	विद्यालय शिक्षा	20	12.81	19	156.26	19	67.09	58	236.16
08	पुलिस	28	6.56	5	19.45	234	28.41	267	54.42
09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	0.30	1	0.09	7	0.85	12	1.24
10	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	8	1.36	2	0.18	12	2.04
11	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	212	16.40	221	18.30
12	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
13	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
14	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
15	ग्रामीण एवं लद्यु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.37	1	0.37
16	विधि एवं विधायी विभाग	6	0.39	1	7.79	0	0.00	7	8.18
17	श्रम एवं रोजगार	13	4.93	0	0.00	12	52.09	25	57.02
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.07	3	0.15	4	0.22
19	फसल-कृषि कर्म	0	0.00	0	0.00	3	0.48	3	0.48
20	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	4	20.47	8	1.24	15	22.85
21	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	4	0.76	9	34.84	5	10.29	18	45.89
22	वन	3	5.71	0	0.00	949	949.03	952	954.74
23	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	477	10,269.69	479	10,269.93
24	जल संसाधन विभाग	7	1.25	0	0.00	17	543.10	24	544.35
25	वित्तीय एवं सांखिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
26	समाहर्ता	0	0.00	1	0.07	1	0.30	2	0.37
27	खनन एवं धातु-कर्म उपकरण विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
28	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
योग		124	53.31	61	528.14	1,978	11,976.41	2,163	12,557.86

परिशिष्ट—4.3
(संदर्भ: कड़िका 4.14)
सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2022 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	—	7 (2.23)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.12)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	—	3 (1.08)	1 (0.16)	1 (0.22)	5 (1.46)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	—	—	—	2 (0.07)	1 (11.77)	3 (0.16)	6 (12.00)
5	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	—	2 (0.75)	1 (0.46)	6 (13.67)	9 (2.74)	20 (17.83)
6	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)	—	—	—	2 (1.00)
7	विद्यालय शिक्षा	—	9 (181.14)	2 (4.93)	7 (21.83)	1 (3.14)	39 (25.12)	58 (236.16)
8	पुलिस	169 (14.04)	47 (6.67)	27 (4.71)	13 (9.03)	3 (3.64)	8 (16.33)	267 (54.42)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	12 (1.24)	12 (1.24)
10	भू—राजस्व (तहसील)	—	—	2 (0.98)	—	—	10 (1.06)	12 (2.04)
11	पशु चिकित्सा सेवाएँ	90 (6.47)	51 (5.55)	62 (3.30)	13 (2.29)	—	5 (0.69)	221 (18.30)
12	सहकारिता	—	—	—	—	—	1 (96.26)	1 (96.26)
13	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	—	3 (3.81)	3 (3.81)
14	डेयरी विकास	—	—	—	—	1 (0.20)	1 (0.02)	2 (0.22)
15	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	—	1 (0.37)	—	—	—	—	1 (0.37)
16	विधि एवं विधायी विभाग	3 (0.29)	—	2 (0.00)	1 (0.11)	1 (7.78)	—	7 (8.18)
17	श्रम एवं रोजगार	5 (1.55)	2 (0.50)	10 (52.21)	2 (1.04)	1 (0.27)	5 (1.45)	25 (57.02)
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	—	2 (0.11)	—	2 (0.11)	4 (0.22)
19	फसल—कृषि कर्म	—	1 (0.00)	1 (0.16)	1 (0.32)	—	—	3 (0.48)
20	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	—	12 (3.10)	15 (22.85)
21	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	1 (0.38)	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.05)	6 (33.02)	8 (2.59)	18 (45.89)
22	वन	24 (22.16)	41 (91.44)	28 (34.77)	110 (147.76)	187 (386.56)	562 (272.05)	952 (954.74)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	लोक कल्याण विभाग	7 (186.92)	216 (6,934.93)	180 (2,846.55)	76 (301.53)	—	—	479 (10,269.93)
24	जल संसाधन विभाग	11 (357.23)	4 (6.00)	9 (181.12)	—	—	—	24 (544.35)
25	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	—	1 (0.05)	—	—	—	1 (0.05)
26	समाहर्ता कार्यालय	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
27	खनन एवं धातु-कर्म उपकरण विभाग	—	—	—	—	—	1 (0.00)	1 (0.00)
28	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	1 (4.00)	0 (0.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
योग		316 (593.42)	381 (7,228.83)	334 (3,168.45)	234 (488.19)	209 (460.33)	689 (618.64)	2,163 (12,557.86)

परिशिष्ट 4.4
 (संदर्भ: कड़िका 4.14)
विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वसूली प्रकरण संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग के नाम	प्रकार दुर्विनियोजन / हानि / चोरी	वर्ष	हानि की राशि	वसूली गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	111	2055	पुलिस वन	हानि	2022	6,116.00	6,116.00
02	104	2406		हानि	2021	5,478.00	5,478.00
03	105	2406		हानि	2021	16,38.00	16,38.00
04	106	2406		हानि	2021	3,489.00	3,489.00
05	110	2406		हानि	2022	2,028.00	2,028.00
06	112	2406		हानि	2022	1,72,000.00	1,72,000.00
योग						1,90,749.00	1,90,749.00

परिशिष्ट 5.1

पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कांडिका : 5.4 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	₹ करोड़ में	प्रदत्त पूँजी	वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर		
								पूँजी\$	दीघोवधि ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कार्यशील पीएसयूज जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	16.11.1981	2017–18	2022–23	−2.47	69.44	1.60	1.60	0.00	1.6
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)	26.02.2001	2018–19	2020–21	−0.02	0.62	4.20	4.20	0.00	4.2
3	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसआईआईसी)	12.12.2017	प्रथम लेखे अप्राप्त थे	—	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
योग—I					−2.49	70.06	5.80	5.85	0.00	5.85
II. निष्क्रिय पीएसयूज										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
4	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	30.12.2008	2020–21	2021–22	−0.06	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94
5	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	11.04.2008	2018–19	2020–21	0.00	0.00	82.60	82.60	231.71	314.31
योग-II					−0.06	0.00	104.54	104.54	231.71	336.25
योग (I+ II)					−2.55	70.06	110.34	110.39	231.71	342.10

\$ आबंटन हेतु लंबित अशं आवेदन की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.1(ब)

30 सितम्बर 2022 की स्थिति में पीएसयूज के खातों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कांडिका : 5.5 में संदर्भित)

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	वर्ष तक जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	बकाया की स्थिति	बकाया लेखो की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017–18	2018–19 से 2021–22	4
6.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
7.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2018–19	2019–20 से 2021–22	3
8.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
9.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
10.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
11.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारणगृह निगम	2020–21	2021–22	1
12.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2019–20	2020–21 एवं 2021–22	2
13.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2018–19	2019–20 से 2021–22	3
14.	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
15.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2019–20	2020–21 एवं 2021–22	2
16.	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
17.	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
18.	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	2020–21	2021–22	1
19.	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	2020–21 से 2021–22	2
20.	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020–21	2021.22	1

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

21.	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	—	2017–18 से 2021–22	5
22.	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	2019–20	2020–21 से 2021–22	2
23.	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (पूर्व में : इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड)	2020–21	2021–22	1
24.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019–20	2020–21 से 2021–22	2
योग				40

परिशिष्ट 5.2

31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कंडिका : 5.6.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी\$				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहितकुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^१	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^१	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2814.30	0.00	0.00	2814.30	29.21	0.00	6792.57	6821.78	2843.51	9636.08
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	904.71	0.00	0.00	904.71	0.00	0.00	1235.25	1235.25	904.71	2139.96
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2263.10	0.00	0.00	2263.10	21.17	158.89	1731.13	1911.19	2284.27	4174.29
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होलिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	31.12.2008	609.73 ^२	0.00	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	609.73	609.73
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
6	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (यूसीआरव्हीयूएल)	ऊर्जा	13.03.2018	0	0	200	200.00	0	0	1.34	1.34	0.00	201.34
कृषि एवं संबंद्ध													
7	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73	26.65

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पैंजी\$				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहितकुल जीओसीजी पैंजी	ऋण सहित कुल पैंजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्यै	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्यै	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
8	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	29.40	29.40	0.50	19.90
सेवाएं													
9	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
10	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल)	वाणिज्यिक कर	27.02.2017	0.0007 @	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00
11	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45
13	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	591.80	591.80	2.00	593.80
14	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	0.00	2.02	4.04	88.99	0.00	0.00	88.99	91.01	93.03
15	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	07.12.2016	25.5	24.5	0	50.00	0	0	0.00	25.50	50.00	

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^१				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घवधि ऋण				ऋण सहितकुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^२	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^२	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
16	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगड़ रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
17	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
अधोसंरचना													
18	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी/शहरी प्रशासन वं विकास विभाग	11.11.2014	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	166.09	166.09	4.90	170.99
19	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
20	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	19.09.2016	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
21	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	26.02.2001	4.20	0.00	0.00	4.20	0	0	0.00	4.20	4.20	4.20
22	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (सीआरएचसीएल)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	15.03.2018	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1681.43	1681.43	0.10	1681.53
23	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी\$				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहितकुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [#]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [#]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
24	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
25	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12.12.2017	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
वित्त													
26	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	04.07.2004	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
अन्य													
27	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	0.00	0.00	1.00	379.99	0.00	0.00	379.99	380.99	380.99
28	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
29	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	0.00	0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	231.71	231.71	0.00	314.31
30	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	0.00	0	21.94	21.94	0	0	0	0.00	0.00	21.94
कुल				6672.82	25.42	315.46	7013.70	758.36	158.89	12460.72	13377.97	7431.18	20391.67

\$ पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है। £ वित्तीय संस्थायें, बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

€ राज्य सरकार द्वारा सीएसपीएचसीएल को प्रदान की गई पूँजी ₹6,591.89 करोड़ में से ₹5,982.16 करोड़ सीएसपीएचसीएल (होर्डिंग कम्पनी) द्वारा सहायक कम्पनियों अर्थात् सीएसपीजीसीएल (₹2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹0.05 करोड़) में निवेश की गई जैसाकि स. क्र. 1, 2, 3 एवं 5 में दर्शाया गया है। अतः सहायक कम्पनियों में निवेश किए गए ₹5,982.16 करोड़ को छोड़कर ₹609.73 करोड़ को ही सीएसपीएचसीएल की पूँजी दर्शाया गया है।

@ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से ऋण की राशि प्राप्त की गयी है अतः इसे छत्तीसगढ़ शासन के निवेश की तरह माना गया है।

₹7000

परिशिष्ट 5.3

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना
 (कांडिका : 5.9.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
	पीएसयूज जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य भणडारगृह निगम
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ निःशक्ति जन वित्त एवं विकास निगम
	पीएसयूज जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड
2	केरवा कोल लिमिटेड

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in



Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in